



राजनीति

मार्च 2021

विशेषांक

**मालक अप
इंडिया**

विकास को समर्पित मासिक

₹ 30

केंद्रीय बजट 2021-22

प्रमुख आलेख
वित्त आयोग
एन के सिंह

फोकस
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में
डॉ अजय भृषण पांडेय

विशेष आलेख

शर्तों के साथ कर्ज़ सामाजिक क्षेत्र का सशक्तीकरण
डॉ सन्जन एस यादव, सूरज कुमार प्रधान प्रो सचिन चतुर्वेदी

बजट: आर्थिक विकास के लिए संजीवनी
विलोप चिनाँय

मूलभूत सुविधाओं का मजबूत ढांचा
जी रघुराम

विज्ञान, अनुसंधान और अंतरिक्ष की उड़ान
अनिल बंसल

मानव पूँजी और गुणवत्ताप्रक शिक्षा को जोड़ता बजट
डॉ रहीम सिंह



महिलाओं से जुड़ी बजट घोषणाएं



बजट में प्रस्तावित पहल और विभिन्न क्षेत्रों व योजनाओं में निवेश में वह ताकत और क्षमता है जिससे करोड़ों महिलाओं के जीवन को नयी दिशा मिल सकती है और पोषक आहार और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाएं अधिक आसानी से उनकी पहुंच के दायरे में आ सकती हैं। उचित कौशलों का प्रशिक्षण हासिल करने से जहां उनकी रोज़गार प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है, वहीं उन्हें आसान ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सकता है।

महिलाएं और स्वास्थ्य क्षेत्र

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

बजट में की गयी सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है जिसमें इतनी ताकत है कि यह सभी महिलाओं पर अमर डाल सकती है चाहे वे प्रतिभागियों या लाभार्थियों के रूप में हों, कुशल और अद्विकुशल कामगार हों या ग्रामीण अथवा शहरी महिलाएं हों। 64,180 करोड़ रुपये लागत की इस योजना के अंतर्गत अगले छह वर्षों में देश में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने का विशाल लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली के ग्राथिक, द्वितीयक और त्रितीयक स्तर की सुविधाओं का विकास किया जाएगा, वर्तमान राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा और नयी संस्थाओं का विकास किया जाएगा ताकि नयी और नये रूपों में मामने आ गई बीमारियों का पता लगा कर उनका इलाज किया जा सके।

इस समय देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों में से लगभग आधे महिला स्वास्थ्यकर्ता हैं जो डाक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, मिडिवाइफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में अल्पतं महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। इसलिए अगर किसी स्वास्थ्य योजना की पहुंच बढ़ाने, क्रियान्वयन और निगरानी में महिलाओं की अधिक बेहतर भूमिका निभा सकती है तो ऐसी योजना भागीदार महिलाओं के जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से प्रभावित कर सकती है।

स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मियों से संबंधित दो प्रस्तावित विधेयक-राष्ट्रीय अनुयांसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर कर्मी विधेयक और राष्ट्रीय नर्सिंग तथा मिडिवाइफरी आयोग विधेयक में भी

महिला चिकित्साकर्मियों की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।

महिलाओं के लाभ की सामाजिक क्षेत्र की योजना

मिशन पोषण 2.0 योजना

संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पोषण के स्तर, वितरण और परिणामों को सुधारने के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर दिया जाएगा और मिशन पोषण 2.0 चलाया जाएगा। देश के 112 आकांक्षी जिलों में पोषण संबंधी नतीजों में सुधार के लिए हम सबन रणनीति अपनाएंगे। अगले वित्त वर्ष में महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए 24,435 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जो वर्ष 2020-21 के मुकाबले 16.31 प्रतिशत अधिक है। 2020-21 में इसके लिए 30,007.09 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे जिसे बढ़ाकर 21,008.31 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 24,435 करोड़ रुपये में से सबसे अधिक 20,105 करोड़ रुपये की राशि हाल में घोषित सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2.0 योजना के लिए आवंटित की गयी है। पोषण 2.0 एक व्यापक योजना है जिसके दायरे में समन्वित बाल विकास सेवा, आंगनबाड़ी सेवा, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और राष्ट्रीय शिशु गृह कार्यक्रम को शामिल कर लिया गया है। मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाओं और बाल कल्याण सेवाओं) के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। मिशन शक्ति (महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण के अभियान) के लिए 3109 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मिशन शक्ति के निम्नलिखित घटक हैं : संभल (एक ही स्थान पर महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हैल्पलाइन/स्वाधार/उज्ज्वला, विधवा आश्रम जैसी सुविधा देने वाले केन्द्र) और सामर्थ्य (बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, शिशु गृह, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जेंडर बजटिंग, कौशल संपन्न बनाना, प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि)। महिला और बाल विकास मंत्रालय के स्वायत्त निकायों - राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, राष्ट्रीय महिला आयोग और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिए आवंटन को भी 2021 के बजट में बढ़ा दिया गया है।

(आगे का भाग आवरण पृष्ठ 3 पर...)



प्रधान संपादक : राकेशरेणु
 वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
 संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकोंप कार्यालय

648, मूर्ति भवन, सीजीओ परिसर,
 लोधी रोड, नया दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : के रामलिंगम
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मध्य उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के विन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही इकट्ठकोष है।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए चोंजन उत्तरसायों नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक है। ये मानचित्र व प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वाये आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय शांतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आकड़ों/लिंगिकों/इनकांग्रेफिक्स के संबंध में उत्तरदाती नहीं हैं।

योजना घर में, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान को विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ-69 पर देखें।

योजना को सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 माहों का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मेंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
 pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें - दूरभाष: 011-24367453

(सामवार में शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
 प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन उपलब्ध के लिए संपर्क करें-

गौरव शर्मा, सपादक, पत्रिका एकाश
 प्रकाशन विभाग, बामरा स. 779, सातबा बल,
 मूर्ति भवन, सीजीओ परिसर,
 लोधी रोड, नया दिल्ली-110003

इस अंक में

प्रमुख आलेख

वित्त आयोग

एन के सिंह 6



फोकस

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में

डॉ अंजय भूषण पांडे 13



विशेष आलेख

शर्तों के साथ कर्ज

डॉ सम्जन एस यादव,

सूरज कुमार ग्रधान 20

सामाजिक क्षेत्र का सशक्तीकरण

ग्रो सचिन चतुर्वेदी 27



बजट: आर्थिक विकास के लिए सर्वोच्ची वित्तीय निर्णय 32

कृषि और किसानों की वेहनगी का लक्ष्य दौ ज्ञानीय मञ्चों 36



मूलभूत सुविधाओं का मजबूत ढाँचा जो रघुगान 41

विज्ञान, अनुसंधान और अंतरिक्ष की उड़ान अनिल ब्रह्मल 47

मानव पूँजी और गुणवत्तापरक शिक्षा का जोड़ता बजट

डॉ रहीम मिह 52

जलवायु परिवर्तन की चुनौती में निपटने के उपाय

ब्रेयांश जैन 58



भारत का अमृत महोत्सव

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

दीपक चागला 64

नियमित स्तंभ

विकास पथ

महिलाओं से जुड़ी बजट घोषणाएँ करने-2 क्या आप जानते हैं?

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 39

प्रकाशन विभाग के देश भा में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृष्ठ 34

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिशा, पंजाबी तथा उड़ी में एक साथ प्रकाशित।



आपकी राय

yojanabindhu.india@gmail.com



भारत का अमृत महोत्सव

'भारत का अमृत महोत्सव' (भारत@75) पर आधारित योजना जनवरी 2021 के विशेषांक के लिए मैं संपादक एवं योजना के समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। यह विशेषांक न केवल भारत के गौरवमय इतिहास को बखूबी प्रदर्शित करता है बल्कि वर्तमान में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हुए निरंतर विकास को भी प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार भारत ने अपने समक्ष आने वाली समस्त चुनौतियों का सम्मान करते हुए वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। शिक्षा, अंतरिक्ष, उद्योग, सिनेमा, कृषि, स्वास्थ्य एवं खेल जगत में निरंतर प्रगति करते हुए भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस अंक के लेख 'भारतीय कला एवं संस्कृति' ने विशेष रूप से मुझे प्रभावित किया क्योंकि इस लेख ने मुझे भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय दर्शन के बारे में अपूर्ण जानकारी प्रदान की। कला का उद्देश्य ही व्यक्ति को रोजर्मा के कामों से अलग ले जाकर उसे कुछ पल के लिए आनंद प्रदान करना है एवं व्यक्ति के अंदर सृजन की क्षमता को जन्म देना है।

मैं सभी से यह आग्रह करती हूँ कि इस विशेषांक को अवश्य पढ़ें, यह लेख न केवल आपकी भारत के प्रति समझ में विस्तार करेगा बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी मार्गदर्शक साधित होगा।

- अंशिता यादव

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

साहित्य समाज का आईना

साहित्य किसी भी देश, समाज का वास्तविक आईना होता है। 'भारतीय साहित्य' को समर्पित योजना पत्रिका के फरवरी अंक ने भारतीय साहित्य के विविध पहलुओं को

गांगर में सागर के समान समझाते हुए यहुत अच्छा ज्ञानवर्धन किया। भारत के प्राचीन काल से लेकर आज तक तथा हिंदी से लेकर संस्कृत, तामिल और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में योगदान को एक साथ रखना सच में काविल ए तारीफ है। राष्ट्र निर्माण में इस विशिष्ट योगदान हेतु योजना पत्रिका की पूरी टीम को बहुत बधाई और धन्यवाद।

- मनीष रमन
अलवर, राजस्थान

नये भारत के निर्माण में

विभिन्न पहलु

योजना जनवरी 2021 अंक कई मायनों में खास रहा है क्योंकि सभी प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा नये भारत के निर्माण में विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें समावेश किया गया जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक, राजनीतिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के साथ वैश्विक स्तर पर भी भारत को एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने की चर्चा की गई। इन सभी पहलुओं पर हमें 75 वर्षों का एक सारांभित वैचारिक दृष्टिकोण पढ़ने को मिला। एक आलेख में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन से नये भारत के निर्माण में मजबूत आधार की बात की गई है जो सही भी है, क्योंकि शिक्षा ही नये भारत के निर्माण

की नींव है। विज्ञान, गणित और भाषा को बढ़ावा देने में मौलिकता, रचनात्मकता और सृजनात्मकता से जिन नये क्षेत्रियों का विस्तार होगा वह भारत को नये भारत की ओर ले जाएगा।

- कल्पना विश्वकर्मा
गयवरेली, उत्तर प्रदेश

सीमित पटल पर महासमुद्र

फरवरी 2021 अंक में स्वामी विवेकानंद के कथन- "पुस्तक अनंत है और सम्यक सीमित है, ज्ञान का रहस्य यही है कि जो आवश्यक है उसे ग्रहण कर लिया जाए", को पूरी तरह चरितार्थ किया गया है। साहित्य जगत के विभिन्न पक्षों की जानकारी ज्ञानवर्धक और रोचक है। समाज साहित्य को प्रभावित करता है। जैसा साहित्य रवा जा रहा है, समाज उन्हों का अनुकरण करता है। जनमानस के अवचेतन में उसी प्रकार के विचारों का प्रवाह बनता है। साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में करुणा, उदारता और सद्भावना का संदर्भ फैला सकता है। योजना के सीमित पटल पर भारतीय साहित्य के महासमुद्र को अकिञ्चित किया गया है, इसके लिए संपादक साधुवाद के पात्र हैं।

- विश्वनाथ सिंहानिया
जयपुर, राजस्थान

पत्रिका न मिलने की शिकायत अथवा


योजना की सदस्यता लेने या

पुराने अंक मंगाने के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें।

या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453

(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर

प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)



संपादकीय

बजट



केंद्रीय बजट 2021-22



तत्र भारत के पहले बजट भाषण में तत्कालीन वित्तमंत्री आर के पणमुखम चंटटी ने कहा था, “देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है आंतरिक उत्पादन बढ़ाना... इसलिए हमें अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहना होगा।”

2021-22 के केंद्रीय बजट में भी आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है। बजट भाषण में, वित्तमंत्री ने जोर देकर कहा कि बजट प्रस्तावों से- सबसे पहले राष्ट्र, किसानों की आमदनी दोगुना करने, मजबूत बुनियादी ढांचे, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तीकरण तथा समावेशी विकास के संकल्प को और मजबूती मिलेगी।

आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिगोचर के अनुरूप, बजट इन छह संभां पर टिका है - स्वास्थ्य तथा आरोग्य, भौतिक तथा विज्ञाय पूँजी तथा अवसरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूँजी को सशक्त करना, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास तथा न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन।

स्वास्थ्य को बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा एक नई केंद्र-प्रायोजित ‘प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ पर निवेश काफी बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों में मौजूदा क्षमता बढ़ाना और नई संस्थाओं का विकास तथा नई बीमारियों को पहचान और उपचार करना है। 112 आकांक्षी जिलों में पोषण की स्थिति बेहतर बनाने के लिए चल रहे मिशन पोषण 2.0 को और तेज करना भी सरकार का उद्देश्य है।

शहरी क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के 2.86 करोड़ घरों में नल के पानी का प्रवंध किया जाएगा और 500 ‘अमृत’ शहरों में जल मल प्रबंधन किया जाएगा। वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दस लाख से ज्यादा आवादी बाले शहरों के लिए 2,217 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्तमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर 10 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि ज़रूरी है। इसके लिए विनिर्माण कंपनियों को आधुनिकतम टेक्नोलॉजी और क्षमताएं जुटाते हुए वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ना होगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 13 क्षेत्रों में वैश्विक रूप से अग्रणी इकाइयों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव्स-पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की गई है। इन प्रयासों से प्रमुख क्षेत्रों में कंपनियों का आकार और उत्पादन बढ़ेगा, वैश्विक स्तर की कंपनियां पनपेंगी और युवाओं को ज्यादा रोजगार मिलेंगे।

अवसरचना क्षेत्र में, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 13,000 किलोमीटर नई सड़कों के काम को मंजूरी दी गई है और मार्च 2022 तक, राष्ट्रीय राजमार्ग करोड़ों के 11,000 किलोमीटर के हिस्से को पूरा करने के लिए 8,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाने को मंजूरी दी जाएगी। बड़े शहरों के आसपास के क्षेत्रों तथा दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में, मेट्रो रेल जैसी ही सुविधाओं वाली काफी किफायती मेट्रोलाइट और मेट्रोनिओ गाड़ियां चलाई जाएंगी।

समावेशी विकास और आकांक्षी भारत के स्तम्भ के तहत, खेती और संबन्धित क्षेत्रों, किसानों, ग्रामीणों, प्रवासी तथा अन्य श्रमिकों को भलाई के अनेक कदम उठाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप, 15,000 स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी और स्वयंसेवी संस्थाओं/निजी स्कूलों/राज्यों की भागीदारी से 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए एक शीर्ष संस्था - भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने का भी प्रस्ताव है जिसके चार अंग - मानक निर्माण, मान्यता देने, नियमन और अनुदान देने के काम करेंगे।

बजट के छठे तथा अंतिम स्तम्भ के अंतर्गत - ट्रिब्यूनलों के कामकाज में सुधार के अनेक उपाय किए जाएंगे ताकि जल्दी न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

महामारी की वजह से राजस्व-प्राप्ति में कमी आई है। जन-स्वास्थ्य की स्थिति सुधरने और धीरे-धीरे लॉकडाउन समाप्त होने के साथ-साथ, देशी मांग बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाया गया। सरकार राजकोषीय स्थिति को सुधारने के निरंतर प्रयास कर रही है। केंद्रीय बजट में कर प्रशासन, विवादों के निपटान तथा प्रत्यक्ष करों के भुगतान की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के प्रयास किए गए हैं। आयकर अपौल ट्रिब्यूनल में अधिकारियों से मिलने की ज़रूरत न हो और ऑनलाइन निपटान हो सके, ऐसी फेसलैस व्यवस्था की जा रही है।

कोविड-19 के बाद उभरती नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की अगणी भूमिका होगी। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक वृद्धि में मूलभूत सामाजिक सुविधाओं में निवेश और इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया है ताकि सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के साथ सतत विकास के लक्ष्य हासिल हो सकें। कुल मिलाकर, बजट प्रस्तावों से ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ तथा व्यवसाय करने और जीवन के हर क्षेत्र में सुगमता को निश्चित रूप से बल मिलेगा।

वित्त आयोग

एन के सिंह

वित्त आयोग की अवधारणा हमारे देश के संविधानिक इतिहास में अंतर्निहित है। एक मायने में यह हमारे संविधान से भी कहीं अधिक पुरानी है। संविधान मध्य की बहसें केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों की साझेदारी के तौर-तरीकों पर मतभेदों और अंतर से भरी पड़ी हैं। इन्हीं की पृष्ठभूमि में 1949 में श्री सं. डी. देशमुख की अध्यक्षता में अंतरिम वित्त आयोग गठित किया गया था और उसे केंद्र तथा राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी।

वि

त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 से विनियमित होता है जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ केन्द्र और राज्यों के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के तौर-तरीकों के साथ-साथ विभाजन योग्य संसाधनों का नियमन करने वाले सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है। अंतरिम आयोग के बाद 22 नवंबर, 1951 को पहले वित्त आयोग का गठन किया गया और श्री के.सी. नियोगी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तब से 15 वित्त आयोग गठित किये जा चुके हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं चार प्रतिष्ठित सदस्यों वाले इस आयोग की अध्यक्षता कर रहा हूं।

पढ़हवें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर, 2017 को किया। 2021-26 के लिए राष्ट्रपति को पेश की गयी इसकी रिपोर्ट के शीर्षक 'वित्त आयोग-कोविड के दौर में' से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे वक्त जब देश की अर्थव्यवस्था महामारी से त्रस्त हो और संसाधन सिमट कर रह गये हों तो आयोग का कार्य कितना मुश्किल रहा होगा। इस रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार ने । फरवरी, 2021 को संसद में प्रस्तुत अपनी कार्बवाई रिपोर्ट में ज्यादातर सिफारिशों स्वीकार कर ली हैं।

वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 270, 275 और 280 के अंतर्गत धनराशियों का अंतरण करता है और इन अनुच्छेदों में केन्द्र और राज्यों के बीच करों और रुज़स्व के उर्ध्वाधर (हारिज़ोटल) और सभी राज्यों के बीच धैतिज (वर्टिकल) बंटवारे की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त आयोग को एक अतिरिक्त

लेखक चरिष्ट अर्थशास्त्री, नीति सलाहकार तथा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं।

ईमेल: nandu@nksingh.com

जिम्मेदारी भी सौंपी गयी थी। उसे राज्यों के साथ राजस्व के बंटवारे के अलावा विशेष रूप से उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की अनुदान सहायता देने के राजकोपीय सिद्धांतों की समोक्षा करने और उन पर टिप्पणी करने को कहा गया था। आयोग को कार्यनिष्पादन पर आधारित प्रोत्साहनों पर विचार करने को कहा गया था ताकि राज्य और/या स्थानीय सरकारों को उनके प्रयासों के विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों में समुचित स्तर पर मदद देकर प्रोत्साहित किया जा सके। आयोग को सौंपा गया एक अन्य विचारणीय विषय प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए वित्त पोषण की सिफारिशों करने की प्रणाली का निर्धारण करना था।

आयोग को अपनी शुरुआत से ही अनेक चुनौतियों का समान करना पड़ा जिनमें से एक 2011 की जनगणना के आंकड़ों के उपयोग को लेकर था। जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ राज्यों की आशंकाएं थीं और उन्हें लगता था कि अपने कुशल जनसंख्यकीय प्रबंधन के बावजूद उन्हें दोड़त किया जा सकता है। इसके अलावा अव्यपगत रक्षा निधि और कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन के कुछ मानदंडों के उपयोग को लेकर भी चुनौतियां थीं जिन्हें इस रिपोर्ट में उचित तरीके से निपटा लिया गया।

वित्त आयोग को संविधान में संतुलन कायम रखने वाला पहिला कहा जाता है क्योंकि इसका गठन संघ और राज्यों के संसाधनों और खर्चों के बीच संरचनागत और स्वाभाविक असंतुलनों को सही करने के लिए किया गया है। इस असंतुलन को दूर करने से ही समुचित उर्ध्वाधर अंतरण की बुनियाद तैयार होती है।

उधारं अंतरण : दृष्टिकोण और नक्ष

संविधान ने संघ और राज्यों, दोनों ही को कराधान के विभिन्न स्रोतों से राजस्व जुटाने का अधिकार देने के साथ-साथ यह जिम्मेदारी भी सौंपी है कि वे सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट तीनों सूचियों (संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) के विषयों पर धन खर्च करें। संविधानिक प्रावधानों के तहत की गयी व्यवस्थाओं से ही केन्द्र सरकार को कर लगाने और संसाधन जुटाने की अधिक शक्तियां पिलती हैं जबकि राज्यों को खर्च करने की जिम्मेदारियां अधिक सौंपी गयी हैं। उदाहरण के लिए 2018-19 में केन्द्र सरकार और राज्यों के संसाधनों में से 62.7 प्रतिशत संसाधन केन्द्र ने जुटाए, जबकि राज्यों ने केन्द्र और राज्यों के खर्च का 62.4 प्रतिशत खर्च किया। स्पष्ट है कि दोनों के बीच संरचनात्मक उधारं असंतुलन है जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि केन्द्र की ओर से राज्यों को संसाधनों का अंतरण व्यवस्थित तरीके से हो। राजस्व और व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों के बीच यह असंतुलन समुचित उधारं अंतरण का आधार है।

15 वें वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस अंतरण को 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इससे संसाधनों का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी और उनमें स्थिरता बनायी रखी जा सकेगी, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा है। यह उधारं अंतरण हमारी पहली रिपोर्ट में अनुशासित हिस्से और चौदहवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित किये गये संसाधनों के अनुरूप है। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में इस आयोग ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के बदले हुए दर्ज के मद्देद नजर नये केन्द्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) के लिए करीब एक प्रतिशत का समायोजन किया है क्योंकि अब इन प्रदेशों को संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब केन्द्र सरकार पर आ गयी है। इस स्तर के उधारं अंतरण से जहाँ संघ को अपनी जिम्मेदारी पूरा करने का अवसर मिलेगा वहाँ केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने मुक्त संसाधनों को उचित स्तर पर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

क्षेत्रिक वितरण

करों का क्षेत्रिक आधार पर अंतरण आवश्यकता, समता और कार्यनिष्ठादान के

चुनौती भरे दौर के बावजूद, आयोग का मानना है कि केन्द्र और राज्यों तथा सरकार के तीसरे स्तर के बीच संसाधनों का आवंटन इस तरह से किया गया है कि यह न्यायोचित, युक्तिसंगत, सही और समतापूर्लक हो। असल में इसी अर्थ में यह विश्वास की हमारी परम्परा को जारी रखने का प्रयास है—एक ऐसा विश्वास जो इसे 1949 में अपनी शुरुआत के समय तदर्थ रूप में विरासत में मिला और इस परम्परा को हमने अविच्छिन्न बनाए रखा है।

आधार पर किया जाता है। लेकिन समता और दशता के बीच संतुलन कायम करना कोई आसान काम नहीं है। देश में व्यापक विविधताएं हैं और राज्य विकास के विभिन्न चरणों में गुजर रहे हैं। उनमें इतिहास, पूर्णाल, अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र से संबंधित जो जटिलताएं हैं उनका असर उनके राजस्व और व्यय पर भी पड़ता है। राज्यों के विकास में मदद के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की निश्चित रूप से आवश्यकता है, लेकिन इसमें भी कोई संरेख नहीं कि संसाधनों का कारगर तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक ऐसी विशेषता है जो विभिन्न राज्यों में स्पष्ट रूप से नजर आती है।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पंद्रहवें वित्त आयोग ने संसाधनों के क्षेत्रिक बटवारे के मानदंड तय करते समय खर्च की आवश्यकता, समानता और कार्यनिष्ठादान के सिद्धांतों के बीच तालमेल कायम करने का प्रयास किया है और मोटे तौर पर कुछ बातों को उचित महत्व भी दिया है। आयोग ने करों के क्षेत्रिक अंतरण के लिए भी मानदंड तय किये हैं। देखिए टेबल-1.


टेबल-1 : करों के क्षेत्रिक अंतरण के लिए

15 वें वित्त आयोग द्वारा सुझाये गये मानदंड

मानदंड	वेटेज (महत्व) प्रतिशत में
जनसंख्या	15
क्षेत्र	15
वन और पारिस्थितिकी	10
आय अंतराल	45
कर एवं राजकोपीय प्रयास	2.5
जनसाधिकीय कार्यनिष्ठादान	12.5
	100

जैसा कि बुनियादी तर्क से स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या, क्षेत्रफल और वन तथा पारिस्थितिकी आवश्यकताओं पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि आमदनी-दूरी मानदंड समता मूलक सिद्धांत का आधार है। इन मानदंडों के अलावा वित्त आयोग ने कर और राजकोपीय प्रयासों तथा जनसंख्या के क्षेत्र में कार्यनिष्ठादान को कामकाज का मानदंड बनाया है ताकि इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अन्य राज्यों की आशंकाएं दूर हो सकें।





चार्ट-1 : राज्यों का प्रति व्यक्ति सकल राज्य धरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रति व्यक्ति अंतरण

यह बात गौर करने की है कि छठे वित्त आयोग से लेकर आगे के सभी आयोगों ने सिफारिशों करते समय अपने विचारणीय विषयों के अंतर्गत दिये गये निर्देशों के अनुसार 1971 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया। 15वें वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में इसके चार दशकों के बाद की जनगणना के नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करने को कहा गया था। इससे एक गंभीर समस्या यह उठ खड़ी हुई कि ऐसा करने से कुछ राज्यों के लिए संसाधनों के आवंटन में भारी बदलाव आ सकता था। इसके अलावा जनगणना के नवीनतम आंकड़ों का अचानक उपयोग करना उन राज्यों के लिए अनुचित होता जिन्होंने जनसांख्यिकीय प्रबंधन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अच्छा कार्य किया था। इसके साथ ही आयोग के विचारणीय विषयों में ही यह निर्देश भी दिया गया था कि हम जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने की दिशा में प्रयास और प्रगति करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करें। इसलिए जनसांख्यिकीय कार्यनिष्पादन को मानदंड बनाने से सब मसले हल हो गये।

बहरहाल, राज्यों को आवंटन काफी हद तक समतामूलक रहा है जैसा कि चार्ट-1 से स्पष्ट है। इसमें दिखाया गया है कि हमने ऐसे राज्यों को अपेक्षाकृत उच्चतर प्रति व्यक्ति कर अंतरण की सिफारिश की जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम थी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आयोग द्वारा राज्यों के लिए अनुशसित समग्र आवंटन प्रगतिशील उपाय है।

अनुदान सहायता

करों के रूप में हुई कुल प्राप्तियों के वितरण के बाद वित्त आयोग को सीधी गयी दूसरी मूल जिम्मेदारी थी अनुदान सहायता देने के मानदंडों का निर्धारण, इनके आधार पर राज्यों की आवश्यकताओं वा आकलन और राजस्व जुटाने व व्यय


के बाहित सर (दोनों ही पर) उन्हें लागू करना। इसके पश्चात ही आयोग को अनुदान की विशिष्ट राशि की सिफारिश करनी थी।

आयोग ने अनुदानों की पांच अलग-अलग श्रेणियों की अनुसंधानी की है:

1. राजस्व घाटा अनुदान,
2. स्थानीय सरकारों के लिए अनुदान,
3. आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान,
4. क्षेत्र विशेष के लिए अनुदान, और
5. राज्य विशेष के लिए अनुदान।

आयोग ने अतीत में भी इसी तरह के अनुदानों की सिफारिश की थी। कुल अंतरण के अनुपात के रूप में अनुदान को समग्र राशि छठे वित्त आयोग के समय में 26.1 प्रतिशत से सातवें वित्त आयोग के जमाने में 7.7 प्रतिशत हो गयी। 15वें वित्त आयोग ने 10,33,062 करोड़ रुपये के कुल अनुदानों की अनुशंसा की जो राज्यों के लिए अनुशसित कुल अंतरण का 19.65 प्रतिशत है।

आयोग का मानना है कि राजस्व घाटे संबंधी अनुदानों से राज्यों को वित्त आयोग द्वारा अनुशसित कर अंतरण के तरीके में बदलावों के साथ समायोजित होने के लिए समय मिल जाएगा और वे अपनी आकलित आवश्यकताओं, क्षमता और कार्यनिष्पादन के आधार पर कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा अनुदान सहायता किसी खास लक्ष्य को ध्यान में रखकर दी जाती है और कुछ हद तक बुनियादी सामाजिक सेवाओं में मानदंडों की बराबरी करती है। इस तरह के कुछ अनुदानों को कार्यनिष्पादन आधारित मानदंड से भी जोड़ा गया है जिनके जरिए राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ क्षमताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इतना ही नहीं, कार्यनिष्पादन के मानदंड को राजकोषीय अंतरण से जोड़ने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ायी जा सकती है।



नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सुधार के बारे में फोड़बैंक प्राप्त किया जा सकता है और व्यय की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकती है।

राजस्व घाटा अनुदान

यह बात स्पष्ट है कि फार्मूले पर आधारित कोई भी क्षेत्रिक अंतरण देश के सभी 28 राज्यों में से प्रत्येक को आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता व्यांक सबको वित्तीय क्षमताएं और लागत अक्षमताएं एक-दूसरे से काफी भिन्न हैं। इसलिए आयोग ने केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों में से 1.92 प्रतिशत राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुछ खास राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है। 2,94,514 करोड़ रुपये का सकल राजस्व घाटा अनुदान कार्यकाल के दौरान घटता चला गया है।

स्थानीय सरकार अनुदान

आयोग ने 2021-26 की अवधि के दौरान स्थानीय सरकारों के लिए कुल 4,36,361 करोड़ रुपये की अनुदान साझा तय की है। इस कुल अनुदान में से 8,000 करोड़ रुपये नये शहरों के इनक्यूबेशन (उद्भवन) के लिए कार्यनिष्ठादान आधारित अनुदान के रूप में हैं और 450 करोड़ रुपये साझा म्यूनिसिपल सेवाओं के लिए हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1,21,055 करोड़ रुपये और स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के लिए 70,051 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक को उसकी विशेष आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार अनुदान देने के लिए अलग-अलग मानदंडों का उपयोग किया गया है। केवल ऐसे शहरों/कस्बों को बुनियादी अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए शत प्रतिशत अनुदान उनके कार्यनिष्ठादान से जुड़ा है और मिलियन प्लस सिटीज बैलेज फंड (एम.सी.एफ.) के जरिए दिया जाता है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15 वें वित्त आयोग के आवंटन के अंतर्गत तीनों स्तरों के पंचायत निकायों-ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों के साथ-साथ वे इलाके भी शामिल हैं जिन्हें संविधान के खंड नौ और खंड नौ-क के प्रावधानों से छूट मिली हुई हैं।

ग्रामीण-शहरी अंतरण शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्रमशः बढ़ता गया है। 2021-22 में यह 67.33 से 2025-26 में 65.35 हो गया है। शहरों के प्रति इस द्विकाव से देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण का पता चलता है। कुल आवादी में शहरी जनसंख्या का हिस्सा 2001 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31 प्रतिशत हो गया और इस समय वह इसमें भी अधिक है।

स्थानीय निकायों के अनुदानों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। ग्रामीण और शहरी (10 लाख से कम जनसंख्या वाले) दोनों ही प्रकार के स्थानीय निकायों को बुनियादी अनुदान के साथ-साथ



संबद्ध अनुदान और कार्यनिष्ठादान पर आधारित अनुदान (जैसे स्वच्छता, तोस अपशिष्ट प्रबोधन और मेट्रो शहरों में स्वच्छ वायु) के लिए अनुदान दिये जाते हैं। स्थानीय निकायों के कुशल और सुनारू रूप से काम करने तथा जबाबदेही सुनिश्चित करने में निम्नलिखित बाधाएं हैं:

- राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों का समय पर न आना और उस पर उचित कार्रवाई न होना,
- हिसाब-किताब और लेखा का समय पर और आसानी से उपलब्ध न होना, और
- संपत्ति कर राजस्व का अपर्याप्त संग्रह किया जाना।

वित्त आयोग ने अतीत में इन मुद्दों की ओर पहले भी ध्यान दिलाया है, लेकिन स्थिति सुधारने में सीमित राफलता ही मिली है। 15 वें वित्त आयोग ने अब अनुदान का फायदा उठाने वालों के लिए इन्हें प्रारंभिक स्तर की शर्तों के रूप में रखा है।

आपदा प्रबंधन अनुदान

आपदा प्रबंधन अनुदानों का आकलन करते समय आयोग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मिटिगेशन फंड यानी उपशमन निधि बनाने की सिफारिश की है। इसका उपयोग स्थानीय स्तर पर और समुदाय आधारित उन उपायों के लिए किया जाना चाहिए जिनसे जोखिम में कमी आये और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बस्तियों और आजीविका के तौर-तरीकों को बढ़ावा मिले। राज्यों में आपदा प्रबंधन के लिए आयोग ने 2021-26 की अवधि में एस.डी.आर.एम.एफ. के लिए कुल 1,60,153 करोड़ रुपये की निधि की सिफारिश की है।

इसमें केन्द्र का हिस्सा 1,22,601 करोड़ रुपये और राज्यों का 37,552 करोड़ रुपये होगा। क्षेत्र विशेष और राज्य विशेष से संबंधित अन्य अनुदान

क्षेत्र विशेष से संबंधित अनुदान के अंतर्गत आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों, न्यायपालिका, सांख्यिकी और आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉकों के लिए कार्यनिष्ठादान आधारित अनुदान और प्रोत्साहनों की सिफारिश की है।

आयोग ने विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य के खंड और उससे संबंधित सुविधाओं तथा बुनियादी दांचे का विस्तृत विश्लेषण करके स्वास्थ्य क्षेत्र

पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर, 2017 को किया। 2021-26 के लिए
राष्ट्रपति को पेश की गयी
इसकी रिपोर्ट के शीर्षक 'वित्त आयोग कोविड के दौर में' से ही
इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे वक्त जब देश की अर्थव्यवस्था महामारी से ब्रह्म हो और संसाधन सिमट कर रह गये हों तो आयोग का कार्य कितना मुश्किल रहा होगा।

पर विशेष ध्यान दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के सामने अब भी कम निवेश, राज्यों राज्यों के बीच स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, राज्यों के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों और डाक्टरों व अधिकारियों की कमी तथा पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र न होने जैसी कई बड़ी चुनौतियाँ हैं। इन्ही को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पांच साल की अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र को 1,06,606 करोड़ रुपये की कुल अनुदान सहायता देने की सिफारिश की है जो आयोग की ओर से अनुशासित कुल अनुदान सहायता का 10.3 प्रतिशत है। भारत सरकार ने 2021-22 के अपने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष जोर दिया है।

यही नहीं, सरकार ने भी अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा है कि वह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं तैयार करते समय इन अनुदानों का पूरा ध्यान रखेगी। आयोग द्वारा संस्तुत सभी अनुदानों का सारांश टेबल-2 में दिया गया है:

टेबल-2

क्र.सं.	अनुदान के घटक	2021-26
1.	राजस्व धारा अनुदान	294514
2.	स्थानीय सरकारों को अनुदान	436361
3.	आपदा प्रबंधन अनुदान	122601
4.	क्षेत्र विशेष से संबंधित अनुदान	129987
i	स्वास्थ्य के लिए क्षेत्रीय अनुदान	31755
ii	स्कूली शिक्षा	4800
iii	उच्च शिक्षा	6143
iv	कृषि सुधारों पर अमल	45000
v	पीएमजीवाइएस सड़कों का रखरखाव	27539
vi	न्यायपालिक	10425
vii	सार्विकी	1175
viii	आकांक्षी जिले और ब्लॉक	3150
5.	राज्य विशेष से संबंधित	49599
	कुल	1033062

1 से 3 में बताये गये सभी अनुदानों को केन्द्र सरकार ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। कार्रवाई रिपोर्ट में क्षेत्र विशेष से संबंधित अनुदानों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं या केन्द्र सरकार की अन्य पहलों के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। इस संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री ने भी घोषणा की है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय परिव्यय के समूचे स्वरूप, आवंटन के तरीके और योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि खर्च को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। राज्य विशेष से संबंधित अनुदानों के बारे में कार्रवाई रिपोर्ट में बताया गया है कि राजकोषीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस पर गहराई से विचार किया जाएगा।

प्रतिरक्षा निधि

वैश्विक संदर्भ में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए मौजूदा सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्त आयोग ने निवल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र और राज्यों के तुलनात्मक हिस्से को फिर से निर्धारित

किया है और अपने अनुदान वाले हिस्से में एक प्रतिशत कमी की है। इससे केन्द्र विशेष वित्त पोषण प्रणाली के लिए संसाधनों का आवंटन कर सकेगा और इसके लिए रिपोर्ट में प्रस्ताव कर दिया गया है। यह भी अनुशंसा की गयी है कि केन्द्र सरकार भारत के लोक नेतृत्व के अंतर्गत प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण निधि (मॉडर्नाइजेशन फड़ फॉर डिफेंस एड इटर्नल मिक्सरिटी-एम.एफ.डी.आई.एस.) के रूप में अव्यपगत निधि का गठन कर सकती है। 2021-26 की अवधि के लिए एम.एफ.डी.आई.एस. का प्रस्तावित सांकेतिक आकार कुल 2,38,354 करोड़ रुपये है। यह सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है।

सरकार ने अव्यपगत निधि के सिद्धांतों को स्वीकार किया है-यह एक महत्वपूर्ण मील का पथर है क्योंकि प्रतिरक्षा मन्त्रालय से समय से अपने पूर्जीगत खर्च को पूरा करने के लिए अधिक स्थिति और वित्तीय संसाधनों को पूर्वानुमान योग्य बनाने की वकालत करती आयी है। आयोग ने वित्त पोषण के ताँर-तरीकों के बारे में सुझाव दिया है जिस पर केन्द्र सरकार आगे विचार करेगी। लेकिन अव्यपगत निधि के गठन से प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए पर्याप्त पूर्जीगत खर्च का मुद्रा सुलझाने में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। वित्त आयोग द्वारा सुझाये गये एक फार्मूले के अनुसार जहां प्रतिरक्षा के लिए 40,000 करोड़ रुपये वार्षिक की राशि उपलब्ध करायी जाएगी, वहाँ अर्थसंनिक बलों का दर्जा बढ़ाने के लिए गृहमंत्रालय को सालाना 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे। अंत में भारत के सशस्त्र और अर्थसंनिक बलों के महान बलिदानों को देखते हुए जवान कल्याण कांप में सालाना 1,000 करोड़ रुपये की राशि देने की सिफारिश की गयी है।

निष्कर्ष

अपनी सिफारिशों देते समय वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, व्यापारिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों और अर्थशास्त्रियों समेत सभी संबंधी पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। आयोग ने सलाहकार परिषदों, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों, धिक्क टैक्स, स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले उच्चस्तरीय समूहों और के विशेषज्ञों की भी राय ली। चूंकि आयोग को अल्पतं अनिवार्य परिस्थितियों में पूर्वानुमान लगाने और सिफारिशों करने में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने व्यापक विविधताओं वाले इस देश में कुशल, समतामूलक और समावेशी समाधान खोजने के लिए संबंधी पक्षों के दृष्टिकोणों के बीच तालमेल कायम करने के अपने प्रयास लगातार जारी रखे।

चुनौती भरे दौर के बाबूजूद, आयोग का मानना है कि केन्द्र और राज्यों तथा सरकार के तीसरे स्तर के बीच संसाधनों का आवंटन इस तरह से किया गया है कि यह न्यायोचित, युक्तिसंगत, सही और समतामूलक हो। असल में इसी अर्थ में यह विश्वास को हमारे परम्परा को जारी रखने का प्रयास है-एक ऐसा विश्वास जो इसे 1949 में अपनी शुरुआत के समय तदर्थ रूप में विरासत में मिला और इस परम्परा को हमने अविच्छिन्न बनाए रखा है।

यहाँ पर मार्क्स ऑक्ट्रीलियस की प्रार्थना का उद्धरण देना सामरिक होगा- “भविष्य को लेकर कभी चिंतित न हो। संयोग होगा, तो अपने उससे अवश्य मिलेंगे और उस वक्त तक के वही हथियार आपके पास होंगे जो आप इस समय ‘वर्तमान’ से अपनी रक्षा के लिए धरते किये हुए हैं।”

योजना, मार्च 2021

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में

डॉ अजय भूषण पांडे

बजट में परिसंपत्ति मौद्रीकरण, विनिवेश तथा जन-स्वास्थ्य और सार्वजनिक अवसरचना पर ध्वनि के लिए भारत के विकास के प्रक्षेप पथ (ट्रेज़ेक्टरी) पर आगे बढ़ाने में लंबी छलांग लगाने हुए अंग्रेजी के लिए अक्षर की आकृति में सुधारों की परिकल्पना की गयी है जिससे रोज़गार के अवसरों और जग्नि में वृद्धि होगी। यह अपनी रणनीति में पारदर्शी और यथार्थवादी है और अपने मार्ग, क्षमताओं और अनुभवों को लेकर हमारा दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। मुझे पूरा यकीन है कि आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने, नवाचार और आर्थिक विकास के फायदे सभी लोगों, खास तौर पर गरीबों और समाज के हाशिये वाले (सीमांत) व उपेक्षित वर्गों तक पहुंचाने को लेकर बजट प्रस्तावों में किये गये हमारे वायदों का फायदा सब लोगों तक उत्तरोत्तर पहुंचेगा।

ब

जट 2021-22 कोविड-19 महामारी के कठिन दिनों में भविष्य की दिशा में लंबी छलांग लगाने के उद्देश्य से तैयार किया गया सुधारात्मक बजट है। सदियों में कभी-कभार फैलने वाले महामारी के इस तरह के प्रकारप से निपटने के लिए सरकार कई आर्थिक पैकेज लाइ, जो किसी छोटे-मोटे बजट से कम नहीं थे। बजट में विकास की गुजाइश रखकर क्रमशः आगे बढ़ने के दृष्टिकोण पर आधारित बजट बनाने की बजाय इस बार सरकार गंभीर वित्तीय चुनौतियों के बाबजूद भारत को 2024 तक 5 द्विलियन हालर की अर्थव्यवस्था बनाने और आत्मनिर्भर भारत के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमर कसे हुए थी।

पिछले साल मार्च से जब कोविड-19 महामारी ने भारत में सिर उठाया तो देश भर में 100 से अधिक दिनों के लिए राष्ट्रव्यापो लॉकडाउन लागू कर दिया गया जिससे मानवीय पूँजी और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। भारत के लोगों को अभूतपूर्व विपदाओं का सामना करना पड़ा। सरकार महामारी और उससे उत्पन्न रिश्ति पर गहरे निगाह रखने थी और उसने भारत की जनता और अर्थव्यवस्था पर महामारी के असर की रोकथाम और इससे निवटने के लिए एक कं बाद एक, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक उपक्षेत्र से दूसरे उपक्षेत्र में चरणवड तरीके से कार्रवाई की।


आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार कई पैकेज लेकर आयी जिनमें परिवारों के लिए खाद्य पदार्थों और सांड गैम जैसी वस्तुओं की आपूर्ति और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों, महिला जन धन खाता धारकों और किसानों के खातों में नकद गश्त के अंतरण; स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा; मनस्तंग मजदूरों की मजदूरी में बढ़ातरी तथा भवन और अन्य निर्माण कर्मियों के लिए सहायता; स्वयं सहायता समूहों को बगेर जमानतों के कर्ज देने; कर्मचारी भविष्य निभि अंशदान में कमी करने; सीमांत

किसानों के लिए रोज़गार के अवसर जैसे राहत उपाय शामिल थे। इसलिए इस बजट को पिछले मिनी बजटों (आर्थिक पैकेजों) से जुड़ा निरंतरता का बजट कहा जाना चाहिए जिनसे कोविड-19 महामारी के असर को कम करने में निश्चित रूप से सहायता मिली।

सरकार ने 2021-22 के अपने बजट के जरिए वित्तीय पारदर्शिता और दिशात्मक बदलाव से तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का अपना संकल्प बरकरार रखा है। इसमें एक तरफ स्वास्थ्य और खुशहाली जैसे मूल कल्याणकारी मुद्दों पर ध्यान दिया गया है (जिनका महामारी के दौर में और इसके बाद के दौर में बड़ा महत्व है) तो दूसरी ओर इसमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए संभावित कार्रवाई की गतिशील रूपरेखा भी परिभाषित कर दी गयी है। इसके अंतर्गत विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण, परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण, पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण, रोज़गार और मांग बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे में जोरदार निवेश की बात कही गयी है। यह कार्य इतने



कर प्राप्तियों में रुझान



बड़े पैमाने पर करने का प्रस्ताव है कि कोरोना महामारी के परवर्ती दौर में विकास की यात्रा में कोई पीछे नहीं छूटने पाएगा।

बजट में आर्थिक विकास का सिलसिला फिर से शुरू करने के लिए सरकार की रणनीति तैयार की गयी है और निजी क्षेत्र की रचनात्मक भूमिका की परिकल्पना की गयी है। बजट में मौद्रीकरण के जरिए अवसंरचना पर खर्च बढ़ाने की सरकार की सुचिंतित वचनबद्धता को दोहराते हुए नयी परिसंपत्तियों, रोजगार के अवसरों और मूल उद्योगों के उत्पादों की मांग बढ़ाकर उसके गुणक प्रभाव से अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से फायदा पहुंचाने की बात कही गयी है। बजट में कारोबारी सुविधाएं बढ़ाने की बात भी कही गयी है और अनुपालन तथा अन्य प्रक्रियागत सुधारों को अधिक आसान बनाने का आश्वासन दिया गया है ताकि जीवन जीना और आसान हो जाए।

इसके अलावा इस बार का बजट पहला कागज रहित बजट है जिसकी अनेक अनोखी विशेषताओं में यथार्थवादी राजस्व अनुमान, करों की दरों के साथ कोई छेड़छाड़ न करना और पारदर्शी राजकोषीय लेखांकन शामिल हैं। इसमें वित्तीय घाटे की स्थिति को स्वीकार किया गया है और इससे निपटने की रूपरेखा भी तैयार की गयी है। बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उदारता की व्यक्तित्व की गयी है और वित्तीय क्षेत्र के विनियमन को युक्तिसंगत बनाया गया है। विदेशी निवेश आकृष्ट करने और मांग में बढ़ोतरी के साथ-साथ आर्थिक विकास बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाने वाली कर-स्थिरता लाने के लिए बजट में करों की दर से कोई

छेड़छाड़ नहीं की गयी है। करदाताओं पर करों का कोई भी बोंद़ बढ़ाए बगैर कुछ शुल्कों का समायोजन करके एक नया उपकरण किया गया है ताकि कृषि अवसंरचना के विकास के साथ-साथ कृषि मंडियों में सुधार के लिए धन जुटाया जा सके, जो कि आज बजट की ज़रूरत है।

बजट में उद्यमियों और उद्योगों को अवसर उपलब्ध कराने में मददगार और सहयोगी तथा या उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के सरकार के संकल्प को रेखांकित किया गया है ताकि वे प्रतिस्पृश आर्थिक माहौल में अपनी भूमिका को कारगर और कुशल तरीके से

निभा सकें तथा वैश्विक आर्थिक नेता के रूप में विश्व को अपनी ताकत का लोहा मनवा सकें। 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत का पालन करते हुए सरकार ने विनिवेश और निजीकरण का खाका प्रस्तुत किया है जिसमें सरकार की न्यूनतम भूमिका होगी और वह भी नीतिगत क्षेत्रों तक सीमित होगी। इन उद्देश्यों के साथ 2021-22 के बजट में आगे सुधार जारी रखने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि निजी निवेश को प्रोत्साहन मिले और समावेशी विकास हो सके।

महामारी के इस साल में भारी संकट वाली परिस्थितियां उत्पन्न हुई। सरकार डिजिटल तरीके से चलायी जाने लाए और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, दोनों ही तरह के कारों के क्षेत्र में कर-प्रशासन और अनुपालन को प्रक्रियाओं में जबरदस्त बदलाव व संरचनागत सुधार किये गये जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन की सुविधा में और बढ़ोतरी हुई।

आयकर विभाग को करदाताओं के साथ संबंध स्थापित करने वाले, उनकी बात सुनने, उन पर विश्वास करने और नये 26-एएस फार्म के जरिए फहले से भी विवरणी, तकाल भुगतान आदि में उनकी सहायता करने वाला विभाग बनाकर सरकार ने कर-निधारण, अपील और यहां तक कि जिवारों के समाधान के लिए भी फेसलैस प्रणाली शुरू की है जिसमें करदाता और कर अधिकारी का आगना-सामना नहीं होता। इसका उद्देश्य पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान के लक्ष्य के साथ एक ऐसे भेंच का निर्माण करना है जिसके जरिए सभी करदाताओं को फेसलैस कर निधारण की सुविधा प्राप्त हो सके। इसकी शुरुआत 13 अगस्त, 2020 को हुई थी। धोखाधड़ी और मनी लाड़दरिंग आदि के गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामले

इसके द्वारे से बाहर रहेंगे। अब आयकर का मूल्यांकन फेसलैस तरीके से किया जा रहा है और इसमें आयकर अधिकारियों के साथ भौतिक संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। औपनिवेशिक युग की कर प्रशासन प्रणाली अब बीते जमाने की बात हो गयी है और उसका स्थान इस फेसलैस प्रणाली ने ले लिया है जिसमें कर अधिकारियों की यादृच्छिक तरीके से चुनी गयी वर्चुअल टीमें होती हैं और उनका कार्यक्षेत्र भी बदलता रहता है।

इस नयी व्यवस्था के तहत करदाता का कर निधारण देश के किसी भी कोने में बैठा अधिकारी कर सकता। लंबे समय से चले आ रहे 58,319 मामलों में से 31,433 मामलों में अंतिम जांच और कर निधारण के आदेश इस फेसलैस प्रणाली के माध्यम से दिये जा चुके हैं। 94 प्रतिशत मामलों में करदाताओं द्वारा दी गयी सफाई को मान लिया गया और कोई अतिरिक्त जुर्माना या टैक्स नहीं लगाया गया। 1,32,814 नये मामलों में से 17,399 में अंतिम जांच के बाद कर

'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत का पालन करते हुए सरकार ने विनिवेश और निजीकरण का खाका प्रस्तुत किया है जिसमें सरकार की न्यूनतम भूमिका होगी और वह भी नीतिगत क्षेत्रों तक सीमित होगी। इन उद्देश्यों के साथ 2021-22 के बजट में आगे सुधार जारी रखने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है ताकि निजी निवेश को प्रोत्साहन मिले और समावेशी विकास हो सके।

निर्धारण आदेश अब तक दिये जा चुके हैं। पहली बार करदाताओं से सर्वथित अधिकार पत्र (चार्टर) जारी किया गया है जो कि करदाताओं के प्रति आयकर विभाग की कुछ प्रमुख व्यवनवद्धताओं का परिचयक है।

इतना ही नहीं, 25 सितंबर, 2020 को फेसलैस अपील प्रणाली भी शुरू कर दी गयी जिसमें आयुक्त (अपील) के कार्यालय में चल रहे कर संबंधी विवाद के मामलों को निपटाने में करदाताओं को अधिकारियों के सीधे संपर्क में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। विचालियों के खत्म हो जाने, संसाधनों के अधिकतम उपयोग और परिवर्तनशील अधिकारक्षेत्र बाली अपील प्रणाली की शुरुआत से मामलों को निपटाने में और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही आ

गयी है। इस प्रणाली में अपील बाले मामलों को एक या एक से अधिक आयुक्त (अपील) निवारते हैं। इसमें करदाताओं को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कराने की सुविधा मिलती है और वे विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटने के झंझट से बच जाते हैं। आयुक्त (अपील) के कार्यालयों में करोब 4.6 लाख अपील लंबित थीं। इनमें से 4.08 अपीलें, यानी 88.7 प्रतिशत को फेसलैस अपील प्रणाली के जरिए निपटाया जा रहा है। 3,15,467 मामलों में सुनवाई के नोटिस जारी कर दिये गये हैं और 3,640 आदेश जारी कर दिये गये हैं।

इसी तरह अप्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क और जी.एस.टी. के थेब्र में भी प्रक्रियाओं संबंधी सुधार शुरू किये गये हैं जिससे अनुपालन में सुविधा बढ़ गयी है। सत्यापित इनपुट टैक्स विवरण, ई-इनवाइस प्रणाली, एसएमएस से निल रिटर्न भेजने की सुविधा, ट्रैमासिक विवरणी और छोटे करदाता के लिए मासिक भुगतान सुविधा, पहले से भी और संपादनों





घरेलू उद्योगों को बढ़ावा



किसानों के फायदे के लिए मूल सीमा शुल्क में बदलाव ताकि उन्हें बराबरी का मौका मिले:

- कपास पर सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और रेशमी धाने पर 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत।
- डीनेचर्ड इथाइल एल्कोहल पर अंतिम उपयोग आधारित रियायत हटाई गयी।



बस्त्रों, चमड़े और हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहन के रूप में शुल्क मुक्त वस्तुओं के आयात से छूट को युक्तिसंगत बनाया गया। इस तरह की लागतगत सभी वस्तुएं हमारे एम.एस.एम.ई.जे. द्वारा स्वदेश में ही बनाया जाता है।



तैयारशुदा कृत्रिम रत्नों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतारी ताकि देश में ही उनके तयारी को बढ़ावा मिले।

जीएसटी विवरणी, आस्थगित विवरण प्रेषण सुविधा, जीएसटीएन प्रणाली की क्षमता में बढ़ि जैसे कई उपयोग हैं जिनके जरिए ईमानदार करदाताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने में टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है।

बजट 2020-21 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

अप्रत्यक्ष कर

वर्ष 2021-22 के बजट में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के क्षेत्र में कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर सुधार किये गये हैं। अप्रत्यक्ष कर अर्थव्यवस्था के औद्योगिक आधार की स्थिति का जायजा लेने वाले विश्वसनीय वैरोधीय की तरह है।

यस्त और सेवा कर (जीएसटी)

जीएसटी अनुपालन को और अधिक आसान तथा प्रभावी बनाने के लिए वित्त विभेयक 2021 में संशोधनों के जरिए कई बदलाव किये गये हैं। वार्षिक लेखों और तुलनपत्रों का अनिवार्य रूप से ऑफिट कराने की शर्त हटा दी गयी है।

सरकार ने अनुपालन में सुधार लाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। बैर्डमानी करने वालों की पहचान को जा रही है जिसके लिए डीप एनेलेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाग लिया जा रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट और वस्तु तथा सेवाओं को गुपचुप मंजूरी दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक करोबर 292 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इन उपयोगों के परिणाम बड़े उत्साहवर्धक रहे हैं। जनवरी 2021 में जीएसटी सकलन 1.2 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर था।

इसके अलावा । जूलाई, 2017 से जीएसटी के देशी संकेतनों पर आधारित उपयोगों में व्यापार में काफी सुविधा हो जाएगी।

अनुपालन में सुधार के लिए गी कुछ उपाय किये गये हैं। ऐसे व्यवस्था को जा रही है जिसके असामित साथ पर आधारन कर (इनपुट टैक्स क्रेडिट) देन की अनुमति तभी दी जाएगी जब मन्त्रालय ने बाहर भेजी जाने वाली ममताएँ की विवरणी में पूरा व्यापक दिया होगा। अन्य उपयोगों में कुछ समय के लिए अस्थायी जन्मी खास मामलों में आईजीएसटी भुगतानों पर जोर रेटिंग और उसे विदेशी प्रेषण के प्राप्ति से जोड़ना और जब्ती व अभियान में संबोधित प्रवर्धनों में कुछ और बदलाव शामिल हैं। ये बदलाव उचित समय पर चांसिन को जाने वाली तारीख से लागू होंगे।

सरकार ने अनुपालन में सुधार लाने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। बैर्डमानी करने वालों की पहचान को जा रही है जिसके लिए डीप एनेलेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाग लिया जा रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट और वस्तु तथा सेवाओं को गुपचुप मंजूरी दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक करोबर 292 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इन उपयोगों के परिणाम बड़े उत्साहवर्धक रहे हैं। जनवरी 2021 में जीएसटी सकलन 1.2 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर था।

बजट घोषणा के अनुसार जीएसटी परिषद की बैठक में और उपयोगों खास तौर पर व्यवर्तन पर विचार किया जाएगा और उल्टे शुल्क ढांचे जैसी विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा।

सीमा शुल्क

जहां तक सीमा शुल्क का सवाल है, आत्मनिर्भर भारत इसका दिशा-निर्देशक सिद्धांत है। आवात शुल्क दरों के ढांचे में बड़ी बारीकों से ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे विनिर्माण क्षेत्र को पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। विभिन्न चरणवद कार्यक्रमों के जरिए देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए को जा रही अनेक मंत्रालयों की जबरदस्त पहल और कार्यनिष्ठान के जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी सराहनीय है। इन योजनाओं को सुनियोजित और दूरदर्शी कराधार प्रक्रिया के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है जिसके अंतर्गत घरेलू उद्योग स्थापित करने में मदद और प्रांत्साहन दिया जाता है। इस दिशा में विशेष रूप में किये जा रहे प्रयासों से इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन करने वाला विनिर्माण क्षेत्र बड़े शानदार तरीके से उभर कर सामने आ रहा है।

सीमा शुल्क संबंधी नियमों में किये गये एक नये प्रावधान से सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दी जाने वाली सभी सशर्त छूट (जब तक कि उनके बारे में अलग से बतलाया न गया हो या उनमें फेरबदल अथवा रेट न किया गया हो) 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी और सीमा शुल्क में कोई भी नई रियायत इसके जारी होने या इसमें बदलाव की तारीख के दो साल बाद 31 मार्च तक वैध होगी। 400 से अधिक मंजूरी रियायतों की अगस्त 2021 तक समीक्षा कर दी जाएगी और ऐसा करते समय सभी संबद्ध पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा।

बजट में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की गयी है। इसमें विधायी संशोधनों का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि सामान के पहुंचने के एक दिन पहले बिल्स ऑफ एंटी (आयात पत्र) को दर्ज करना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, आयातकों/नियातकों को स्वयं संशोधन आधार पर कुछ विशेष संशोधन करने की इजाजत देने का भी प्रस्ताव किया गया है।

विधायी परिवर्तनों का प्रस्ताव इसलिए किया गया है ताकि कागज रहित प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिले। नोटिस, आदेश आदि जारी करने के लिए साझा पोर्टल की मान्यता देने का प्रस्ताव है। यह पोर्टल, व्यापार के सिलसिले में सीमा शुल्क विभाग के साथ संबंध के लिए डिजिटल इंटरफ़ेस का भी कार्य करेगा। व्यापारिक उपचार के उपायों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गयी है ताकि आयात में तेजी, सामान की डिमंग या व्यापारिक नियमों को दरकिनार करते हुए विदेशों से भारत को सक्षिप्ती वाली वस्तुओं के निर्यात से सम्बद्ध आर्थिक हित सुरक्षित रहे।

बजट में कृषि अवसरचना और विकास उपकर (एआइडीसी) नाम के एक उपकर का भी प्रस्ताव किया गया है। यह कुछ खास वस्तुओं के निर्यात पर और पेट्रोल तथा डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में प्रस्तावित है। इस उपकर को लगाने से अधिकतर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतारी के रूप में अधिक असर नहीं पड़े, इसके लिए बी.सी.टी. की दरें कम कर दी गयी हैं। इससे प्राप्त राशि का उपयोग कृषि के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में सुधार पर किया जाएगा।

घरेलू विनिर्माताओं को कच्चा माल कम दामों पर उपलब्ध कराने और भारत को वैश्विक लागत शृंखला के साथ अधिक व्यनिष्ठ रूप से समन्वित करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क की दरों को पुनर्निर्धारित किया गया है। सरकार का यह प्रयास रहा है मूल्यवर्धन उत्पादों का निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए।

क्षेत्र संबंधी विशेषताओं में धातुओं (इस्पात) पर शुल्कों को काफी युक्तिसंगत बना दिया गया है। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि पिछले छह महीनों में लोहे और इस्पात के दामों में तेजी से बढ़ोतारी हुई है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा लोहे का उपयोग करने वाले अन्य उद्योगों पर बुरा असर पड़ा और उसने सरकार से राहत देने की मांग की थी। लोहे और इस्पात के स्क्रैप पर सीमा शुल्क को भी युक्तिसंगत बना दिया गया है।

इसके अलावा एंटी डिमंग शुल्क और कुछ इस्पात उत्पादों पर प्रतिकारी शुल्क को 30 सितंबर, 2021 तक अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। वस्त्र क्षेत्र के शुल्क ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए नायलॉन चेन पर शुल्क ढांचे को पॉलिएस्टर और विस्कोस चेन की तरह युक्तिसंगत बना दिया गया है। रसायनों पर सीमा शुल्क की दरों को भी नये सिरे से निर्धारित कर विसंगतियों को दूर किया गया है और घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित किया गया है।

सोने और चांदी पर फिलहाल 12.5 प्रतिशत का बुनियादी सीमा शुल्क लगता है। जुलाई 2019 में बहुमूल्य धातुओं पर मूल

रित समाप्त
MINISTRY OF
FINANCE
मेरी सरकार
my
GOV

#बजट 2021



घरेलू उद्योगों को बढ़ावा



चार्जरों के हिस्से-पुर्जा और मोबाइल फोन के कल-पुर्जा पर से कुछ सीमा शुल्क छूट वापस लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन उद्योग में और अधिक घरेलू मूल्यवर्धन।



घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने और इनवर्जन दूर करने के लिए रसायनों की सीमा शुल्क दरों को पुनर्निर्धारित किया गया।



सुरंग खोदने की मशीन पर छूट वापस ली गयी और मोटर वाहनों के कुछ हिस्से-पुर्जा पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया ताकि बड़े पूर्जों निवेश वाले विनिर्माण क्षमता का फायदा उठाकर देश में ही निर्माण किया जा सके।

सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किये जाने के बाद इनके दामों में तेज वृद्धि हुई है। बजट में सोने पर शुल्क को 2 प्रतिशत से अधिक कम कर दिया गया है। अन्य क्षेत्रों जैसे नबीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की शुल्क दरों में भी दूरगामी महत्व के बदलाव किये गये हैं।

सीमा शुल्क की दरों की समीक्षा की गयी है ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को घरेलू मूल्यवर्धन का फायदा मिल सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं पर कुछ दोषावधि रियायतों को वापस ले लिया गया है। इसी तरह किसानों के फायदे के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। असंसाधित कपास और कपास के अपशिष्ट पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है। कच्चे रेशम और रेशम के धागे पर शुल्क 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है। डिनेचर्ड इथाइल एल्कोहल पर अंतिम उपयोग संबंधी रियायतें वापस ली जा रही हैं।

किसानों के फायदे के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं। असंसाधित कपास और कपास के अपशिष्ट पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है। कच्चे रेशम और रेशम के धागे पर शुल्क 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया गया है। डिनेचर्ड इथाइल एल्कोहल पर अंतिम उपयोग संबंधी रियायतें वापस ली जा रही हैं।



#बजट 2021

जवाबदेह और कुशल कर
विवाद समाधार

50 लाख रुपये तक की कर चाहने आए और 10 लाख रुपये तक की विवादित जारी गयी करदाताओं के लिए विवाद समापन योगीन का नज़र लाई रखा, प्रतिशत और उन्नतरही तारीख मिले।



फैसलेग भाइटीटी - गण्डीज फैसलेग भाइटीटी अधिकारीय नियांनियां ट्रैड की स्थिति न्यायान्वयन और अपेक्षा करने वालों के बीच एक समान उलझाउने की नीति देता है। जो विवादित पुस्तक वी आवश्यकता होती है, यह विवादित कर्तव्यान्वयन के जागे भी जाती है।



गणवीले की जेजो से निवारने के लिए एडवाइजरी अधिकारी के स्वतन्त्र पार्टी विवाद समिति का गठन की जाएगी जो आदेश के विवाद उच्च न्यायालय में अपेक्षा जो जावेगा।

प्रत्यक्ष कर

इस साल प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में प्रक्रियागत सरलता लाने को शुरूआत की गयी है। कर निर्धारण प्रक्रिया को फिर से खोलने की समय सीमा मौजूदा 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी गयी है। छानवीन की प्रक्रिया को फिर से खोलने के में विवेक पर निर्भरता को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर प्रणालीगत नीति अपनायी गयी है।

छोटे करदाताओं को अपेक्षा करने की प्रक्रिया की लागत और इसमें होने वाले समय के अपव्यय से बचाने के लिए विवाद समाधान समिति गठित कर दी गयी है। ऐसे करदाता अपने विवादों के अंतिम समाधान के लिए एसेसमेंट आईर की प्रति मिलजाने के बाद समिति में जा सकते हैं।

इतना ही नहीं, अपीलीय अधिकरण को भी फैसलैस और अधिकार क्षेत्र से मुक्त बना दिया गया है जबकि सैटलमेंट कमीशन को समाप्त कर दिया गया है।

करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए कई उपाय किये गये हैं। 75 साल या इससे अधिक उम्र वाले वृजुगां को, जिनको सिर्फ

पेशन और व्याज में आमदनी होती है उन्हें आयकर विवरणों जैसा कराने में छूट दी दी गयी है, यथात् देय कर की पूरी गांग भुगतान करने वाले वेक ने काट ली है।

अनियामी भाग्यों के मामले में किसी दूसरे देश हाल भुगतान किये जाने वाले न्यायान्वीन संवेदी लाभों का भी आदाना देणे को कमाल अधिकारों के माथ नालगल कर दिया गया है जारी उन्हें अनावश्यक कार्डिनाइटों का यापना न करना पड़े।

सरकार आद्याम उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर धीरे सरकार ने बजट में विशेष जोर दिया है। किफायती घर खुगदन के लिए त्रहां में छूट देने की योजना एक साल के लिए बढ़ा दी गयी है। उतना ही नहीं, डम तरह के किफायती घरों और मन्ने किमये वाले आवायों के निर्माण में लगे डिवेलपरों और विल्डरों के मुनाफ़े में कटौती को भी मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार को भारत में कारोबार करने वालों की मंदिरा बढ़ाने और विदेशी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता को भी पूरा अहमाम रहा है। इस लक्ष्य का ध्यान में रखते हुए सार्वरेन बैल्ट और पेशन फैंडो आदि द्वारा छूट का दावा करने के मानदंडों में भी हौली दी गयी है। इस छूट के अंतर्गत त्रहां या उधार पर गेंक, वाणिज्यिक गतिविधियों पर पारदी, घुनियादी ढांचे आदि की मालिक कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश शामिल है ताकि अधिक से अधिक निवेश देश में आ सके। इसके साथ ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस ट्रेक (गिफ्ट) सिटी अहमदाबाद की व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए भी छूट दी गयी है।

बजट में परिसंपत्ति मीट्रीकरण, विनिवेश तथा जन स्वास्थ्य और सार्वजनिक अवसरंचना पर खर्च के जरिए भारत के विकास के प्रशंसनीय पथ (ट्रैकेक्टरो) पर आगे बढ़ाने में लंबी छलांग लगाते हुए अंग्रेजी के 'वी' अक्षर की आकृति में सुधारों की परिकल्पना की गयी है जिसमें रोजगार के अवसरों और मार्ग में बढ़ोतरी होगी। यह अपनी रणनीति में पारदर्शी और यथार्थवादी है और अपने मार्ग, क्षमताओं और अनुमानों को लेकर हमारा ट्रैक्टिकोण एकदम स्पष्ट है। मुझे पूरा यकीन है कि आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने, नवाचार और आर्थिक विकास के फायदे सभी लोगों, खास तौर पर गरीबों और समाज के हाशिये वाले (सीमांत) व उपेक्षित वर्गों तक पहुंचाने को लेकर बजट प्रस्तावों में किये गये हमारे वायदों का फायदा सब लोगों तक उत्तरोत्तर पहुंचेगा। ■

शीघ्र प्रकाशित...

कोविड-19

महामारी के बारे में

आपकी जिज्ञासाओं के उत्तर देने वाली पुस्तक



प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, श्री जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

टिप्पणी पर कॉलो करें @DPO_India



शर्तों के साथ कर्ज़

डॉ सज्जन एम यादव
सूरज कुमार प्रधान

वित्त मंत्री ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में राज्यों को उन क्षेत्रों में सुधारों के बास्ते एक बार फिर प्रेरित किया है जो नागरिकों के लिये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने इस साल विजली क्षेत्र में सुधारों के लिये राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज़ प्रोत्साहन के रूप में पंजूर करने की घोषणा की है।

रा

ज्यों के लिये सुधार आबद्ध अतिरिक्त कर्ज़ सीमा मंजूर किये जाने की घोषणा पहली मर्तबा मई, 2020 में की गयी। इसका मकसद सुधारों को आगे बढ़ाना तथा राज्यों को कोविड 19 की वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिये अत्यावश्यक वित्तीय संसाधन मुहैया कराना था।

वित्त वर्ष 2020-21 को इतिहास में कोविड 19 की वैश्विक महामारी के साल के तौर पर जाना जायेगा। इसकी बजह से देश में अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़ा। इन पारदियों का उद्देश्य वायरस के प्रसार को रोकना और स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव घटाना था।

लगभग साल भर बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत समूचा वैश्विक समुदाय इस महामारी से निपटने में भारत के असाधारण पूर्वानुमान और तत्परता की सराहना कर रहा है। हमारे नेतृत्व का समग्र दृष्टिकोण और निर्णायक कदम बहुमूल्य मानव जिंदगियों को बचाने और भारतीयों की पीड़ा को दूर करने में मददगार साबित हुए हैं।

भारत ने इस वैश्विक महामारी से अच्छी तरह निपटने के साथ ही 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सकीय और अन्य सहायता भी दी।

यह सर्वविदित है कि इस वैश्विक महामारी की बजह से सरकारों के राजस्व संग्रह को जबर्दस्त झटका लगा। इससे कोविड 19 से पैदा चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता पर बुरा असर पड़ा। प्रधानमंत्री ने विकट आर्थिक चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिये कई आर्थिक प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की तथा आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेजों के तहत 2020-21 के लिये राज्यों को शुद्ध उधार सीमा में सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(जीएसडीपी) के दो प्रतिशत का इजाफा किया गया। इस कदम से राज्यों के लिये 427302 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुए। इससे उनकी बुरी तरह तनावग्रस्त वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें व्यय की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये ज्यादा सहृलियत मिली।

भारत में राज्यों का ऋणादान (कर्ज़) संविधान के अनुच्छेद 293 के प्रावधानों से निर्देशित होता है। राज्यों को अपने राजकांश की जमानत पर भारत के अंदर कर्ज़ लेने की इजाजत है। इसके लिये सीमा राज्य



डॉ सन्जन एम यादव भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में संयुक्त सचिव हैं। ईमेल: sajjan95@gmail.com
सूरज कुमार प्रधान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

को विधायिका निर्धारित करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 293 (तीन) के अनुसार अगर राज्य पर केंद्र का कोई ऋण बकाया है तो उसे कर्ज़ लेने के लिये भारत सरकार की सहमति लेनी होगी। केंद्र सरकार ने वित्त आयोग को सिफारिशों के आधार पर 2020-21 के लिये राज्यों की कर्ज़ सीमा जीएसडीपी का तीन प्रतिशत तय की है।

मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थिति में राज्यों का दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण हासिल करना सर्वथा उचित है। लेकिन भविष्य की ऋण संबंधीयता की हिफाजत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लिहाजा मौजूदा अतिरिक्त कर्ज़ के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिये एक अहम फैसला किया गया। इसके तहत अतिरिक्त उधार मंजूरियों के आधे हिस्से का इस्तेमाल राज्यों को विभिन्न नागरिक केन्द्रित क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने के लिये प्रेरित करने के औजार के तौर पर किया जाना है।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद उन चार क्षेत्रों की पहचान की गयी जिनमें सुधारों को बहद ज़रूरत है। ये हैं : 'एक राष्ट्र - एक राशन कार्ड' व्यवस्था, व्यवसाय सुगमता, स्थानीय निकाय और सार्वजनिक सेवा तथा विजली क्षेत्र। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उद्योग और आंतरिक व्यापार संबद्ध विभाग (डीपीआईआईटी), आवास और शहरी मामले मंत्रालय तथा विश्वित मंत्रालय को निर्धारित सुधारों के पूरा होने के प्रमाणन तथा बॉन्ड बाजार से अतिरिक्त उधार की इजाजत की सिफारिश करने के लिये अधिकृत किया गया।

इन चारों में से हरेक क्षेत्र को बराबर महत्व दिया गया है। हर क्षेत्र में सुधार पूरा होने को जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर्ज़ को जोड़ा गया। 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' और व्यवसाय सुगमता के सुधारों को पूरा करने के लिये समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 निर्धारित की गयी थी। इसी तरह शहरी निकाय/सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में 15 जनवरी, 2021 तथा विजली क्षेत्र में 31 जनवरी, 2021 तक सुधारों को पूरा किया जाना था। लेकिन ज्यादा राज्यों को सुधारों के रास्ते पर लाने के मकसद से तय किया गया कि संबंधित मंत्रालय से सिफारिश 15 फरवरी, 2021

योजना, मार्च 2021



केन्द्रीय राजस्व एवं व्यय

उपर जीरे अन्य देशों 36 प्रते

निगम कर 13 प्रते

आय कर 14 प्रते

रीका शुल्क 3 प्रते

केन्द्रीय उपाय शुल्क 8 प्रते

जीएसटी 15 प्रते

कर-मिन राजस्व 6 प्रते

ऋण-मिन पूँजी प्रतियो 5 प्रते

जी-टी प्रायोनित योजना 9 प्रते

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 13 प्रते

व्याज बदायती 20 प्रते

ला 8 प्रते

आविष्का साहाय्या 9 प्रते

वित्त आयोग और अन्य आयोग 10 प्रते

कर्ते और शुल्कों में राज्यों

का हिस्सा 16 प्रते

पेशन 5 प्रते

अन्य व्यय 10 प्रते

[पीडीएफ](#) [पीडीएफ़](#) [पीडीएफ़](#) [पीडीएफ़](#) [पीडीएफ़](#) [पीडीएफ़](#) [पीडीएफ़](#) [पीडीएफ़](#)

KBF



केंद्र सरकार का व्यय



कुल लोड

34,83,236

2021-22 के लिए बजट अनुमान (रु करोड़ में)

प्रयोग	प्रयोग मामले	विदेश मामले	विदेश मामले	विभाग
ला 3,47,088	वित्त 91,916	विदेश मामले	30,640	सामाजिक काल्पना
प्रधान समिति 3,35,361	राजस्व 74,602	वित्त	48,460	कर व्यापार
कृषि और सावध कार्यकालाप 1,48,301	पृष्ठ 1,13,521	राज्यों को आपात	1,31,100	राज्यों को आपात
वाणिज्य और उत्पाद 34,623	भाज 8,09,701	परिवहन	2,93,302	परिवहन
पूँजीपात्र का वित्त 2,658	आडेंटी और दुरातार 53,108	राज्य सुधार दोष	2,33,083	राज्य सुधार दोष
रिका 93,224	योजना एवं सार्विकी 2,472	राज्य वित्तारा	53,026	राज्य वित्तारा
जन्म 42,824	गोपील वित्तारा 1,94,633	विभाग	54,581	विभाग
			87,528	अन्य

तक मिलने की स्थिति में राज्य को सुधार आधारित लाभों के बोग्य माना जायेगा।

मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थिति में राज्यों का दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण हासिल करना सर्वथा उचित है। लेकिन भविष्य की ऋण संबंधीयता

की हिफाजत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लिहाजा मौजूदा अतिरिक्त कर्ज़ के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिये एक अहम फैसला किया गया। इसके तहत अतिरिक्त कर्ज़ मंजूरियों के आधे हिस्से का इस्तेमाल राज्यों को बढ़ावा देने के लिये प्रेरित करने के औजार के तौर पर किया जायेगा।

हरेक क्षेत्र में विशाल वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में 53413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज़ उपलब्ध था। इसने राज्यों के लिये सुधार के मार्ग को आकर्षक बना दिया। घटते कर संग्रह के कारण राज्यों के पास संसाधनों की कमी थी और व्यय के लिये मार्ग में इजाफा हो रहा था। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि सुधार के लिये बाहित कदम स्पष्ट, मापनीय और व्यावहारिक हो।

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड

डीएफपीडी को लगातार कोशिशों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्पाण योजनाओं के उन लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है जिनके विवरणों में आधार संख्या को शामिल किया जा चुका है। इससे राशन की दुकानों (एफपीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक प्लाइट ऑफ सेल (ई-पोस) मशीनों के जरिये लाभार्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन संभव हुआ है। इससे राशन कार्ड की स्पष्टव्यापी पोर्टेबिलिटी और एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड

तालिका-1: सुधार पूर्ण और अतिरिक्त कर्ज़ की अनुमति मंजूर

क्र.	राज्य	पूर्ण सुधारों की संख्या	पूर्ण सुधारों के नाम	अतिरिक्त कर्ज़ की अनुमति मंजूर (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	4	ओएनओआरसी, ईडीबी, यूएलबी, विजली (आशिक)	9,090
2	असम	1	ईडीबी	934
3	गोवा	1	ओएनओआरसी	223
4	गुजरात	1	ओएनओआरसी	4,352
5	हरियाण	2	ओएनओआरसी, ईडीबी	4,292
6	हिमाचल प्रदेश	1	ईडीबी	438
7	कर्नाटक	2	ओएनओआरसी, ईडीबी	9,018
8	केरल	2	ओएनओआरसी, ईडीबी	4,522
9	मध्य प्रदेश	4	ओएनओआरसी, ईडीबी, यूएलबी, विजली (आशिक)	8,542
10	मेघालय	1	यूएलबी	75
11	ओडिशा	1	ईडीबी	1,429
12	पंजाब	1	ईडीबी	1,516
13	राजस्थान	3	ओएनओआरसी, ईडीबी, यूएलबी	8,193
14	तमिलनाडु	2	ओएनओआरसी, ईडीबी	9,626
15	तेलंगाना	3	ओएनओआरसी, ईडीबी, यूएलबी	7,524
16	त्रिपुरा	1	ओएनओआरसी	148
17	उत्तर प्रदेश	1	ओएनओआरसी	4,851
	कुल			74,773

(ओएनओआरसी) का सपना साकार करने के लिये बुनियाद भी तैयार हुई है।

ओएनओआरसी एक प्रौद्योगिकी आधारित सुधार है। यह एनएफएसए और अन्य कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान का अपना मासिक कोटा देश में कहीं भी ई-पीएसओ वाले किसी भी एफपीएस से हासिल करने में सक्षम बनाता है। इससे श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, कूड़ा एकत्र करने वाले शहरी गरीब, बेघर लोग, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के अनियमित कर्मी तथा घरेलू कामगार खास तौर से लाभान्वित होंगे जो रोज़गार के लिये अपना स्थान बदलते रहते हैं। यह सुधार राज्यों के लाभार्थियों की बेहतर ढंग से पहचान करने तथा फर्जी, दोहरा और अस्पष्ट कार्ड रखने वालों को हटाने में सक्षम बनाता है। इसके परिणमस्वरूप लाभ सही लोगों तक पहुंचने के साथ ही दुरुपयोग में कमी भी आती है।

इस सुधार को पूर्ण तभी माना जाता है जब कम-से-कम 95 प्रतिशत लाभार्थियों

की आधार संख्याएं उनके विवरण से शत-प्रतिशत एफपीएस में ई-पोस मशीनों को लगाया जाना भी अनिवार्य है।

'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' एक प्रौद्योगिकी आधारित सुधार है। यह एनएफएसए और अन्य कल्याण

योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान का अपना मासिक कोटा देश में कहीं भी ई-पीएसओ वाले किसी भी एफपीएस से हासिल करने में सक्षम बनाता है। इससे श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, कूड़ा एकत्र करने वाले शहरी गरीब, बेघर लोग, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के अनियमित कर्मी तथा घरेलू कामगार खास तौर से लाभान्वित होंगे जो रोज़गार के लिये अपना स्थान बदलते रहते हैं। यह सुधार राज्यों के लाभार्थियों की बेहतर ढंग से पहचान करने तथा फर्जी, दोहरा और अस्पष्ट कार्ड रखने वालों को हटाने में सक्षम बनाता है। इसके परिणमस्वरूप लाभ सही लोगों तक पहुंचने के साथ ही दुरुपयोग में कमी भी आती है।

स्थान बदलते रहते हैं।

डीएफपीडी ने आठ फरवरी, 2020 तक 12 राज्यों में इस सुधार के पूर्ण होने का सत्यापन किया है। इसके अनुरूप व्यवस्थागत विभाग ने इन राज्यों को 33440 करोड़ रुपये

के अतिरिक्त उधार की इजाजत दी है। मंजूर किये गये अतिरिक्त कर्ज़ का राज्यवार व्यूग तालिका - 1 में दिया गया है।

व्यवसाय सुगमता

राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये व्यवसाय का स्वस्थ माहौल जरूरी होता है। व्यवसाय सुगमता (ईडीबी) देश में निवेश के अनुकूल व्यावसायिक परिवेश का महत्वपूर्ण संकेतक है। व्यवसाय के माहौल में सुधार से निवेश आकर्षित होने के साथ ही भविष्य में अर्धव्यवस्था के विकास में तेजी आती है। इसलिये सुधार के चार क्षेत्रों में ईडीबी को भी शामिल किया गया है। इसका मकसद प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाना, विभिन्न नियामक मंजूरियों


में लगने वाला समय घटाना तथा विभाग और व्यवसाय के बोच प्रत्यक्ष मानव संपर्क को खत्म करना है।

इस क्षेत्र के सुधारों में 'जिला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्ययोजना' का पहला आकलन पूरा करने के अलावा व्यवसायों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों, भंजुरियों और लाइसेंसों के नवीकरण की ज़रूरत को खत्म करना है। सुधारों में कंप्यूटरीकृत केन्द्रीय रांगयोगिक निरीक्षण प्रणाली को लागू करना शामिल है। इसके तहत नियमित निरीक्षणों के लिये निरीक्षक का आवंटन केन्द्रीकृत होगा। किसी भी इकाई में एक ही निरीक्षक को बास-बार नहों भेजा जायेगा। व्यवसाय के मालिक को निरीक्षण की पूर्व सूचना दी जायेगी तथा जांच के 48 घंटों के भीतर इसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर डालनी होगी।

डोपीआईआईटी ने प्रमाणित किया है कि आठ फरवरी, 2021 तक कुल 12 राज्य व्यवसाय सुगमता सुधारों को पूरा कर चुके थे। इन राज्यों को 28183 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम बॉन्ड बाजार से जुटाने के लिये इजाजत दे दी गयी है। अतिरिक्त कर्ज की इजाजत की राज्यवार रकम की जानकारी के लिये तालिका-1 देखें।

शहरी स्थानीय निकाय/संवा सुधार

प्रधानों ढंग से काम करने वाला वित्तीय तौर पर मजबूत स्थानीय निकाय नागरिकों



के जीवन की गुणवत्ता में इजाफा करता है। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सुधारों का मकसद उन्हें वित्तीय तौर पर मजबूत बनाना है ताकि वे बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं पुहैया करा सकें और एक अच्छा बुनियादी ढांचा तैयार करें। किसी भी राज्य को आवास और शहरी मामले मंत्रालय से इन सुधारों के संपन्न होने का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिये अनेक शर्तों को पूरा करना होता है।

यूएलबी में संपत्ति कर की आधार

दर को विद्यमान सर्किल रेट के अनुरूप अधिसूचित किया जाना चाहिये। संपत्ति हस्तांतरण की निर्देशित दर को सर्किल रेट कहा जाता है। इसके अलावा जल आपूर्ति, दूनेज और सीवेज व्यवस्था के संबंध में उपयोगकर्ता शुल्कों की आधार दर विद्यमान मूल्य और इसमें पिछले इजाफे के अनुरूप तय की जानी चाहिये। साथ ही मूल्य वृद्धि के अनुरूप संपत्ति करउपयोगकर्ता शुल्कों की आधार दर में नियमित बढ़ातरी की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिये।

आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अनुसार आठ फरवरी, 2021 तक पांच राज्यों ने इन सुधारों को पूरा किया था। व्यवसाय विभाग ने मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर इन राज्यों को खुले बाजार से ऋण के जरिये 10212 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि हासिल करने की इजाजत दी। अतिरिक्त कर्ज राशि का राज्यवार विवरण तालिका-1 में देखा जा सकता है।

विद्युत क्षेत्र सुधार

वित्त मंत्रालय के सुझाए विद्युत क्षेत्र के सुधारों का उद्देश्य घाटों में कमी लाना और किसानों को मिलने वाली विजली सब्सिडी का पारदर्शी और व्यवधान मुक्त प्राप्तधान करना है। इसके अलावा इन सुधारों के जरिये विजली वितरण कंपनियों के नकदी संकट को संबंधीय ढंग से दूर कर उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। राज्यों से कहा गया है कि वे विजली

प्रवासी कामगार और श्रमिक

- एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड पर अपल जारी; अब तक 32 राज्य और संघ शासित प्रदेश दायरे में। बाकी चार को अगले कुछ महीनों में जोड़ा जायेगा।
- असंगठित श्रम बल और खास तौर से प्रवासी मजदूरों पर सूचना एकत्र करने के लिए नया पोर्टल। इससे इन मजदूरों के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।
- चार श्रम संहिताओं पर कार्यान्वयन जारी।
- नियोक्ताओं पर अनुपालन का बोझ घटाने के लिए एकल पंजीकरण और लाइसेंस तथा ऑनलाइन रिटर्न।

शासन सुधार

कोष एकल रखा (टीएसपी) प्रणाली का 2021-22 से याकें तिए उपयोग के मकानद से विस्तार किया जायेगा। इससे संवर्गत संस्थाएं सरकार के साते से सीधे धन निकाल सकेंगी और उनका व्याज का सर्व बढ़ेगा।

₹ सरकार ने पंद्रहवें नित आयोग की सिफारिश पर केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं को तर्फरागत बनाने और उनकी संख्या पटाने के लिए विस्तृत कार्य शुरू कर दिया है। इसमें परिव्यय के समेकन के जरूरी बेहतर प्रणाल हासिल किया जा सकेगा।

✉ व्यवसाय सुधार को सरकारी संघों के लिए अधिक सुधार बनाने के मकानद से सरकार उनके बास्ते एक अलग प्रशासनिक ढाँचा तैयार करेगी।

क्षेत्र में तीन सुधार करें। इनमें से हर सुधार को पूरा करने पर अलग-अलग प्रोत्साहन की घोषणा की गयी है।

राज्य में कुल तकनीकी और वापि अन्यक घटां में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कमी लाने पर जीएसडीपी का 0.05 प्रतिशत कर्ज प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसी तरह राज्य में आपूर्ति की औंसत लागत और औंसत राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कमी लाने पर जीएसडीपी का 0.05 प्रतिशत प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य में सभी किसानों के लिये सुफत/रियायती बिजली के बजाय सीधे लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लागू करने पर जीएसडीपी का 0.15 प्रतिशत कर्ज मंजूर किया जायेगा। इसके लिये राज्य सरकार को नकद हस्तांतरण की योजना बनाना और उसे 31 दिसंबर, 2020 तक कम-से-कम एक जिले में लागू करना था।

बिजली मंत्रालय के अनुसार आठ फरवरी, 2021 तक दो राज्यों - आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों को आंशिक तौर पर लागू किया था। दोनों राज्यों ने सुफत/रियायती बिजली की एवज में किसानों को डीबीटी शुरू कर दिया है। व्यव विभाग ने बिजली मंत्रालय की सिफारिश पर इन दोनों राज्यों को बॉन्ड

बाजार से 2938 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम ऋण के रूप में लेने की इजाजत दे दी है।

अतिरिक्त कर्ज के लिये भारत सरकार कई मंजूरी को नागरिक केन्द्रित क्षेत्रों में सुधार से जोड़ जाने के परिणामस्वरूप सभी राज्य सुधारों को लागू करने के बास्ते प्रेरित हुए हैं। कई राज्यों ने सुधारों की रफतार को बढ़ाने के लिये अध्यादेश तक जारी किये हैं। इस कदम से राज्यों को ऋण के एक संवहनीय मार्ग को जारी रखने में मदद मिलेगी और नागरिकों को इसका लाभ मिलने लगा है।

सुधारों में प्रगति की रफतार उत्साहपूर्ण हो रही है। 8 फरवरी, 2021 तक 17 राज्यों ने जारी निहित नागरिक केन्द्रित क्षेत्रों में से कम-से-कम एक में सुधारों को पूरा कर लिया है। जिन मंत्रालय के व्यव विभाग ने उन्हें 73773 करोड़ रुपये की गश्त सुधार आधारित अतिरिक्त कर्ज के रूप में मंजूर की है। इसके अलावा सुधारों की गति में भी तेजी आयी है। उम्मीद है कि कई अन्य राज्य 15 फरवरी, 2021 की अंतिम तिथि से पहले इस सूची में शामिल हो जायें। बाकी राज्य 2021-22 में सुधारों के उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे।

फार्म-4

योजना (हिन्दी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व तथा अन्य विवरण:

1.	प्रकाशन का स्थान	नयी दिल्ली
2.	प्रकाशन की अवधि	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	मोनीदीपा मुखर्जी
	नागरिकता	भारतीय
4.	पता	665, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
5.	प्रकाशक का नाम	मोनीदीपा मुखर्जी
	नागरिकता	भारतीय
6.	पता	665, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
5.	संपादक का नाम	कुलश्रेष्ठ कमल
	नागरिकता	भारतीय
6.	पता	648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
	उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी/हिस्सेदार हों	सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली-110001

मैं, मोनीदीपा मुखर्जी, एतत् द्वाया घोषणा करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

मोनीदीपा मुखर्जी

मोनीदीपा मुखर्जी
प्रबन्धक
संस्कारण विभाग / Publications Division
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय / Min. of I&B
भारत सरकार, नई दिल्ली
Govt. of India, New Delhi

योजना, मार्च 2021

सामाजिक क्षेत्र का सशक्तीकरण

प्रो सचिन चतुर्वेदी

बजट, समावेशी विकास कार्यनीतियों का विस्तार करने के लिए विभिन्न उपायों की प्रमुखति है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे संबंधी योजनाएं सभी के लिए विकास और समावेशन की इस प्राथमिकता को दर्शाती हैं। वित्त मंत्री ने महामारी के बाद के कठिन परिदृश्य में प्रस्तुत वर्ष 2021-2022 के बजट में केवल खर्च के वार्षिक खाते के बजाय दीर्घकालिक विकास का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

बजट ने केवल वित्तीय आवंटन के लिए प्रावधानों का दस्तावेज़ है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और विकास संबंधी कार्यनीतियों को भी दर्शाता है। इस बजट में इन उम्मीदों में से कई को पूरा करने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। वित्त मंत्री ने महामारी के बाद की कठिन परिस्थितियों में प्रस्तुत, इस बजट में केवल व्यय के वार्षिक खाते के बजाय दीर्घकालिक विकास का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस बजट की एक और अनूठी विशेषता समावेशी विकास कार्यनीतियों को विस्तार के लिए कई उपाय करने की है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाएं सभी के लिए विकास और समावेशन की इस प्राथमिकता को दर्शाती हैं।

इस बजट में परिव्यय में 34 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि कर, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तावों और पर्याप्त व्यय के प्रावधान से स्पष्ट रूप से उसे आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। पूर्जीगत व्यय में 5.54 लाख करोड़ रुपये की प्रस्तावित वृद्धि बहुत अच्छी और संतोषजनक कही जा सकती है। यह पिछले साल की तुलना में 34.5 प्रतिशत अधिक है। यह वास्तव में एक माहसिक कदम है क्योंकि पूर्जीगत व्यय वास्तव में भविष्य के लिए उपाय है और इस

तरह से इस बजट में अल्पकालिक संकट प्रबंधन के बजाय दीर्घकालिक विकास के अवसर सूचित किए गए हैं। 2021-22 और पिछले वर्षों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में बजटीय आवंटन तालिका 1 और 2 में दिखाए गए हैं। एक तरह से, बजट में श्रम प्रधान क्षेत्रों में विकास के नए अवसरों को खोलने के लिए और अधिक प्रावधान किए गए हैं।


स्वास्थ्य

वित्त मंत्री ने बजट में जिन छह विषयों पर जोर दिया है उनमें स्वास्थ्य और आरोग्य प्रमुख हैं। इसके लिए बजटीय आवंटन 94,452 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार इसमें पिछले साल के मुकाबले 137 प्रतिशत

की वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री ने विशेष रूप से, समग्र स्वास्थ्य देखभाल यानी निवारक, उपचारात्मक और आरोग्य की आवश्यकता पर जोर दिया है। छह साल में 64,180 करोड़ रुपये के व्यय से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर ग्राम्य भारत योजना, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से आपातकालीन कार्रवाई और तैयारियों पर केंद्रित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल कोविड-19 के प्रवर्धन, बल्कि कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के अभाव पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। लगभग 50 करोड़ लोगों के कोविड टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। टीके की दोनों खुशक के लिए प्रति व्यक्ति 700 रुपये खर्च

केन्द्रीय बजट 2021-22

स्वास्थ्य और खुशहाली व्यय



लेखक विकासशील दंशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली में महानिदेशक है। ईमेल: sachin@ris.org.in

योजना, मार्च 2021

तालिका-1: 2021-2022 के बजट में स्वास्थ्य और आरोग्य (रु. करोड़ में)

	वास्तविक (2018-19)	वास्तविक (2019-20)	बजट अनुमान (2020-21)	बजट अनुमान (2021-22)	बजट अनुमान 2020-21 के सापेक्ष वर्गीकरण (प्रतीक्षा %)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	52954	62397	65012	71269	+9.6
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1728	1934	2100	2663	+26.8
आयुष मंत्रालय	1554	1784	2122	2970	+41
उपकुल	-	66115	69234	76902	+11
कोविड टीकाकरण	-	-	-	35000	-
जल और स्वच्छता विभाग	18412	18264	21518	60030	+179
राष्ट्रीय पोषण मिशन (राष्ट्रीय पोषण अभियान)	2622	1880	3700	2700	-27
जल जीवन मिशन	5484.15	10030	11500	50011	+334.9
कुल	82754.15	162404	175186	301545	

स्रोत: लेखक द्वारा विषये कुछ वर्षों के कंट्रोल बजट में सहृदय

आने का अनुमान है। सब को टीकाकरण के लिए बहुत अधिक बजटीय संसाधनों को आवश्यकता होगी, जिसके लिए वित्त मंत्री ने विकल्प खुला रखा है।

नाजुक स्थिति में पहुंच चुके रोगियों के लिए अस्पतालों और रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीडीसी) की पांच क्षेत्रीय शाखाओं की स्थापना का भी प्रस्ताव है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष रूप से एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का डिजिटीकरण महत्वपूर्ण होगा।

टीकों के लिए आवंटन के अलावा, स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल (जल जीवन मिशन) और पोषण तक पहुंच भी चर्चा है। पुरुष पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को विलय करने और 112 आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिशन पोषण 2.0 शुरू करने का विचार है। पानी की उपलब्धता के लिए, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत पांच साल में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन

के लिए इस बजट में लगभग 335 करोड़ अधिक राशि का प्रस्ताव किया गया है। इन्हें अलावा, स्वच्छ वायु और स्वच्छ भारत योजना के लिए 500 अमृत शहरों में दाल अर्गेन्ड प्रबंधन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपये वा बजटीय आवंटन किया गया है। इसी राय वायु प्रदूषण को कम करने और वायु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 42 शहरों को 2000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य अनुमंथन के लिए बजटीय आवंटन क्रमशः 40 प्रतिशत

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपये के बजट में एक नई केंद्रीय प्रायोगिक योजना

मुख्य कार्य:

- 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाने वाले संस्थान
- 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयां और सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं
- 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में, नाजुक स्थिति में पहुंच चुके रोगियों के इलाज के अस्पताल खड़े
- 15 स्वास्थ्य आपात ऑपरेशन सेंटर और तो मोबाइल अस्पताल
- एक राष्ट्रीय संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, 9 वायो सेप्टी स्टर 3 क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय गर्भायांत्रिक वायोगोलोजी संस्थान।

FINANCE

स्वास्थ्य देखभाल के प्रति समग्र दृष्टिकोण

₹ स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए बजट 2020-2021 में 94,452 करोड़ रुपये का एक अनुमान का प्रस्ताव 2021-2022 के लिए प्रस्ताव दर्शाता है।

₹ अब तक बोलना याच नहीं है भारत में नियंत्रित विदेशी बदलाव दर्शाता है। इस में स्वास्थ्य बोलना याच नहीं है।

₹ बजट अनुमान 2021-2022 में बोला जाता है लिए 35,000 करोड़ रुपये का बजट दर्शाता है। उसका पहला लाभ यह है कि यह भी प्राप्ति किया जाए।

₹ नियंत्रित याच का प्राप्ति करना याच का प्राप्ति करना याच का प्राप्ति करना।

योजना, मार्च 2021

और 25 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। आयुष और समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर अधिक ध्यान देते हुए सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने और 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। आयुष मंत्रालय को 2,970.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में गण्डीय औपचार्य पादप बोर्ड के लिए 4000 करोड़ रुपये का आवंटन कर औपचार्य और सुगंधित पौधों से संबंधित पश्चातगामी एकीकरण परियोजनाओं के लिए स्पष्ट संकेत दिया गया है। हालांकि, स्वास्थ्य प्रणाली, रोग का पता लगाने और चिकित्सा करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों की मजबूती पर निर्भर करती है। विभिन्न एजेंसियों के बीच वेहतर समन्वय के लिए तंत्र विकसित करना महत्वपूर्ण है।

शिक्षा

मानव पूँजी को पुनर्जीवित करना इस बजट का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 2021-22 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में 93,224 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जिसमें से 54,873.66 करोड़ रुपये स्कूली शिक्षा के लिए और 38,325.15 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा के लिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लक्ष्य के साथ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, इसे तर्कसंगत रूप से कार्यान्वित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने में अधिक

तालिका 2: पिछले कुछ वर्षों में बजट आवंटन (रु. करोड़ में)

क्षेत्र/उप-क्षेत्र	1990-91	2000-01	2010-11	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (ब.अ.)	2017-18 (स.अ.)
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (एनपी)	2448	8282	41902	39343	42976	135866	158775	162683
विकास व्यय	74000	236096	1064432	1479739	1550194	772605	2246275	2496930
1. रेलवे	1632	3269	18385	27072	30121	35008	46155	55000
2. डाक और दूरसंचार	409	769	274	269	150	335	249	336
3. सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	30972	114006	495105	712535	723357	755496	969976	1095986
4. शिक्षा, कला और संस्कृति	17378	63756	248790	320040	356854	401440	4755888	523292
5. वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1348	4245	17811	19720	21319	25634	29090	32602
6. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य एवं जलाधार्ति तथा स्वच्छता	6564	24360	86510	120757	134374	159733	211513	237855
7. परिवार कल्याण	933	2826	15528	21533	16331	17596	19570	22817
8. आवासन	766	4156	21521	29079	22071	24263	40373	48047
9. शहरी विकास	771	3816	29700	42707	45467	56928	92713	108901
10. प्रसारण	606	977	1646	2162	2454	2806	3207	3404
11. श्रम और रोजगार	732	2079	6431	11020	10792	12638	16237	19593
12. ग्राकृतिक आपदाओं में गहत (अनु)	0	19	45	369	1265	724	566	762
13. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (अनु)	1435	6625	57627	94812	96362	37313	49399	62691
14. अन्य	346	1146	9397	14096	16068	16423	31422	36021

ग्रन्थ: लेखक द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के बजट दस्तावेज से संकलित

सहायता मिलने की संभावना है। गुणात्मक परिवर्तन के लिए 15,000 स्कूलों को पाठ्यान करने और उन्हें आदर्श स्कूलों के हृषि परिवर्तित करने का सुझाव एक नया कदम है।

बजट में, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ विभिन्न राज्यों में 100 सीनिक स्कूलों की स्थापना की भी सोचपणा को गई है। इसी प्रकार, जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलत्र्य मॉडल आवासीय विद्यालय 38 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किए जाने हैं। दुर्गम क्षेत्रों में 48 करोड़ करोड़ रुपये की लागत से ऐसे स्कूल स्थापित किए जाने हैं। 2025-26 तक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 35,219 करोड़ रुपये का आवंटन एक महत्वपूर्ण कदम है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ भागीदारी में कौशल योग्यता, आकलन और प्रमाणीकरण के साथ-साथ प्रमाणीकृत कर्मियों की तैनाती के निर्धारण के लिए एक पहल प्रक्रियाधीन है। जापानी औद्योगिक और व्यावसायिक कौशल तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण में सहायता के लिए जापान और भारत में एक सहयोगात्मक ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम (टीआईटीपी) भी चल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक देशों के साथ ऐसी पहल की जाएगी।

राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना और समग्र विकास के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) जैसी योजनाएं वास्तव में इस प्रणाली की ओर बढ़ रही हैं, जो सतत विकास लक्ष्य 4-मात्रात्मक से गुणात्मक शिक्षा तक में निहित है। इन कार्यक्रमों को ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त धन दिया गया है। स्कूलों में और उनके संचालन में प्रौद्योगिकी का उपयोग नई शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की संभावनाओं को मजबूत करेगा।

पोषण और स्वच्छ जल आपूर्ति



पोषक तत्वों, विटामिन, वृक्ष और जीवाणु को संबंधित करने के लिए, पूर्ण वैज्ञानिक और वायरल अध्ययन का विकास का लक्षण योग्यता 2.0 युवा किए जाएंगे।

112 ज़िलों में वैज्ञानिक वैज्ञानिक कार्यालयों में वैज्ञानिकों द्वारा जैविक विकास के लिए विभिन्न विकास के कार्यालय बनाएंगे।

मध्ये 4,371 प्रारंभिक स्थानीय विकासों में सबको जागरूकी के लिए जल जीवन विज्ञ शुरू किया जाएगा। इनमें उनमें से 2,36 लाख योग्य विकासकर्त्ता और 500 अनुन वाहिनी में जल अवयवात् प्रबन्ध की व्यवस्था की जाएगी।

इन 2,87,000 लाख योग्य विकासकर्त्ता मात्र में कार्यालयों का विकास कराया जाएगा।

पहल (निष्ठा) जैसी योजनाएं वास्तव में इस उद्देश्यों की ओर बढ़ रही हैं, जो सतत विकास लक्ष्य 4-मात्रात्मक से गुणात्मक शिक्षा तक में निहित है। इन कार्यक्रमों का ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त धन दिया गया है। स्कूलों में और उनके संचालन में प्रौद्योगिकी का उपयोग नई शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की संभावनाओं को मजबूत करेगा।

भाग्यालूपूर्ण जल

इस वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण अप्रणामी पहल की गई हैं। इनमें विकास वित्त संस्थान को स्थापना करना, एक व्याप्रतीक्षित निर्णय भी शामिल है। गजमार्गों के निर्माण के लिए 1,08 लाख करोड़ रुपये का अधिक पूर्जी व्यव एक महत्वपूर्ण पहल है। गजमार्गों के लिए कुल आवंटन 1,18,101 लाख करोड़ रुपये हैं, जो 2020-21 के बजट में आवंटित 91,823 करोड़ रुपये से 28 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने रेलवे और सड़कों की ओर काफी ध्यान दिया है। कई राज्यों में सड़क परियोजनाओं पर भी काफी ध्यान दिया गया है। पिछले साल शुरू की गई राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त मंत्री ने संस्थागत संरचनाओं के निर्माण, परिसंपत्तियों के मुद्रोकरण और अंततः केंद्र और राज्य के बजट में पूंजीगत व्यव का हिस्सा बढ़ाने सहित एनआईपी को समर्थन के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है।

राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना और समग्र विकास के लिए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) जैसी योजनाएं वास्तव में इस प्रणाली की ओर बढ़ रही हैं, जो सतत विकास लक्ष्य 4-मात्रात्मक से गुणात्मक शिक्षा तक में निहित है। इन कार्यक्रमों को ऐसे परिवर्तन के लिए पर्याप्त धन दिया गया है। स्कूलों में और उनके संचालन में प्रौद्योगिकी का उपयोग नई शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की संभावनाओं को मजबूत करेगा।

हमारी पत्रिकाएं योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती में विज्ञापन देने हेतु

संपर्क करें :

गैरव शर्मा, संपादक
प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-24367453, मोबाइल : 7503716820
ई मेल : pdjucir@gmail.com



बजटः आर्थिक विकास के लिए संजीवनी

दिलीप चिनोय

इन बजट प्रस्तावों में न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के तौर-तरीकों के साथ-साथ देश में कारोबार करने तथा जीवन-यापन की सुगमता बढ़ाने पर बल दिया गया है। 2021-22 के केंद्र सरकार के बजट ने देश में उम्मीद का माहौल बनाया है और इससे आर्थिक प्रगति की संभावनाएं बढ़ गई हैं।




ऐ से समय में, जब अर्थव्यवस्था एक गंभीर संकट से बस उबर ही रही थी और इस संकट के प्रभावों को झेल रही थी, सभी लोगों की निगाहें सरकार पर टिकी थीं कि वह कैसे विकास को गति देती है। एक तरफ ये उम्मीदें थीं कि सरकार द्वारा घोषित नीतियों और कार्यक्रमों से ऐसा सकारात्मक वातावरण बनेगा जिसमें समाज के हर कार्ग को पर्याप्त अवसर मिलेंगे ताकि वह अपनी शमताओं का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए राष्ट्र-निर्माण में योगदान कर सके। दूसरी ओर, यह अपेक्षा भी थी कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नागरिकों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं पूरी करने के अवसर बनें और अगर कहीं कमियां

रह गई हों तो सरकार सीधा हस्तक्षेप करके उन्हें दूर करे। इन आशाओं-अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सभी की निगाहें वर्ष 2021 के बजट पर टिकी थीं।

देश का वार्षिक बजट सरकार के आर्थिक प्रबंधन का अच्छा संकेतक है। इस दृष्टि से अगर देखें तो केंद्र सरकार का वर्ष 2021-22 का बजट शानदार है। यह मेहनत से तैयार किया गया, समावेशी, पारदर्शी और विकास-केन्द्रित बजट है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप देने और इसी बुनियादी रूप से मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का सकल्प साफ नज़र आता है। इस बजट ने अनेक अपेक्षाएं पूरी की हैं और उम्मीदें जगाई हैं।

केन्द्रीय बजट 2021-22

एक नज़र में



● 2019-20 (वासायिक) ● 2020-21 (राजस्व अनुगान) ● 2020-21 (संसदीय अनुगान) ● 2021-22 (बजट अनुगान)

/PIB_India /PIBHindi /plbindia /plbindia /plbindia.wordpress.com /plbindia /pl.gov.in

KBK

लेखक भारतीय उद्योग और व्यापार परिसंघ (फिक्की) के महाराष्ट्रिय हैं। ईमेल: dilip.chenoy@ficei.com



कृषि युवा किसनान निधि योजना मंत्रालय

कृषि अवसंरचना कोष विपणन कोष



AgriGoi

कृषि अवसंरचना कोष विपणन
अवसंरचना की सुविधा प्रदान करेगा और

किसानों को सीधे
उपभोक्ता के एक बड़े आधार पर
विकी करने में सक्षम बनायेगा,
फसलोपरान्त नुकसान को कम करेगा और
लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगा।



महामारी की बजह से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, मंडिकल मिशन और अनुसंधान और विकास सहित समूची स्वास्थ्य-सेवा प्रणाली को ही मजबूत बनाने की आवश्यकता सामने आ गई थी। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफी धन की व्यवस्था एक बड़ा सकारात्मक कदम है। 'आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' प्रारम्भ किए जाने से प्राथमिक, द्वितीयक और उच्च स्तर पर स्वास्थ्य सेवा का ढांचा मजबूत होगा और नए संस्थान खुल सकेंगे जिनसे कमी वाले स्थानों पर भी स्वास्थ्य-सेवाएं सुलभ हो सकेंगी। भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए यह महत्वपूर्ण निवेश है।

इसके साथ ही बजट में घोषित स्वच्छ पर्यावरण से जुड़े प्रयासों - 'शहरी स्वच्छ भारत 2.0 मिशन', 'जल जीवन शहरी मिशन' और 'मिशन पोषण 2.0' से भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य तथा आरोग्य सेवाएं मिल सकेंगी। कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा गया है उससे कोविड टीकाकरण अभियान को बल मिलेगा जो न केवल लोगों की जीवन-रक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी फिर से पटरी पर लाने में भी मदद मिलेगी।

बजट की दूसरी बड़ी खूबी प्रगति और विकास पर बल दिया जाना है। अर्थव्यवस्था को तुरंत सही करने और मध्यमकालीन प्रगति पर समान बल दिया गया है। राजकोषीय प्रभावों की बजाय प्रगति और विकास को प्राथमिकता देकर बजट में अर्थव्यवस्था को तेजी से सामान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। पूर्जीगत व्यय को जोखार तरीके से बढ़ावा दिया गया है और भौतिक तथा

योजना, मार्च 2021

सामाजिक बुनियादी ढांचे को संभालने पर खास जोर दिया गया है। इससे उपभोग और निवेश के चक्र में फिर से नई जान आएगी। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में ज्यादा सरकारी निवेश से निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलने को उम्मीद है जिससे ज्यादा रोज़गार पैदा होंगे और बाजार में मांग बढ़ेगी। प्रचालन-त्रंत्र (लॉजिस्टिक्स) के ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ, सरकार ने सात मेगाइनेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी घोषणा की है जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलने और इस श्रम-केन्द्रित क्षेत्र में ज्यादा रोज़गार-सृजन की उम्मीद है।

पिछले वर्षों की तरह, कृषि पर निरंतर फोकस किया गया है जो स्वागत-योग्य है। उत्पादकता बढ़ाने, कृषि-आपूर्ति शृंखला को कुशल बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। ये प्रयास सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए कृषि सुधारों के अनुरूप हैं। खेती-किसानी से संबंधित सभी प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में एक हजार और मंडियों को गश्तीय कृषि उपज बाजार के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल - ई-नाम से जोड़ना और मंडियों में मूलभूत सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए कृषि अवसंरचना कोष (एग्रीकल्चर इन्क्रास्ट्रक्चर फंड) से धन उपलब्ध कराना शामिल है। इन उपायों से गश्तीय कृषि आपूर्ति शृंखलाओं को एकीकृत करने में मदद मिलेगी और विकी की बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो सकेंगी।

अर्थव्यवस्था को तुरंत सही करने और मध्यमकालीन प्रगति पर समान बल दिया गया है। राजकोषीय प्रभावों की बजाय प्रगति और विकास को प्राथमिकता देकर बजट में अर्थव्यवस्था को तेजी से सामान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

Scanned with CamScanner

बजट की दूसरी बड़ी खुल्ली प्रगति और विकास पर बल दिया जाना है। अर्थव्यवस्था को तुरंत सही करने और मध्यमकालीन प्रगति पर समान बल दिया गया है। राजकोषीय प्रभावों की बजाय प्रगति और विकास को प्राथमिकता देकर बजट में अर्थव्यवस्था को तेजी

से सामान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। पूंजीगत व्यय को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया गया है और भौतिक तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे को संभालने पर खास जोर दिया गया है। इससे उपभोग और निवेश के चक्र में फिर से नई जान आएगी।

बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में ज्यादा सरकारी निवेश से निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है जिससे ज्यादा रोज़गार पैदा होंगे और बाज़ार में मांग बढ़ेगी।

इससे सिंचाई के लिए पानी का कुशलता और किफायत के साथ इस्तेमाल सुनिश्चित हो सकेगा। इस क्षेत्र में टिकाऊ विकास के लिए ऐसा किफायती इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है।

ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली 22 और फसलों को 'ऑपरेशन ग्रीन स्कीम' के अंतर्गत लाए जाने से उत्पादकता बढ़ेगी तथा गुणवत्ता के मानक बेहतर हो सकेंगे और ऐसे उत्पादों का ज्यादा निर्यात भी हो सकेगा। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाए जाने से किसानों की वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।

वित्तीय क्षेत्र में भी अनेक सुधार-केन्द्रित उपायों की घोषणा की गई है। सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा से सरकार के इस संकल्प का

पता चलता है कि वह ऐसे आधारभूत क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहती है और निजी क्षेत्र को ज्यादा बड़ी भूमिका देना चाहती है।

प्रगति के लिए ज्यादा पूंजी युलभ करने और बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भारतीय उद्योग और ब्लापार परिसंघ (फिक्की) काफी समय से राष्ट्रीय सम्पदा प्रबंधन -पानी बनाने की मांग करता रहा है। सम्पदा पुनर्निर्माण एवं सम्पत्ति प्रबंधन कंपनी (ऐसेट रिकन्स्ट्रक्शन एंड ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी) इनमें की सरकारी की घोषणा इस दिशा में सही समय पर उठाकर गया कदम है। महामारी के कुप्रभावों से बैंकों के कारोबार पर भी तुरा असर पड़ा और ऐसे प्रयासों से बैंकों को अपनी फंसी हुई पूंजी को हासिल करने और इसका ज्यादा उत्पादक कार्यों के लिए इस्तेमाल कर पाने में मदद मिलेगी। सरकारी बैंकों को 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त पूंजी प्रदान किए जाने से ये बैंक अपनी तात्कालिक क्रण-संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।

फिक्की 20 हजार करोड़ रुपये की स्थापना पूंजी के साथ एक विकास वित्त संस्थान (डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन) बनाने की घोषणा का भी स्वागत करता है जिसके जरिए ढांचागत क्षेत्रों में नियोजित खर्च के लिए अगले 3-4 वर्षों में 5 लाख करोड़ के क्रण की व्यवस्था की जा सकेगी। बीमा क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाया जाना भी एक साहसिक कदम है जिससे अर्थ-प्रणाली के लिए और अधिक पूंजी मिल सकेगी। इस बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की प्रगति को फिर से पटरी पर लाने और इसे रफतार देने के लिए पूंजी बाज़ारों और वित्तीय क्षेत्र को उत्प्रेरक की भूमिका संभालने का है।

इन बजट प्रस्तावों में न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के तौर-तरीकों के साथ-साथ देश में कारोबार करने तथा जीवन-यापन की सुगमता बढ़ाने पर बल दिया गया है। 2021-22 के केंद्र सरकार के बजट ने देश में उम्मीद का माहौल बनाया है और इससे आर्थिक प्रगति की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ■

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नवी गवनमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरु सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बंगलुरु	फस्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेचून टॉवर, चौथी मजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669

कृषि और किसानों की बेहतरी का लक्ष्य

डॉ जगदीप सक्सेना

कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए बजट में किए गए प्रावधानों से इन क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचाल होगा और कृषि का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के जरिये किसानों के हाथों में पहुंचने वाली रकम से आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिल सकेगी, जैसा कि कोरोना संकट के दौरान कृषि क्षेत्र में देखने को मिला था। कृषि से “ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े आजीविका के इस क्षेत्र को आधुनिक कारोबारी उद्यम में बदलना” है।

सा

ल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए हरसंभव कोशिश जारी है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो बजट पेश किया है, उसमें इस बात का खास ध्यान रखा गया है। बजट में कृषि और किसानों के हितों के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं। बजट के बारे में प्रधानमंत्री का कहना था, ‘इस बजट के केंद्र में गांव और हमारे किसान हैं।’ उनका यह भी कहना था कि देश में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कृषि से जुड़े

कई सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए सरकार को प्रतिव्रद्धता को भी दोहराया। कोरोना संकट के दौरान कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों की वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत रही (स्थिर कोमत पर, 2020-21), जबकि वाकी आर्थिक क्षेत्रों का प्रदर्शन नेटोटिव यानी काफी खराब रहा। कोरोना की वजह से हुए देशव्यापी लॉकडाउन और इससे पैदा हुई समस्याओं के बावजूद 2019-20 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 29.665 करोड़ टन (चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार)



लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की परिका के मुख्य संपादक रह चुके हैं। ईमेल: jagdeep.sxena@yahoo.com

संसद में प्रस्तुत
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21



कृषि क्षेत्र में वृद्धि

सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 महामारी के बावजूद 2020-21 के दौरान निरंतर क्रमतः पर 3.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी।

#EconomicsSurveyOfIndia

रहा। पिछले 17 साल में पहली बार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी तकरीबन 20 प्रतिशत रही (आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21)। कृषि क्षेत्र में शानदार उत्पादन की वजह से यह संभव हुआ। इस तरह की उपलब्धियों का श्रेय 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के तहत किए गए उपायों को जाता है। केंद्रीय बजट में कृषि सुधारों की रफतार तेज करने और संबंधित क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य, मंडी और बाजार

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत मौजूद दो प्रमुख विभागों- 'कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग' एवं 'कृषि शोध और शिक्षा विभाग' को कुल 1,31,531.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनका इस्तेमाल केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं को चलाने में किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बारे में तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्री का कहना था, "न्यूनतम समर्थन मूल्य के ढांचे में बढ़ा बदलाव हुआ है, ताकि सभी कमोडिटी के लिए उत्पादन मूल्य का कम से कम ठेड़ गुना दाम हासिल किया जा सके।" सरकार ने पिछले साल सभी ज़रूरी खरीफ और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। यह बढ़ोतरी मार्केटिंग सीजन 2020-21 के लिए की गई थी। किसानों को उत्पादन मूल्य पर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ (रिटर्न) देने का वादा किया गया था। हालांकि, गेहूं के लिए रिटर्न सबसे ज्यादा यानि 106 प्रतिशत रहा, जबकि तिलहन फसलों का रिटर्न 93 प्रतिशत रहा। इसके अलावा, चना और मसूर के लिए लाभ 78 प्रतिशत रहा। फसलों की खरीदारी के लिए केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई, ताकि किसानों को फसल की बिक्री में सुविधा हो। नीतीजतन, साल 2020-21 में गेहूं का उत्पादन करने वाले लाभार्थी किसानों की संख्या बढ़कर 43.36 लाख हो गई, जबकि साल 2019-20 में ऐसे किसानों की संख्या 35.57 लाख थी। इसी तरह, धान उपजाने वाले लाभार्थी किसानों की संख्या साल 2020-21 बढ़कर 1.54 करोड़ हो गई,

योजना, मार्च 2021



#Budget2021

किसानों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध



 गांवों में संपर्क मनिकों के अधिकारों का व्यापा दर्ज करने वाली स्थानीय संसदों को अब सभी राज्यों/केंद्र में लागू किया जाएगा।

 अंग्रेजी ग्रैन योजना के दावे को बढ़ाते हुए अब जल्द जल्द खराच होनेवाले 22 उत्पादों को उत्तमता किया जाएगा।

 एपीएमसी में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को जड़ने की जांच कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उत्पादक विकास किया जाएगा।

 1,000 और मटियों को ई-एनएमसी के साथ जोड़ा जाएगा।

जबकि 2019-20 में 1.24 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हुए थे।

कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) के भविष्य को लेकर तमाम आशंकाओं के बीच सरकार ने एपीएमसी के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उपलब्ध कराने का ऐलान किया है, ताकि एपीएमसी की अवसरेचना सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस फंड से कृषि का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा और इसमें मुख्य जौर फार्म-गेट प्रसंस्करण और फसलों की कटाई के बाद की चुनौतियों के लिए उपाय करने में किया जाएगा, ताकि फसलों के अपशिष्ट को कम किया जा सके। बजट में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सेस (उपकर) के लिए प्रावधान किया गया है। इसके तहत पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का सेस लगाया गया है। जाहिर तौर पर इस प्रावधान से विकास के लक्ष्यों के लिए फंड जुटाया जा सकेगा।

इसी तरह, ऑनलाइन व्यापार का फायदा किसानों तक पहुंचाने के लिए ई-एनएम (इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एप्रीकल्चर मार्केट ऑफ इंडिया) के साथ 1,000 और मटियों को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रैडिंग पोर्टल देशभर में मौजूद एपीएमसी मटियों को जोड़ता है, ताकि कृषि बाजार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। अब तक ई-एनएम के लिए तकरीबन 1.68 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 1.14 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है। बेहतर कीमत और लाभ के साथ इस प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 175 कृषि कमोडिटी का व्यापार हो रहा है। कृषि बाजार में उत्पादों की कीमत कम होने पर किसानों की मदद के लिए वित्त मंत्री ने 'आंपरेशन ग्रीन' योजना का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। फिलहाल यह योजना सिर्फ टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, लेकिन अब अपेक्षाकृत जल्द नष्ट होने वाले 22 और उत्पादों को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इस योजना के तहत संकटपूर्ण स्थितियों के दौरान, उत्पादन वाले इलाकों से उत्पादों को इधर-उधर

कृषि



लघु सिंचाई फंड को दोगुना किया जाएगा और इसमें 5,000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की जाएगी।

	2018-19	2019-20	2020-21
गेहूं	₹ 33,874	₹ 62,802	₹ 75,060
धान	₹ 63,928	₹ 1,41,930	₹ 172,752
दाल	₹ 236	₹ 8,285	₹ 10,530

- स्वामित्व योजना का दायरा सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तक बढ़ाया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2022 के लिए कृषि क्षेत्र में कर्ज वितरण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया गया। इसमें पशुधन, डेयरी और मछली पालन जैसे क्षेत्रों को कर्ज देने पर फोकस होगा।
- पारबर्थित और प्रतिस्पर्धा की बढ़ावा देने के मकान से 1,000 से भी ज्यादा मटियों को ई-एनएम के साथ जोड़ा जाएगा।
- एपीएमी में इफास्ट्रक्चर सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि इफास्ट्रक्चर फंड उपलब्ध कराए जाएंगे।

ले जाने और हुलाई के खर्च पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया गया है। रेल से फल और सब्जियों की हुलाई में भी सब्सिडी को अनुमति दी गई है।

कर्ज, कोष और देखभाल

कृषि संबंधी गतिविधियों और किसानों के कल्याण के लिए यह जरूरी है कि छोटे और सीमांत किसानों को सही समय पर पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराया जाए। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषि कर्ज के मद में 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया था। 30 नवंबर, 2020 तक कुल 79,73 लाख करोड़ रुपये के कृषि कर्ज का भुगतान किया गया था। प्रस्तावित बजट में सरकार ने कृषि संबंधी कर्ज भुगतान का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। वित्त मंत्री का कहना था, “हम पशु धन, डेयरी और मछली पालन के लिए कर्ज की रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।” पिछले बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में पशुओं की खीरी की सुविधा को भी शामिल किया गया था और 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य तय किया गया था। जनवरी 2021 (मौजूदा वित्त वर्ष में) तक मछली पालन से जुड़े लोगों को 44,000 से भी ज्यादा लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया गया, जबकि ऐसे 4 लाख से ज्यादा आवेदन की प्रक्रिया जारी है। कार्ड में मौजूद कई फायदों को ध्यान में रखते हुए, खेतों में सब्सिडी के साथ लघु सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए नाबाई के तहत 5,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया। इस सिलसिले में बढ़ती मांग की बजह से सरकार ने इससे जुड़े फंड में और 5,000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है।

प्रधानमंत्री ने इस साल के शुरू में एक अनोखी योजना की शुरुआत की। इसके तहत प्रॉपर्टी के अधिकार का रिकॉर्ड मुहैया कराने के लिए गांवों का सर्वे और ग्रामीण इलाकों में तात्कालिक तकनीक की मैपिंग की बात है। इस योजना के तहत गांवों के लोग अपनी

प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर संस्थापत कर्ज और अन्य चिनीय फायदे हासिल कर सकते हैं। अब रुप. 1.80 लाख प्रॉपर्टी द्वारा मिल वाले कार्ड हैं। यह योजना शुरू में 6 राज्यों में लागू की गई थी। हालांकि, मौजूदा बजट में इस योजना का विस्तार कर इसे सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू करने का प्रस्ताव है।

मत्स्य पालन और मध्याह्नित लेजो या वित्त पोषण

मौजूदा बजट में, पशु धन और डेयरी क्षेत्र को 3.289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले बजट के दोगुने इस मद में आवंटित की गई राशि से 18 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में (खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में) डेयरी क्षेत्र को बड़ी भूमिका है। साथ ही, किसानों को अब दोगुनी करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली पालन के मापदंड में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। मछली के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 7.58 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत में मछली का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और यह 1.416 करोड़ मीट्रिक टन रहा। यह क्षेत्र 2.8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आजीविका का आधार है। ऐसे ज्यादातर लोग समाज के विचित्र और कमज़ोर तबके से आते हैं। मछली पालन को ज्यादा लाभदायक और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत सरकार ने अब मछली पालन केंद्रों और संबंधित अन्य जगहों पर बड़े निवेश का प्रस्ताव किया है। शुरूआती दौर में कोन्चि, नेत्रई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआधाट में मछली पालन से जुड़े समुद्री तटों को अर्थिक गतिविधि के केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। समुद्री तटों के अलावा प्रमुख नदियों और जलमार्गों के तट पर भी मत्स्य केंद्र विकसित किए जाएंगे।

शैवाल की खेती एक उभरता हुए क्षेत्र है। यह क्षेत्र तटीय निवासियों के लोगों की जिंदगी बदल सकता है। भारत का तटीय क्षेत्र 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और शैवाल को 800 से ज्यादा प्रजातियां हैं। शुरू में शैवाल की खेती में लोगों की दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि, यह भोजन, ऊर्जा, रसायन और दवाओं का अक्षय स्रोत है और इस बजह से इसमें जबरदस्त आर्थिक संभावनाएं भी हैं। शैवाल से बनने वाले उत्पादों की दुनिया भर में बढ़ती मांग को देखते हुए, सरकार ने तमिलनाडु में बहुदेशीय शैवाल पार्क स्थापित करने का फैसला किया गया है, ताकि शैवाल की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। इससे बड़े पैमाने पर रोज़गार भी उपलब्ध हो सकेगा और इस तरह लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी।

कुल मिलाकर, कृषि और इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए बजट में किए गए प्रावधानों से इन क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार होगा और कृषि का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के जरिये किसानों के हाथों में पहुंचने वाली रकम से आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिल सकेगी, जैसा कि कोरोना सकट के दौरान कृषि क्षेत्र में देखने को मिला था। कृषि से संबंधित क्षेत्रों और महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने से निश्चित तौर पर सरकार के प्रेरक एजेंडा को बढ़ावा मिलेगा। इस बजट के जरिये सरकार का इसी खेती में बुनियादी बदलाव का मार्ग प्रशस्त करते हुए “ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े आजीविका के इस क्षेत्र को आधुनिक कारोबारी उद्यम में बदलना” है। ■

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), भारत सरकार द्वारा कुछ फसलों के लिए तय की गई बोगत है। गरमार किसानों से इस कीमत पर कई कृषि उत्पादों को खरीदती है। यह प्रणाली किसानों के लिए उरका कवच का काम करती है। इस तरह बाजार की अनिश्चितता से किसानों के काग़ोंवारी हितों की सुरक्षा की जाती अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है। भारत सरकार हर फसल सीजन की शुरुआत में खरीफ और रबी की कुल 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए अधिसूचना जारी करती है। इनमें व्यावसायिक फसलें भी शामिल हैं। इसमें 7 अनाज शामिल हैं- धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजार, जौ और रागी। इसके अलावा 7 तिलहन फसलें- मूँगफली, राइ, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर बीज और 4 व्यावसायिक फसलें- गरी, गन्ना, कपास और जूट) भी शामिल हैं। भारत में अक्सर फसल के उत्पादन में उत्तार-चढ़ाव देखने को मिलता है और इस बजह से बाजार में इस कीमत पर भी असर पड़ता है। साथ ही, अगले बुआई सीजन में संबंधित फसल पर भी इसका प्रभाव नजर आता है। उदाहरण के लिए, किसी फसल का ज्यादा उत्पादन होने की बजह से किसान अगले साल इसकी बुआई नहीं करना चाहते हैं। इससे फसल की आपूर्ति प्रभावित होने के साथ-साथ कई और परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है जिससे कीमतों में उत्तार-चढ़ाव के बावजूद किसानों का आत्मविश्वास बना रहता है।

भारत सरकार कृषि लागत और कीमत आयोग (सीएसपी) की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। सीएसपी एक वैधानिक संस्था है। सीएसपी, कीमत से संबंधित नीति रिपोर्ट के तौर पर साल में दो बार खरीफ और रबी फसलों के लिए अपनी सिफारिशों सौंपती है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट पर विचार करने के साथ-साथ राज्य सरकारों की भी राय लेती है। इसके बाद, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के बारे में अंतिम फसल लेने से पहले देश में किसी उत्पाद की मांग और आपूर्ति की स्थिति पर भी विचार-विमर्श करती है। फसलों की कटाई के बाद सरकार एपीएमसी मंडियों और खरीदारी केंद्रों में फसलों की खरीद करती है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अगुवाई में राष्ट्रीय किसान आयोग ने 2006 में सुझाव दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कुल उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए। उत्पादन लागत के आकलन के लिए आयोग ने तीन मानदंड अपनाने का सुझाव दिया था:

- ए2 - इसमें विभिन्न तरह के खर्चों मसलन बीज, खाद, श्रम, ईधन सिंचाई आदि की लागत को शामिल किया जाता है।
- ए2+एफएल - इसमें ए2 मानदंडों में परिवार के सदस्यों (जिनके लिए भुगतान नहीं किया गया हो) के श्रम की लागत



को शामिल किया जाता है।

- सी2 - इसमें ए2+एफएल के अलावा, जमीन के पट्टे और पूँजीगत संपत्तियों पर व्याज को शामिल किया जाता है।

सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2018-19 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में इस सिफारिश को भी लागू किया था। साथ ही, इसे उत्पादन मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत ज्यादा रखा गया। फिलहाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के आकलन में सीएसपी सिर्फ ए2+एफएल फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। हालांकि, सी2 लागत को बैंचमार्क संदर्भ लागत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुझाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों की इन लागतों को शामिल किया गया है या नहीं।

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। इसके तहत गेहूँ के लिए पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य 54 रुपये प्रति किलोटल तय किया गया था। दरअसल, 1960 के दशक में देश में हरित क्रांति का दौर था और सरकार को लगा कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर किसान गेहूँ और धान की खेती का विकल्प नहीं चुनेंगे। इन दोनों फसलों की खेती में ज्यादा श्रम की ज़रूरत होती है और उस बक्त इन फसलों के लिए बेहतर कीमत भी नहीं मिलती थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान एक सफल कदम रहा और इसके जरिये खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने में भारत सफल रहा। ■

मूलभूत सुविधाओं का मजबूत ढांचा

जी रघुराम

कुल मिला कर, बजट में न केवल राष्ट्रीय मैत्र पर आर्थिक प्रगति के लिए मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के महत्व को स्नीकार किया गया है, बल्कि इन सुविधाओं के विस्तार के लिए खर्च के बारे में समझदारी भरे कारण तरीके अपनाए गए हैं।

वि

त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में मूलभूत अवसरंवना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को महत्व दिया जाना स्वागत-योग्य कदम है। अर्थव्यवस्था के छह स्तंभों में यह - भौतिक एवं वित्तीय पूँजी तथा मूलभूत ढांचा भी एक है। इस मद में आवंटन में काफी वृद्धि हुई है; मूलभूत ढांचे के विकास के बहुवर्षीय समग्र कार्यक्रम - नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) की योजनाओं के मद्देनजर, पिछले साल के 5.5 लाख करोड़ रुपये के पूँजीगत आवंटन की तुलना में, इस मद में करीब एक तिहाई की वृद्धि की गई है।

एनआईपी के अंतर्गत 2019-20 से 2024-25 तक की छह वर्ष की अवधि में 100 लाख करोड़ के पूँजीगत व्यय का प्रावधान है। इस राशि का 39 प्रतिशत (यानि करीब 40 लाख करोड़ रुपये) केंद्र सरकार द्वारा बहन किया जाना है। पिछले दो वर्ष में इस काम के लिए औसत से कम खर्च हुआ है। और पिछले वर्ष तो कोविड-19 महामारी भी इसका कारण रही। इसलिए अब बड़ी चुनौती है कि बाकी के वर्षों में इस कमी की भरपाई कर ली जाए। एनआईपी का वायरा 20 क्षेत्रों में फैला हुआ है और पिछले दिनों इसे 7400 परियोजनाओं तक विस्तृत कर दिया गया है। मसला आवंटन का नहीं, बल्कि समझदारी और कुशलता से धन के इस्तेमाल का है।

बजट में पारदर्शिता बनाए रखने की प्रशंसनीय प्रवृत्ति के अनुरूप, यह उचित होगा कि एनआईपी जैसे वहु-वर्षीय कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन भी साथ-साथ प्रस्तुत किए जाएं। अन्यथा, मात्र आंकड़ों अथवा वार्षिक तुलनाओं को प्रस्तुत करने में ज्यादा ध्यान रहता है और पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाती।

सर्वाधिक आवंटन (1,18,101 करोड़) सड़कों के क्षेत्र के लिए है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से प्रभावी निवेश का ढांचा बेहतर हुआ है। सड़कों

की जो स्थिति है, उसमें 'बनाओ-चलाओ-सौंप दो' (बीओटीमोड) के तहत निजी-सरकारी भागीदारी (पीपीपी) के ज्यादा सफल होने की उम्मीद नहीं है (जैसे एक्सप्रेस-वे और व्यापारिक दृष्टि से कम अनुकूल सड़कों पर)। ऐसे में, हाइब्रिड-एनुइटीमॉडल (एचएम) और टौल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) ज्यादा सफल रहे हैं। साथ ही, पथ-कर राजमार्ग (टौलरेवेन्यू) की सही-सही गणना संभव होने से सरकार अब राष्ट्रीय याजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) सड़क-परिवहन से कमाई करने की स्थिति में है। अनेक अड़चनों के बाद अब

राज्यों



अवसरंवना

- राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का 74,000 परियोजनाओं तक विस्तार किया जाएगा।
- इसे सरकार और वित्तीय क्षेत्र दोनों की ओर से फँडिंग में भागे वृद्धि अपेक्षित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है-


 1. संस्थागत ढांचे को सुजित करना: इन्फ्रास्ट्रक्चर फँडिंग
 - विकासात्मक वित्त संस्थान की स्थापना के लिए वित्त लाया जाएगा।
 2. 20,000 करोड़ रुपये के प्रावधान।
 3. परिसंपत्ति के मुद्रीकरण पर विशेष जोर
 - राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लांबे की जाएगा।

कुछ मुख्य उपाय हैं-

 - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पोजीशनआईएल में से प्रत्येक ने एक आईएनबीआईटी प्रायोजित की है।
 - रेलवे डेढ़ीकंटेनर फँट कार्रोडोर को शुरू होने के बाद प्रधालन और रेख-रखाव के लिए मुद्रीकृत करेगा।
 - विमानपत्तनों को आगामी लॉट, प्रधालनों और प्रबंधन रियायत के लिए मुद्रीकृत किया जाएगा।
 3. पूँजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि
 - 5.5 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए गए, जो कि 2020-21 के बजट अनुमान से 34.5 प्रतिशत अधिक है।

लेखक नेशनल रेल एंड ट्रामपोर्टेशन इंस्टीट्यूट में ग्रिसिपल अकेडमिक एडवाइजर हैं। ईमेल: raghuram@ntti.edu.in

योजना, मार्च 2021



ई-टैलिंग (फास्टैग) टीक से काम करने लगा है जिससे टैल बूथों पर इंतजार का समय काफी कम हो गया है। इससे, टैलिंग के प्रति लोगों का प्रतिरोध अब कम होने लगा है। सड़कों की क्षमता में सुधार पर पैसा लगाने से ट्रक प्रतिदिन औंसतन ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर पाते हैं जिससे पूंजी (टक्कों में लगे पैसे) का बेहतर इस्तेमाल तो होता ही है, उपभोक्ताओं तक जल्दी और भरोसेमंद तरीके से माल भी पहुंचता है।

सड़कों के बाद, सबसे ज्यादा आवंटन (1,07,100 करोड़ रुपये) रेलवे के लिए किया गया है। इस क्षेत्र में (आंतरिक और बजट के अतिरिक्त बाहरी स्रोतों को मिलाकर) दो लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय का अनुमान है। रेलवे के क्षेत्र में निवेश ज्यादा क्षमता हासिल करने और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र की दो बड़ी परियोजनाओं - केवल माल की दुलाई के रेल-मार्ग (डेंड्रिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन के

काम में भी जमीन हासिल करने की अद्यतनों की बजह से देरी हो रही है। उपभोक्ताओं को ज्यादा सुविधाएं देने के लिए उपयुक्त नीतिगत सुधारों के साथ-साथ अधिक निजी-सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने की भी आवश्यकता है। रेल कंटेनरों से दुलाई के कामों में निजी भागीदारी बढ़ाने में, एक दशक बाद भी आशानुकूल परिणाम नहीं मिले हैं। भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी- कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कोनकर) के साथ निजी पार्टियों को वरावरी की प्रतिष्पर्धा न हो पाना इसका एक कारण है। पैसेंजर ट्रेनों में निजी भागीदारों लाने के ताजा प्रयास कितने आकर्षक होंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। रेलवे के क्षेत्र में एक बहुत ज़रूरी सुधार है किसी अधिकृत नियामक (रेगुलेटर) की नियुक्ति - ताकि रेल व्यवस्था के काम-काज में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। इस समय तो नीति निर्धारण, संचालन, आपूर्ति में एकाधिकार, कभी-कभी तो ग्राहकों पर भी एकाधिकार और नियामक-सभी भूमिकाएं भारतीय रेल विभाग के पास हो जाएं।

योजना, मार्च 2021

किर भौं रेल विभाग धोरे-धोरे लेकिन निर्तर, विभिन्न क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। इन क्षेत्रों में इंजनों और डिब्बों का निर्माण, विशेष मालगाड़ियां चलाना और माल-भाड़ा (फेट) टर्मिनल खोलना शामिल हैं। भारामारों के दौर में रेलगाड़ियों नहीं चल जाते थे। इस समय का उपयोग सुधारों से जुड़े प्रयोग करने और उनको तैयारी में किया गया। नाड़ियों की रफतार बढ़ा पाने के लिए अनेक निर्माण-कार्य जरूरी थे। ऐसे निर्माण-कार्य किए गए, जिनसे तेज रफतार गाड़ियां चलाना और बेहतर सेवाएं देना संभव हो सके। भारतीय रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि निजी पार्टियों के लिए बेहतर स्थितियां कैसे लाई जा सकें ताकि वे उपभोक्ताओं की सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए ज्यादा तत्पर सेवा दे सकें।

यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि पिछले दिनों जारी राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) के मसौदे सहित अनेक रिपोर्टों में यातायात में रेलवे के घटते हिस्से के रुझान को न केवल रोकने पर बल दिया गया है, बल्कि जलवायु पर असर और ऊर्जा के किफायती इस्तेमाल की दृष्टि से रेल यातायात को बढ़ावा देने को भी बात कही गई है। इन रिपोर्टों में, माल की ढुलाई में, रेलवे के हिस्से को वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़ाते हुए, वर्ष 2050 तक 50 प्रतिशत करने की बात कही गई है। कंटेनर ट्रैन प्रचालन के क्षेत्र में, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निजीकरण की बात चल रही है ताकि इस क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा संभव हो

सुनियोजित विनिवेश और परिसंपत्तियों की विक्री से धन की प्राप्ति पर इस बजट में बहुत ध्यान दिया गया है। इसमें सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही, निजी क्षेत्र की कार्य-कुशलता भी बढ़ेगी। अबतम इन क्षेत्र में विनिवेश के लिए लाभित सरकारी कंपनियों में एआर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन और बीपीसीएल शामिल हैं।

रेलवे मूलभूत ढांचा



- 2030 तक 'फ्यूचर रेडी' रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए राष्ट्रीय रेल प्लान फॉर इंडिया-2030
- जून 2022 से शुरू होने वाली वेस्टर्न डेडीकेटेड फेट कॉरिडोर (डीएफसी) और ईस्टर्न डीएफसी योजना से मेक इन इंडिया रणनीति के तहत लॉजिस्टिक लागत कम होगी
- दिसंबर 2023 तक, ब्रॉड गेज रुट का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाएगा

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए :

- पर्यटक रुटों पर बेहतर यात्रा अनुभव के लिए सुरुचिपूर्ण डिजाइन किए गए विस्टा डॉम एलएचबी कोच
- मानव भूल के कारण होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली

सके। इस दिशा में पहला कदम भारतीय रेलवे द्वारा मध्यमियों पर दिए गए टर्मिनलों को बाजार पर देना शामिल है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने टर्मिनलों की संख्या को उचित स्तर तक सीमित कर रहा है। इस दिशा में काम करते हुए, कुछ टर्मिनल बंद करके इनकी जमीन लौटाई जा रही है और जिन टर्मिनलों को कापोरेशन रखना चाहता है, वहाँ इनसे ज्यादा भाड़ा प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

शहरी परिवहन पर विशेष वल दिया गया है। इसमें मेट्रो लाइनों के विस्तार के लिए ज्यादा रकम देने के साथ-साथ, मेट्रोलाइट, मेट्रोनिओं और बस परिवहन का विस्तार भी शामिल है। मेट्रो लाइन तैयार करने में प्रति किलोमीटर 300 करोड़ रुपये खर्च होते हैं,

जबकि मेट्रोलाइट के लिए 180 करोड़ और मेट्रोनिओं के लिए 70 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर ही खर्च होते हैं। इन प्रौद्योगिकियों का अपनाने से, भारत में लोक परिवहन सुविधाओं की पूरी रेज उपलब्ध हो सकेगी। इनमें परंपरागत बस त्वरित परिवहन सेवा (बस रैपिड ट्राइंकट सिस्टम-बीआरटीएस), मेट्रोनिओं, मेट्रोलाइट, मेट्रो रेल और क्षेत्रीय रेल परिवहन व्यवस्था (रीजनल रेल ट्राइंकट सिस्टम) शामिल होंगी। भारत जैसी विविधतापूर्ण शहरी अर्थव्यवस्था के लिए परिवहन की ऐसी विविधता जरूरी है। इससे उप-नगरीय क्षेत्र शहरों से जुड़ सकेंगे और दूसरे तथा तीसरे दर्जे के शहरों को भी विविधतापूर्ण लोक परिवहन के द्वायरे में लाया जा सकेगा।

बजट में दूरसंचार क्षेत्र को भी महत्व दिया गया है। इस क्षेत्र में भारत नेट परियोजना को पूरा करने के लिए आवंटन किया गया है जिसके अंतर्गत देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की व्यवस्था है। इस परियोजना में काफी देरी हो चुकी है। उम्मीद है कि आवंटित 9,000 करोड़ रुपये की राशि से यह कार्य सम्पन्न हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय को भी अपने नेटवर्क और उपकरणों को बेहतर बनाने के लिए धन दिया गया है जिसके उचित इस्तेमाल के बाद वे अपना स्पेक्ट्रम खाली कर सकेंगे जिसका भविष्य में व्यावसायिक इस्तेमाल हो सकेगा। विद्युत क्षेत्र को भी उपयुक्त आवंटन किया गया है ताकि विजली वितरण कंपनियां बेहतर तरीके से काम कर सकें। बताया गया है कि 5 वर्ष की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। (वित्त मंत्री ने इस मद के लिए रखी राशि को एक योजना की तरह प्रस्तुत किया। संभवतः इस वर्ष के लिए जुरूरी राशि के विवरणों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका होगा।)

कृषि के क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं के विस्तार के लिए जो आवंटन किया गया है, उसका अन्य किसी कार्य के लिए नहीं उपयोग नहीं किया जा सकता। यह एक प्रशंसनीय कदम है। इसके लिए राशि पेट्रोल-डीजल पर लग रहे उप-कर (सैस) से दी जाएगी। लेकिन इस के असर को इधन के अंतिम उपभोक्ता पर नहीं थोपा जाएगा। इधन के मूल्य में आधे से अधिक हिस्सा करों और शुल्कों (इयूटीज) का है जो मिले-जुले रूप से केंद्र और राज्य सरकारों - दोनों के हैं। सरकार ने इधन पर शुल्क कम करके, उतनी रकम को 'सैस' में शामिल कर लिया है। शुल्कों (इयूटीज) की राशि का तो

मेंद और राज्य सरकारों के बीच बटवारा होता है, लेकिन 'सैस' का बटवारा नहीं होता। भारत में कृषि से जुड़ी मूलभूत नियमित बहुत कम है जिसकी वजह से फसल तैयार होने के बाद खेतों को काफ़ी नुकसान होता है।

बजट में डिल्लीखित, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मछली पकड़ने के अड्डों का विकास, शहरी स्थानीय निकायों में जल-आपूर्ति योजनाएं और कुछ अन्य हवाई अड्डों का निजी वार्चनिक भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर विकास शामिल हैं। बन्दरगाह और जहाजरानी क्षेत्र का अलग से तो उल्लेख नहीं किया गया था लेकिन इस क्षेत्र में पहले से ही 'सागरमाला' कार्यक्रम चल रहा है। पिछले दिनों, जहाजरानी के क्षेत्र में एक 'मेरीटाइम इंडिया विजनफॉर 2030' तैयार किया गया है जिसमें इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास के लिए भावे योजनाओं-कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

इस बजट की एक और खास बात संस्थागत सुधारों पर ध्यान देना है। मूलभूत ढाँचे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपयों के आवंटन के साथ एक नया डेवलपमेंट फाइंडेंस इंस्टीट्यूशन (डीएफआई) खोला जाएगा। यह कदम स्वागत-योग्य है, पर साथ ही हमें इससे पहले सरकार द्वारा खोले अथवा प्रोत्साहित किए गए संस्थानों के अनुभवों से भी सीख लेनी होगी। ऐसे संस्थानों में आईएल एंड एफएस, आईडीएफसी (जिसे अब बैंक बना दिए जाने से इसका पूर्व-नियंत्रित विकास का फोकस नहीं रह गया है) और आईआईएफसीएल शामिल हैं। बैंकों द्वारा नहीं बसूले जा सके झण्ठों यानी नॉन-पफोर्मिंग एसेट्स के निपटान के लिए सरकार ने एक 'बैंड' बैंक भी स्थापित किया है जिसमें संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एसेट रिकॉर्ड्स्ट्रक्शन कंपनी-एआरसी) और संपत्ति प्रबंधन कंपनी (एसेट मैनेजमेंट कंपनी-एएमसी) शामिल हैं। इस कदम को उठाया जाना बहुत जरूरी था क्योंकि बुनियादी अवसरंचना से जुड़ी परिसंपत्तियां ही न बसूले जा सकने वाले झण्ठों के एक प्रमुख कारण होते हैं। इसी के अनुरूप, ऐसी एक कंपनी होना उपयोगी होगा जो किसी कानूनी विवाद के दौरान सम्पत्तियों (निर्मित हो रही या पहले से बनी हुई) को कब्जे में ले ले तकि इनकी आगे कोई बिक्री न कर सके और भासले का

सड़क एवं राजमार्ग अवसरंचना

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 1,18,101 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक आवंटन
- निम्न आर्थिक कॉरीडोर की योजना :
- 1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से तमिलनाडु में 3,500 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण। इसमें मदुरै-कोलाक कॉरिडोर और चित्तूर-थातचूर कॉरिडोर शामिल है।
- 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से केरल में 1100 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जिसमें केरल का मुम्बई-कन्न्याकुमारी कॉरिडोर का 600 किमी. का खंड भी शामिल है।
- पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपये के लागत से 675 किमी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, जिसमें वर्तमान कोलकाता-सिलीगुड़ी सड़क को अपग्रेड किया जाएगा

1/2

सड़क एवं राजमार्ग अवसरंचना

- असम में लगभग 19,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य प्रगति पर हैं। अगले तीन वर्षों के दौरान 34,000 करोड़ रुपये वाली 1300 किमी. से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा किया जाएगा

सभी नए चार और छह लेन वाले राजमार्गों पर स्पीड रडार, वैरिएबल मैसेज साइनबोर्ड, जीपीएस इनेबल्ड रिकवरी वैन वाले आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाएगी

2/2



निपटान हो जाने तक इन सम्पत्तियों का समुचित रख-रखाव किया जा सके ऐसे विवादों की बड़ी संख्या को देखते हुए, इस तरह के रख-रखाव से सम्पत्तियों की कीमतों में गिरावट रोकी जा सकेगी।

सुनियोजित विनिवेश और परिसंपत्तियों की विक्री से धन की प्राप्ति पर इस बजट में बहुत ध्यान दिया गया है। इससे सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही, निजी क्षेत्र की कार्य-कुशलता भी बढ़ेगी। अवसंरचना क्षेत्र में विनिवेश के लिए लक्षित सरकारी कंपनियों में एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावन हंस और बीपीसीएल शामिल हैं। एअर इंडिया के अनुभव से पता चलता है कि विनिवेश करना, मात्र इसका इशारा कर लेने जितना आसान नहीं है। इसके लिए प्राथमिक तैयारी तो करनी ही होगी, बहुत ऊंची अपेक्षाएं भी नहीं रखनी होंगी। बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र में परिसंपत्तियों से धन प्राप्त करने के दायरे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के हवाई अड्डे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) की सड़कें, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ट्रांसमिशन लाइनें, केंद्रीय भंडारण निगम (सेंट्रल वैयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन) के गोदाम, डेफिकेटेड फ्रेट कौरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ मार्ग तथा पेट्रोलियम सैक्टर की कुछ कंपनियों की संपत्तियां शामिल हैं। ये सभी कदम सही दिशा में हैं क्योंकि इनसे सरकार द्वारा निर्मित (जमीन सहित) अनेक महत्वपूर्ण सम्पत्तियों की सही कीमत मिल सकेगी।

इस परिवेश में, बजट में सरकार की दीर्घकालीन नीति परिवर्तित हुई है जिसमें अवसंरचना (बुनियादी महत्व की सुविधाएं तथा संसाधन) क्षेत्र का बहुत महत्व है। सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति में विभिन्न क्षेत्रों को सामरिक और असामरिक महत्व के दो बगों में बांटा गया है। सामरिक महत्व के क्षेत्रों में 'न्यूनतम' सरकारी उद्यम होंगे, जबकि असामरिक क्षेत्र में चल रहे

सभी सरकारी उद्यमों का निजीकरण कर दिया जाएगा। सामरिक क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं/संसाधनों में परिवहन, दूरसंचार और ऊर्जा (विजली, पेट्रोलियम और कोयला) शामिल हैं। विभिन्न बजट योग्याओं के बीच इस नीति का महत्व स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आ सका।

हालांकि इस बजट में मूलभूत सुविधाओं पर काफी जोर दिया गया है, लेकिन अनुसंधान और विकास के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भर' बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, रेल सेवाओं और लोक परिवहन के क्षेत्र में ज्यादातर प्रौद्योगिकियों को आयात किया जाना है। अब ऐसी दृष्टि विकसित करना आवश्यक है कि भारत न केवल इन सभी प्रौद्योगिकियों को देश में ही विकसित करे, बल्कि इनका नियांत्रण भी कर सके। टी18 ट्रेन सेट का विकास ऐसे ही एक क्षेत्र में हमारी क्षमताओं को उजागर करता है। हमारा विशाल घरेलू बाजार होने से हमें नियांत्रण में भी बढ़त मिल सकती है। हमने कोविड वैक्सीन बनाने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में यह सावित कर दिया है। 'समग्र अनुसंधान प्रणाली' को भजवृत्त करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने के बास्ते बजट में 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। 'विशेषज्ञ प्रोफेशनलों' को तैयार करने के लिए व्यवस्था की गई और मूलभूत ढांचे से जुड़े सुविधाओं के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों के जरिए अनुसंधान पर फोकस किया गया। इन प्रयासों को निरंतर जारी रखने से भविष्य में इनके सुपरिणाम मिलेंगे।

कुल मिला कर, बजट में न केवल राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रगति के लिए मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के महत्व को स्वीकार किया गया है, बल्कि इन सुविधाओं के विस्तार के लिए खर्च के बारे में समझदारी भरे कागर तरीके अपनाए गए हैं। हालांकि, अतिम परिणाम तो विभिन्न मदों पर बारीकी से ध्यान देने और कार्यान्वयन की क्षमता पर निर्भर करेंगे।

विज्ञान, अनुसंधान और अंतरिक्ष की उड़ान

अनिल बंसल

सरकार की दूरदृष्टि और अनुसंधान व विकास को वर्गीयता देने की नीति के कारण कृपि, स्वाम्य और परमाणु शक्ति के क्षेत्रों में भी भारत लगातार आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बजट में विज्ञान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परियोग के लिए 6302 करोड़ रुपये, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लिए 2787 करोड़ रुपये और को और बेहतर परिणाम देने में सुविधा होगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारा क्षमता विस्तार हुआ है। परिणाम भी कृपि क्षेत्र में शीघ्र दिखेंगे। हमारे कृपि वैज्ञानिक उन्नत वीजों के विकास और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाकर प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार की दिशा में भी काफी गंभीर प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने कृपि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भी खासा निवेश किया है। विज्ञान, तकनीक और नवाचार नीति 2020 के माध्यम से सरकार जमीनी स्तर तक अपनी सीधी पहुंच स्थापित करने की दिशा में भी गंभीरता से आगे बढ़ रही है।

वि

ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और नवीनतम प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है कि कोविड-19 जैसी विश्व व्यापी महामारी के मुकाबले के लिए जब वैक्सीन खोजने की नीति आई तो भारत ने दिखा दिया कि वह इस क्षेत्र में अमेरिका, जर्मनी, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों से किसी भी मायने में पीछे रहे हैं। उल्टे भारत को वैक्सीन को सारी दुनिया ने विश्वसनीय और खुश माना है। जबकि कोविड-19 महामारी के लिए उत्तरदायी समझे

जाने वाले चीन की वैक्सीन का तो कोई स्वीकार नहीं है। आजीले ने तो चीन की वैक्सीन का कोई असर न होने की शिकायत भी कर रही है। दुनिया में प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान संबंधी निवेश के नजरिए से भारत इस समय दुनिया के तीसरे सबसे आकर्षक देश की श्रेणी में है। इसका मुख्य कारण यही है कि सरकार के लिए प्रौद्योगिकी सदैव प्रबल प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। लोगों को विज्ञान केंद्रित बनाने पर सरकार का पूरा ध्यान है। आखिर आर्थिक विकास की चाबी विज्ञान



लेखक वर्षापुर आर्थिक पत्रकार व जनसत्ता के अग्रणी प्रमुख है। ईमेल: abjansattaf@gmail.com

योजना, मार्च 2021

नवाचार और अनुसंधान एवं विकास

युना ज्यादा है। यह चिता को बात है कि आज भी विकसित देशों की तुलना में हमारा निजी क्षेत्र अनुसंधान और विकास की गतिविधियों पर काफ़े कम निवेश करता है। जबकि सरकार ने नवाचार के लिए निजी क्षेत्र को विभिन्न सरकारी करों में आकर्षक रियायतें भी दे रखी हैं। पेटेट को ही ले, भारत में निजी क्षेत्र के खाते में जहाँ केवल 36 प्रतिशत पेटेट हैं वहाँ जिन 10 आर्थिक महाशक्तियों से मुकाबला है, वहाँ औसतन 62 प्रतिशत पेटेट निजी क्षेत्र के हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमारे निजी कारोबारी अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ाएं।

वर्ष 2021-22 का आम बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन के मामले में अनुलनीय है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस मंत्रालय के लिए जैसे ही 13949 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की, संसद सदस्यों ने मैंजे धर्मथपाकर

- पहला गानधी लाल विभाग 2021 में करने की तैयारी
- देश में समय रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन
- गहरे महासागरीय सर्वेक्षण अन्वेषण और गहरी महासागर जैव विविधता के सर्वेक्षण के लिए डीप ओशन निशन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 4000 करोड़ रुपये का आवंटन
- अंतरिक्ष विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ब्राजील के एमोजोनिया सैटेलाईट सर्वेट कई छोटे भारतीय सैटेलाईट लेकर जाने वाले पीएसएलवी-सीएस 51 को लाल करेगी
- गगनयान निशन गतिविधियों के तहत भारतीय एस्ट्रोनोटिस को लाल में जैनेरिक स्पेस फ्लाईट असापेक्ट में देनिंग दी जा रही है

और प्रौद्योगिकी के विकास में ही तो है। विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में भारत इस समय दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में शामिल है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में तो हम दुनिया के पांच बड़े देशों में शामिल हो चुके हैं। सार्क के सदस्य देशों के लिए हम उपग्रह प्रक्षेपण की सुविधा देकर न केवल राजस्व अर्जित कर रहे हैं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के अपने प्राचीन सिद्धांत पर भी अमल कर रहे हैं।

जहाँ तक नवाचार के क्षेत्र में भारत की रुचि का सबाल है, हम लगातार अपनी स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। पिछले वर्ष सितंबर में वैश्वक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स) में हम चार स्थान ऊपर उठकर 48वें स्थान पर पहुंच गए। अर्थात् 50 सर्वश्रेष्ठ देशों की श्रेणी में पहली बार शामिल हुए। सूचना और संचार तकनीक के नियांत के मामले में तो हम आज दुनिया के 15 देशों में शामिल हैं। सरकार तकनीक आधारित व्यवसायिक अनुसंधानों को गहराई से प्रोत्साहन दे रही है। उद्देश्य अनुसंधान को केवल सरकारी संस्थानों तक ही सीमित न रख निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का है क्योंकि सरकार के संसाधन सीमित हैं। आर्थिक समीक्षा (2021) में भी नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में निजी निवेश को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता माना गया है। वेशक सरकार के प्रयासों में कोई कमी नहीं है। फिर भी यह बास्तविकता है कि अनुसंधान और विकास पर हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.65 प्रतिशत ही खर्च कर रहे हैं। जो विश्व की 10 आर्थिक महाशक्तियों की तुलना में काफ़ी कम है। जो अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 से 3.0 प्रतिशत तक खर्च करते हैं। यह बात अलग है कि इन देशों की सरकारों का खर्च भारत सरकार की तुलना में काफ़ी कम है। सरकारी खर्च के परिप्रेक्ष्य में तो भारत सरकार का खर्च इन देशों के औरंगत सरकारी खर्च से तीन

उसका विशेष रूप से स्वागत किया। कांगड़ा संक्रमण ने 2020-21 में केवल आर्थिक गतिविधियों को ही नहीं अनुसंधान और विकास की गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला। लैकिन सरकार उस नुकसान की भरपाई अगले वित्त वर्ष में करने का पक्का इरादा रखती है क्योंकि उसने गत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 2021-22 के बजट में एकमुश्त बढ़ातरी 4449 करोड़ रुपये की है।

वित्त मंत्री ने जुलाई 2019 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार एक राष्ट्रीय अनुसंधान फांडेशन का गठन करेगी। इस वर्ष के बजट में उन्होंने इस स्वप्न को साकार कर दिया है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में सरकार प्रयास हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का अनुसंधान बातावरण न केवल शक्तिशाली हो बल्कि उसका ध्यान देश की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ज्यादा केंद्रित रह सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अपने अनुसंधान का लाभ हथियार निर्माण के काम में भी उठा रहा है। एक दौर ऐसा था जब हम अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। यह नवाचार का ही परिणाम है कि अब हम अपनी रक्षा ज़रूरत के ज्यादातार उपकरण और हथियारों का उत्पादन खुद कर रहे हैं। हमारे सार्वजनिक उपकरण हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने पिछले दिनों पूरी तरह स्वदेशी 83 हल्के लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना को सौंप दिए। एचएएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक आर माधवन का कहना है कि वे जल्द ही हल्के लड़ाकू विमान तेजस को दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के देशों के नियांत करेंगे। एचएएल ने निकट भविष्य के लिए अपनी एक अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना के विकास का भी इरादा जाहिर किया है। मानव रहित लड़ाकू जेट जल्द ही निर्मित

यह नवाचार का ही परिणाम है कि

अब हम अपनी रक्षा ज़रूरत के ज्यादातार उपकरण और हथियारों का उत्पादन खुद कर रहे हैं।

हमारे सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने पिछले दिनों पूरी तरह स्वदेशी 83 हल्के लड़ाकू विमान भारतीय वायु सेना को सौंप दिए।

होगा। जो सारी दुनिया को भारतीय अन्वेषण पर दृश्यों तले डंगली दबाने को मजबूर कर देगा। सरकार ने इस परियोजना के लिए एप्पेल को किसी भी तरह की वित्तीय कठिनाई नहीं होने देने का भरोसा दिया है। यह मध्ये श्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों बैगलूरु में जब यह जानकारी दी कि भारत अब हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को भी हमेशारों की आपूर्ति करने की स्थिति में है, तो हर भारतीयांसी का माथा गर्व से ऊँचा हो उठा। कौन कल्पना कर सकता था कि भारत सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल, हल्के लहाकू विमान, हेलिकाप्टर, बहुउद्देश्यीय हल्के मालवाहक विमान और टैंक, रडार व इलेक्ट्रॉनिक वारफोयर सिस्टम का निर्माण कर सकता है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देशों को मानवीय आधार पर अपनी विशेषज्ञता और राहत देने में कभी कोताही नहीं बरती।

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अद्भुत आयाम स्थापित किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) विश्व की चौथी ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल तक अपना यान भेजने में सफलता पाई है। विशेष बत यह है कि अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी अपने मंगल मिशन में पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने यह चमत्कारी सफलता पहले ही प्रयास में हासिल कर दिखाई थी। और भी ज्यादा हँसानी की बात तो यह थी

बजट में केवल अंतरिक्ष अनुसंधान पर ही जोर नहीं है, समृद्ध मंथन की भी हमारी तैयारी पुख्ता है। इसके लिए डीप ओशन मिशन की योजना अमल में लाई जाएगी। अगले पांच वर्ष के लिए, सरकार ने इस मिशन हेतु चार हजार करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान कर दिया है। मानव रहित उपग्रह के बाद

हम मानव युक्त मिशन गणनयान के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए हमारे चार अंतरिक्ष यात्री रूस में जेनेरिक अंतरिक्ष उड़ान वाले पहलू का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मानव रहित पहला मिशन दिसंबर 2021 में संपन्न होगा तो अगले ही वर्ष हम दूसरे मिशन में जुट जाएंगे।

कि मंगल मिशन पर कुल लागत मात्र 450 करोड़ रुपये ही आई। जबकि इससे ज्यादा लागत तो हालीबुड की एक फिल्म के निर्माण में आ जाती है।

इस वर्ष दिसंबर तक भारत अंतरिक्ष में अपना मानव रहित पहला यान भी भेजने की स्थिति में होगा। जुलाई 2019 में भारत का चंद्रयान-2 मिशन विक्रम लैंडर के दुष्टनाप्रस्त हो जाने के कारण लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया था। पर इस विफलता से न तो हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल गिरा और न ही उनके प्रयासों में कोई कमी आई। नतीजतन इसी वर्ष भारत अंतरिक्ष में अपने गोक्टे से पहले भारतीय को भेजेगा। साथ ही चंद्रयान-3 डिमोस्ट्रेटर मिशन मंगल पर पहुंचने की कोशिश में है। आदित्य, चंद्रयान और बौनस जैसे अगले मिशन भी इसरो ने बना लिए हैं। सुखद पहलू यह है कि चंद्रयान-3 की लागत चंद्रयान-2 की तुलना में काफी कम होगी। इस पर केवल 912 लाख डालर का खर्च आएगा। याद कीजिए 1984 को जब पहले भारतीय यात्री श्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे। पर तब वे अपने उपग्रह


में नहीं रूसी मिशन के तहत उन्हीं के उपग्रह में गए थे। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की पहले बड़ी मिशन के रूप में चंद्रयान-1 की 2008 में सफलता एक बड़ी उपलब्धि थी।

बजटीय सहायता बढ़ जाने से यह वर्ष अंतरिक्ष मिशन के लिए उपलब्धियों भरा और उत्साहित करने वाला सिद्ध होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए सरकार ने 2021-22 में 13949 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर अपनी प्राथमिकता को प्रमाणित किया है। इसमें 8228 करोड़ तां पूर्जीगत खर्च ही होगा। अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाने के बाद अब हमारे वैज्ञानिक नियांत से अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। इसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नामक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना सरकार का भागीरथ प्रयास है। वित्त मंत्री ने इस उपक्रम के लिए 700 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने जो अनुसंधान व विकास किया है, इस उपक्रम के माध्यम से हम अंतरिक्ष डिपार्टमेंट, प्रक्षेपण वाहनों का उत्पादन और तकनीकों के हस्तांतरण का विषयन कर एक तरफ तो दुनिया में अपनी पहचान और मान सम्मान अर्जित करेंगे दूसरी तरफ नियांत से आमदनी भी करेंगे। पीएसएलवी-सोएस ५। कं प्रक्षेपण का काम भी इसी उपक्रम के माध्यम से होगा, जिसमें ब्राजील के एमोजोनिया उपग्रह सहित कुछ भारतीय होटें उपग्रहों का प्रक्षेपण रखाना किया जाएगा।

बजट में केवल अंतरिक्ष अनुसंधान पर ही जोर नहीं है, समृद्ध मंथन की भी हमारी तैयारी पुख्ता है। इसके लिए डीप ओशन मिशन की योजना अमल में लाई जाएगी। अगले पांच वर्ष के लिए, सरकार ने इस मिशन हेतु चार हजार करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान कर दिया है। मानव रहित उपग्रह के बाद हम मानव युक्त मिशन

निजी क्षेत्र नवाचार – समय की जरूरत

- अनुसंधान एवं विकास के लिए भारत का सकल घरेलू व्यय जीडीपी का 0.65 प्रतिशत है, जो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के व्यय (1.5-3%) से कम है।
- भारत के सरकारी क्षेत्र का योगदान 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के औसत से तीन गुना।
- नवाचार के लिए उदार कर प्रोत्साहनों के बावजूद व्यावसायिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है।
- कुल पैटेंट में भारतीयों का योगदान 36 प्रतिशत, अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में योगदान औसतन 62 प्रतिशत है।
- व्यावसायिक क्षेत्र पर जोर देते हुए भारत को अनुसंधान और विकास में निवेश पर विशेष जोर देना होगा।



टचनात्मकता और नवाचार की नई उड़ान...

अतएव दृष्टिकोण से यह विवरण अनुभवात्मक विवरण की ओर से बहुत अधिक असहज है। इस समय की दृष्टिकोणात्मक और अभिवृत्त प्रौद्योगिक विवरण की परियोग को प्रोत्साहित करना पड़ता है। अतएव विवरणीय विवरण संरचना (AICB) की उपलब्धता का महत्व यह है कि उपरोक्त और साथी की दृष्टिकोणात्मक विवरण का एक व्यवस्था द्वारा लोगोंपरी को दर्शाया देने हुए रूप से जारी रहा है। इस प्रकार से कर अनुभवात्मकवार्ताओं और लोगोंपरी को दिखाया जाने पर अतएव दृष्टिकोण संरचना की दृष्टिकोण व्यवस्था होनी।

२०१३ आवास लाया एवं अधिकार प्रदाता हैं।

- दूसरी तरफ से प्रयोगी, लाभार्थी की ओर • सामाजिक क्षेत्रों की हावोपिति कर्तव्यी उपलब्धता सभी और
 - अन्तर्गत वही द्वारा तभी भी • अतिकर्तव्यानुभवों के साथ मिल है लाभान्वित सिद्धान्त की ओर

अधिक जानकारी के लिए: www.aim.gov.in/acic

गगनयान के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए हमारे चार अंतरिक्ष यात्री रूप में जेनेरिक अंतरिक्ष उड़ान वाले पहलू का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मानव रहत पहला मिशन दिसंबर 2021 में संपन्न होगा तो अगले ही वर्ष हम दूसरे मिशन में जुट जाएंगे। इसरो के अध्यक्ष श्री के सिवन ने क्षमता विकास और उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इसरो को 900 करोड़ रुपये की अंतरिक्ष सहायता दिए जाने के फैसले के लिए सरकार का आभार जताया है। हमारे लिए यह भी गर्व की बात है कि अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बदौलत हम अब तक अपने उपग्रहों के साथ-साथ 33 देशों के 328 उपग्रहों का भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर चुके हैं। इससे हमें 2.5 करोड़ डालर और 18.90 करोड़ यूरो की आय हुई है। उपग्रहों में अब इसरो एक नई तकनीक के इस्तेमाल को तैयारी में है। उपग्रह में अभी उसके कुल भार का करीब आधा उसमें भरे ईधन का ही होता है। अनुसंधान के बाद अब इसरो ने इलेक्ट्रिक प्रोपलसन (ईपी) तकनीक को अपनाने का फैसला किया है। अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए जो भी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे उनमें इसी तकनीक का प्रयोग होगा। इस तकनीक में कम ईधन की आवश्यकता होती है, जिससे हम बड़े उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकते हैं।

बजट में दूसरे क्षेत्रों में भी अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की घोषणा की है। इससे समग्र अनुसंधान इकाईसिस्टम को प्रबढ़ियता दिया जाएगा। बजट में इसके लिए पचास हजार करोड़ रुपये का आवंटन मील का पत्थर सिद्ध होगा। गहरे महासागरीय सर्वेक्षण अन्वेषण और गहरी महासागर जैव विविधता के संरक्षण के लिए ढीप ओशन मिशन परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए चार हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया जाना भी न केवल नवाचार और अनुसंधान व विकास को नए आयाम देगा बल्कि गहरे समुद्र में छिपे मानव कल्याण के संसाधनों के रहस्य को भी उजागर करने में महायक होगा। इस अध्ययन से प्राकृतिक आपदाओं के कारणों को समझने में सहायता होगी और उसके अनुरूप ही समाधन खोजना भी संभव हो पाएगा।

विज्ञान का दायरा केवल अंतरिक्ष या गहरे समुद्र तक ही सीमित नहीं है। सरकार की दूरदृष्टि और अनुसंधान व विकास को दूसरी आवश्यकताओं से अधिक वरीयता देने की नीति के कारण कृषि, स्वास्थ्य और परमाणु शक्ति के क्षेत्रों में भी भारत लगातार अत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बजट में विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 6302 करोड़ रुपये, वायोटैक्नोलॉजी विभाग के लिए 2787 करोड़ रुपये और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए 5385 करोड़ रुपये के आवंटन से भी हमारे वैज्ञानिकों को और वेहतर परिणाम देने में सुविधा होगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारा क्षमता विस्तार हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी से दबा उद्योग का कायाकल्प होने की संभावना है। तकनीक आधारित हारित क्रांति के परिणाम भी कृषि क्षेत्र में शोध दिखेंगे। हमारे कृषि वैज्ञानिक उन्नत बीजों के विकास और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाकर प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार को दिशा में भी काफ़ी यास कर रहे हैं। सरकार ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भी नवेश किया है। विज्ञान, तकनीक और नवाचार नीति 2020 के से सरकार जमीनी स्तर तक अपनी सीधी पहुंच स्थापित करने में भी गंभीरता से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे मकसद समीक्षा, नीतिगत मूल्यांकन और ज़रूरत के अनुसार नीतियों में फेरबदल के लिए समर्थ होना है। हमारे वैज्ञानिक विज्ञान नीति के अनेक नए व विविध क्षेत्रों में भी अनुसंधान कर रहे हैं। आयोन बैटरी तकनीक के मापले में बेशक हम दूसरे विकसित पीछे हो पर सॉर्डियम या जिंक आयोन या सॉलिड इलैक्ट्रो लाइट क्षेत्र में हम अग्रणी देशों की कतार में शामिल हैं। संतोष की है कि तकनीक क्षेत्र के हमारे स्टार्टअप को अनुसंधान के लिए ने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री अंटअप इंडिया योजना ने युवा प्रतिभाओं को देश के विकास में नीति के लिए खासा प्रोत्साहित किया है। आंकड़े गवाह हैं कि दोओं, विज्ञान विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, कृषि एवं अनुसंधान और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए भी 2014 बजट में आवंटन उल्लेखनीय गति से बढ़ा है। ■



मानव पूंजी और गुणवत्तापरक शिक्षा को जोड़ता बजट

डॉ रहीस सिंह

वर्ष 2021-22 के बजट ने मानव पूंजी और नई शिक्षा नीति के बीच स्थापित जुड़ाव को मजबूत करने के लिए वित्त पोषण की उपयुक्त व्यवस्था की है। वित्त मंत्री ने बजट (2021-22) भाषण में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का व्यापक रूप से स्वागत हुआ है। इसे आगे बढ़ाने और इसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने विभिन्न बजटीय ग्रावधान किए। उन्होंने यह घोषणा करते हुए संतोष व्यक्त किया कि 15000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करके गुणवत्ता रूप से मजबूत बनाया जाएगा।

“ज

ब हम पूरे विश्व-पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में एक अवसरों की भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को ले करके संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वो देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता।” 8 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्यसभा में दिए गये इस वक्ताव्य में निहित ये पर्वतयां युवा मन को स्वतःस्फूर्त होने के लिए प्रेरित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब मैं अवसरों को चर्चा कर रहा हूं, तब यहाकवि मैथलीशरण गुप्त जी की कविता को मैं उद्घोषित करना चाहूँगा। गुप्तजी ने कहा था-

अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर मौ तू चुपचाप पड़ा है।

तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल-पल है अनमाल, अरे भारत उठ, आंखें खांल॥

प्रधानमंत्री ने कहा कि आगर इस कालखण्ड में, 21वीं सदी के आरंभ में अगर मैथलीशरण गुप्त जी को लिखना होता तो क्या लिखते- मैं कल्पना करता था कि वो लिखते

अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है।

हर बाधा, हर वादिश को तोड़, अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दोड़।

ePathshala
learning on the go



तर्व 2014 से 2021 तक के इन वर्षों में कौशल विकास, जनसाधिकी लाभांश (डेमोग्राफिक डिवीडेंड), और प्रतिस्पर्धा जैसे बहुत से आयाम शामिल हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा अनेक अवसरों में प्रस्तुत किए सूत्रों से विकसित होकर अब एक आकार लेते हुए दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2014 में 'फाइब टी' का सूत्र दिया था जिसमें ट्रैडीशन यानी परंपरा, टैलेंट (प्रतिभा), टूर्जिम (पर्यावरण), टेक्नोलॉजी और ट्रेड (व्यवसाय) के माध्यम से आगे बढ़ने का मंत्र निहित था। भारत की विशाल मानव पूंजी के उपयोग को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की अभिनव पहल भी छुपी थी। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे आयामों को एक व्यापक फलक देकर युवा कौशल को उनके साथ जोड़ा जाना, लेकिन इसमें भी पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था में नीतिगत सुधारों की ज़रूरत थी ताकि अभिनव पहलों के लिए कुशल मानव पूंजी का मार्ग प्रशस्त हो सके। एक आवश्यकता यह भी थी भारतीय युवा को 'जॉब सीकर' की परम्परागत मनःस्थिति से निकालकर 'जॉब प्रोवाइडर' यानी रोज़गार देने

वाले के अन्वेषी एवं उद्यमी मनोविज्ञान से जोड़ा जाए। इस दिशा में यानी रोज़गार संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। अम देश पिछले लागतग साढ़े छह वर्षों में तेज़ी से आगे बढ़ा है। भारत आपूर्ति और मांग के बीच व्यापक भौगोलिक असमानता विद्यमान है। संभवतः इसे ही देखते हुए प्रधानमंत्री ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ-साथ कॉम्पानिटिव फेडरलिज्म यानी प्रतिस्पर्धी संघवाद पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही देश को डेमोग्राफिक डिवीडेंड हासिल हो, इसे ध्यान में रखते हुए असंतुलनों को दूर करने के लिए न केवल मेक इन इंडिया बल्कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना... जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया ताकि देश में एक नयी उद्यमशीलता संस्कृति विकसित हो सके।

भारत की विशाल मानव पूंजी के उपयोग को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की अभिनव पहल भी छुपी थी। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसे आयामों को एक व्यापक फलक देकर युवा कौशल को उनके साथ जोड़ा जाना,

लेकिन इससे भी पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था में नीतिगत सुधारों की ज़रूरत थी ताकि अभिनव पहलों के लिए कुशल मानव पूंजी का मार्ग प्रशस्त हो सके।

एक आवश्यकता यह भी थी भारतीय युवा को 'जॉब सीकर' की परम्परागत मनःस्थिति से निकालकर 'जॉब प्रोवाइडर' यानी रोज़गार देने वाले के अन्वेषी एवं उद्यमी मनोविज्ञान से जोड़ा जाए।

योग्यता, मार्च 2021

कौशल

• युवाओं के लिए अप्रैटिसशिप अवसरों को बढ़ाने के लिए अप्रैटिसशिप एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव

• वर्तमान राष्ट्रीय अप्रैटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत शिक्षा के बाब अप्रैटिसशिप डिप्लोमा एवं स्नातक हंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए 3000 करोड़ रुपये का आवंटन

• यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भागीदारी में कौशल योग्यता, आकलन और प्रमाणीकरण के बैचमार्क और प्रमाणीकृत कार्यबल की तैनाती के लिए कार्य किया जा रहा है

• भारत और जापान के बीच सहयोगात्मक ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जापानी औद्योगिक और व्यावसायिक कौशल का हस्तांतरण

यानी रोज़गार संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। अम आपूर्ति और मांग के बीच व्यापक भौगोलिक असमानता विद्यमान है। संभवतः इसे ही देखते हुए प्रधानमंत्री ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ-साथ कॉम्पानिटिव फेडरलिज्म यानी प्रतिस्पर्धी संघवाद पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही देश को डेमोग्राफिक डिवीडेंड हासिल हो, इसे ध्यान में रखते हुए असंतुलनों को दूर करने के लिए न केवल मेक इन इंडिया बल्कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना... जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया ताकि देश में एक नयी उद्यमशीलता संस्कृति विकसित हो सके।

इसके बिना 'थी डी' (डेमोग्राफिक डिवीडेंड, डेमोक्रेसी और डिमांड) सिस्टम संतुलन के साथ प्रगतिशील नहीं बन पाता। यदि असंतुलन की स्थिति रही और प्रगतिशीलता की बजाय परम्परावादी व्यवस्था ही बनी रहती तो 'इन्वेस्टमेंट इनफ्लॉज' प्रोत्साहित नहीं होते। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्थायी एवं रणनीतिक उपायों के साथ देश को आगे बढ़ाया गया। इन उपायों के तहत डेमोग्राफिक डिवीडेंड में मूल्यवर्धन हेतु मानव पूंजी (ह्यूमन कैपिटल) को स्किल डिवेलपमेंट और बोकेशनल एजुकेशन के साथ-साथ डिजिटाइजेशन से भी जोड़ा गया।

बजट 2021-22 : मानव पूँजी को सशक्त बनाने के उपाय

विद्यालयी शिक्षा

- 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता को दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। इससे वे अपने-अपने क्षेत्र में एक उदाहरण के रूप में उभर कर सामने आएंगे जिससे अन्य विद्यालयों के विकास में भी सहायता मिलेगी।
- गैर-सरकारी संगठनों/निजी विद्यालयों/राज्यों के साथ माझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किये जाएंगे।

उच्चतर शिक्षा

- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन को लेकर इस वर्ष विधान पेश किया जाएगा। यह एक अम्बेला निकाय होगा, जिसमें मापदंड-निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन और वित्तपोषण के लिये चार अलग-अलग घटक होंगे।
- सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में अम्बेला सिस्टम-एक छत्रक संरचनाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
- लद्दाख में उच्च शिक्षा के लिये लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

- जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य।
- अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुनः प्रारंभ की गई।

कौशल विकास

- युवाओं के लिये अवसरों को बढ़ाने हेतु अप्रैटिसिप अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव दिया।
- इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिये शिक्षा-उपरांत अप्रैटिसिप, प्रशिक्षण हेतु मौजूदा राष्ट्रीय अप्रैटिसिप प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के पुनर्निर्माण के लिये 3,000 करोड़ रुपये।
- कौशल को लेकर अन्य देशों के साथ साझेदारी को उसी तरह बढ़ाया जाएगा, जिस तरह निम्नलिखित देशों के साथ साझेदारी की गई है:
 - संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौशल योग्यता, मूल्यांकन, प्रमाणीकरण और प्रमाणित श्रमिकों के बेंचमार्क को लेकर साझेदारी
 - जापान के साथ कौशल, तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण के लिये सहयोगपूर्ण अंतर-प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी)।

स्रोत : पोआईबी

इन उद्देश्यों को और व्यापक आधार देने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निर्णायक साबित होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में मानव पूँजी और सामाजिक पूँजी को कौन सी दिशा देने जा रही है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह देखना जरूरी है कि यह क्यों लायी गयी और इसके मुख्य आयाम क्या हैं? भारत में जो शिक्षा व्यवस्था परम्परागत रूप से चली आ रही थी उसमें व्यवहारिकता और कौशल विकास से जुड़े आयाम बेहद शिथिल थे, इसलिए परिणाम के मापदंड में हम प्रतिस्पर्धी नहीं थे, बस एक सीधी रेखा में चलते चले आ रहे थे। हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना था कि 'जैक ऑफ ऑल ट्रैडेस एंड मास्टर ऑफ नन' फार्मूले पर अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब शिक्षा में विशिष्टीकरण (स्पेशलाइजेशन) को ज़रूरत होगी। अब 'कैच देम यंग' के सिद्धांत पर छात्रों की प्रतिभाओं को पहचानना होगा ताकि भारतीय उद्यमिता को 4.0 (चौथी गीढ़ी के औद्योगिकीकरण) के अनुरूप विकसित किया जा सके और भारतीय अर्थव्यवस्था को श्रेष्ठ

कक्षा 6 से ही पाठ्यक्रम में शामिल विषयों के साथ-साथ कौशल

आधारित शिक्षा दी जाएगी। यानी माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही युवा आत्मनिर्भर का सबक सीख लेगा। कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्सेज की शुरूआत भारतीय युवाओं को स्किलफुल और उद्यमी बनाने में कारगर होगी। यह कोर्स भारतीय युवा को बाजार प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ेगा और उसे प्रतिस्पर्धा बनाएगा।

इस तरह से एक नई उद्यमिता संस्कृति का विकास होगा। यह भारतीय युवाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़कर प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करेगा, आर्थिक विकास को तीव्र गति देगा और रोज़गार के लिए एक व्यापक फलक निर्मित करेगा।


वैश्विक प्रतिस्पर्धी के रूप में

ध्यान रहे कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि राष्ट्र को एक दुर्सत एजुकेशन मॉडल अब समय की मांग बन चुका है। ऐसा मॉडल जो यह सुनिश्चित करे कि छात्र राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में सहयोग दें और पूरी शिक्षा प्रणाली छात्रों में क्षमता जगाने वाली हो। वे जिस शिक्षा के जिस मॉडल की बात कर रहे थे उसमें अनुसंधान और जिज्ञासा, सृजनशीलता और नवीनता, उद्यमशीलता और नैतिकता आदि आवश्यक घटक थे। उनका कहना था हमने अभी तक जो ज्ञान और सूचना अर्जित की है, 21वीं सदी में इसका सही प्रकार से प्रबंधन करने के साथ-साथ उसमें मानवीय मूल्यों को भी जोड़ा जाना चाहिए। वे कहते थे इकीसवीं सदी में उपलब्ध सूचना के विशाल सापर का प्रबंधन किसी आदमी के बल-बूते की बात नहीं है। इसे व्यक्ति के हाथ में सिफारी के बजाय नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इसी का व्यवहारिक

पक्ष है। कुल भिलाकर उनको दृष्टि में भारत के लिए जरूरी था कि वह शिक्षा के ऐसे मॉडल को विकसित करे जिसमें जिज्ञासा, सुविनशीलता, औद्योगिकी, उदामशोलता और नैतिक नेतृत्व जैसी पांच क्षमताओं का सम्मानण हो। नई शिक्षा नीति न केवल इन पांच क्षमताओं को आगे ले जाने के लिए प्रावधानों और सभावनाओं के साथ दिख रही है बल्कि कुछ अन्य आयामों को भी जोड़ने का काम कर रही है जो 21वीं सदी की बाजारवादी प्रतिस्पर्धा के युग में बहुत जरूरी हैं।

अब नई गणीय शिक्षा नीति से जुड़े प्रमुख पहलुओं पर चाह करें तो इसके प्रमुख पहलुओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक छत्रक व्यवस्था, सामाजिक ब्रावोरी, सांस्कृतिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, अधिनव शिक्षा, अनुसंधान और विकास पर बल और डिजिटल शिक्षा के साथ-साथ न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन को प्रोत्साहन का संकल्प शामिल है। सम्पूर्ण मानव संसाधन का निर्णय कैसा हो, आंतरिक व बाहरी प्रतिस्पर्धा में भारतीय युवा कैसे आगे निकले, भारतीय आत्मनिर्भर बन भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान कैसे दें और भारत मानव पूजी के बाहर जाने से रोकने के लिए भी युक्ति नई गणीय शिक्षा नीति में निहित है।

डॉ के. कस्तुरीरामन और उनकी टीम ने लगभग ढाई लाख लोगों में अधिक के सुझाव लिए और अद्वितीय परिश्रम से एक बहुप्रतीक्षित गणीय शिक्षा नीति देश के सम्मुख प्रस्तुत की।



प्रधानमंत्री अधिनव शिक्षण कार्यक्रम



ध्रुव




इसके कुछ आयामों को देखें तो एक आयाम है 10-2-3 से 5-3-3-4 का। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। दूसरा है शिक्षा और शिक्षक के संदर्भ में 'बाइ चांस' नहीं बल्कि 'बाइ च्वाइस' का विकल्प, जो शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाएगा या दूसरे शब्दों में कहें तो गुणवत्तापरक शिक्षा (कवालिटी एजुकेशन) को मुहेया कराएगा। तीसरा - उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एंगिट सिस्टम। चौथा-यह और राष्ट्रीयता का बोध और पांचवा है-ग्लोबल आउटरीच। शिक्षा के पुराने पैटर्न यानि 10-2-3 के स्थान पर 5-3-3-4 को लाना एक क्रांतिकारी बदलाव जैसा है। वैसे? इस नीति के तहत अलीं चाइल्डहूड के एंड एजुकेशन के बाद यानी कक्षा 2 के बाद 3 से 5 तक विज्ञान, गणित, कला जैसे विषयों से परिचित कराया

जाएगा और कक्षा 6 से ही पाठ्यक्रम में शामिल विषयों के साथ-साथ कौशल आधारित शिक्षा दी जाएगी। यानी माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही विद्यार्थी आत्मनिर्भर का सबक सीख लेगा। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत भारतीय युवाओं को स्किलफुल और उद्यमी बनाने में कारगर होंगी। यह पाठ्यक्रम भारतीय युवा को बाजार प्रतिस्पर्धा के साथ जोड़ेगा और उसे प्रतिस्पर्धी बनाएगा। इस तरह से एक नई उद्यमिता संस्कृति का विकास होगा। यह भारतीय युवाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़कर प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन में बढ़ि करेगा, आर्थिक विकास को तीव्र गति देगा और गोज़गार के लिए एक व्यापक फलक निर्मित करेगा।

नई शिक्षा नीति में दो मूलभूत आयाम और भी हैं। एक- पाश्चात्यता के स्थान पर भारतीयता को प्रोत्साहन। यह प्रधानमंत्री के 'बोकल फॉर लोकल' मंत्र के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। दूसरा- इसमें उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने का खाका निहित है। इसमें संपर्कता (आउटरीच) पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे भारत वैश्विक एकरूपता (ग्लोबल यूनिफार्मिटी) की ओर बढ़ेगा।

वर्ष 2021-22 के बजट ने मानव पूंजी और नई शिक्षा नीति के बीच स्थापित जुड़ाव को मजबूत करने के लिए वित्त पोषण की उपयुक्त व्यवस्था की है। वित्त मंत्री ने बजट (2021-22) भाषण में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का व्यापक रूप से स्वागत हुआ है। इसे आगे बढ़ाने और इसके क्रियान्वयन के लिए उन्होंने विभिन्न बजटीय प्रावधान किए। उन्होंने यह घोषणा करते हुए संतोष व्यक्त किया कि 15000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करके गुणवत्ता रूप से मजबूत बनाया जाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों की भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। यह व्यवस्था स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।

वित्त मंत्री ने सिंगल अम्बेला सिस्टम (एक छत्रक निकाय) के रूप में एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। इसमें मानक तय करने, स्थापना, मान्यता, विनियमन और वित्त पोषण के लिए 4 अलग घटक शामिल होंगे। बजट में सामाजिक कल्याण, सामाजिक समरसता और सामाजिक पूंजी के विकास में समानता लाने के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।



अटल टिकिरिंग लैब

बाल और युवा मस्तिष्क में जिज्ञासा, क्रियाशीलता और कल्पना को बढ़ावा

वित्त मंत्री ने सिंगल अम्बेला सिस्टम (एक छत्रक निकाय) के रूप में एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। इसमें मानक तय करने, स्थापना, मान्यता, विनियमन और वित्त पोषण के लिए 4 अलग घटक शामिल होंगे। बजट में सामाजिक कल्याण, सामाजिक समरसता और सामाजिक पूंजी के विकास में समानता लाने के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इन्हें प्रांतसाहित करने के लिए पहले में बजट आवंटन इस बार अधिक किया गया है (उदाहरण के तौर पर सामान्य स्कूल को लागत को 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ तथा पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 48 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव किया गया है)। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पांस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता बढ़ाई गई है और 2025-26 तक छह वर्षों के लिए कुल 35,219 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। इससे अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा और ये शिक्षा व्यवस्था की मूल धारा से जुड़कर समाज और राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने।

इस बजट में कौशल विकास के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किया गया है। युवाओं के लिए अप्रैटिसिप अवसरों को बढ़ाने के लिए अप्रैटिसिप एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान राष्ट्रीय अप्रैटिसिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत शिक्षा के बाद अप्रैटिसिप, डिप्लोमा एवं स्नातक इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिए 3000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस पहल के तहत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ सहभागिता स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यद्यपि जापानी औद्योगिक और व्यावसायिक कौशल तकनीक तथा ज्ञान के हस्तरंतरण में सहायता के लिए जापान और भारत में एक सहयोगात्मक ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम (टीआईटीपी) चल रहा है। लेकिन बजट भाषण में अब इस पहल को अधिक से अधिक देशों के साथ शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) पर होने वाले परिव्यय को बढ़ाने की घोषणा की है जिसकी घोषणा जुलाई 2019 के बजट भाषण में की गयी थी। उन्होंने ने एनआरएफ के लिए 50 हजार करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया है। इससे चुने हुए राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए देश में समग्र रिसर्च इको सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार एक नई पहल के रूप में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) की शुरूआत करेगी। इससे प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई शासन एवं नीति संबंधित ज्ञान रूपी संपदा इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएंगी।

वास्तविकता यही है क्योंकि युवा तेजस्वी मस्तिष्क धरती पर भरती के नीचे और ऊपर आसमान में सबसे सशक्त संसाधन है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और बजटीय प्रावधानों के साथ भारतीय युवा अब 'न्यू नॉर्मल' (ई-लैरिंग के प्रयुक्ति तकनीकी शब्दावली) के साथ आगे बढ़ेगा और 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की महान यत्रा का कुशल एवं मूल्यवान सहयोगी बनेगा। ■



जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के उपाय

श्रेयांश जैन

“धरती इंसान की ज़रूरतों की भरपाई तो आसानी से कर सकती है, मगर उसके लालच की नहीं”
- महात्मा गांधी



सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में कई कदमों का प्रस्ताव कर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के सकेत दिए हैं। इनमें स्वच्छ ऊर्जा पर नए सिरे से ध्यान, आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला आधारभूत ढांचा, जल संचयन व संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन आधारित चातायात सुविधा व चरणबद्ध पौधारोपण जैसे कदम शामिल हैं। वक्त आ गया है जब सभी साझेदारों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए मिलकर सामूहिक, व्यापक और समग्र रूप से लड़ना होगा।

अ

गले वित वर्ष के लिए पहली फरवरी को पेश किया गया बजट उन सिर्फ चार में से एक था, जिन्हें आर्थिक मंदी के दौर के बाद लाया गया। हालांकि पहले के तीन अवसरों के विपरीत इस बार बजट ऐसे माहील में पेश किया गया था जब कोविड-19 महामारी के कारण सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर की अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व गिरावट का सामना कर रही थी। ऐसे मुश्किल दौर में भी वित मंत्री ने डिजिटल माध्यम से पेश किए गए बजट में बेहद सीमित राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन का रास्ता खुला, हालांकि अगर वह चाहतों तो खुले हाथों से खर्च कर अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास भी कर सकती थीं।

बजट पेश होने के एक सप्ताह पहले जारी आर्थिक सर्वे, 2020 में कहा गया था कि अर्थव्यवस्था को कोरोना-पूर्व की स्थिति में पहुंचने और उससे आगे निकलने में महज दो वर्षों का वक्त लगेगा। इसमें भारत को दुनियाभर में सही मायनों में उम्मीदों भरा देश बनने के यकीन दिलाने वाले सभी भरोसेमंद कारण मौजूद थे। हालिया आर्थिक सर्वेक्षण चताता है कि देश अंग्रेजी के बी-आकार प्रक्षेप पथ पर सुधार के रास्ते पर चल पड़ा है। यह देश के लोगों के लिए स्थायी विकास, प्रगति और बेहतर गुणवत्ता वाली जिंदगी की बुनियाद तैयार करने के सरकार के प्रयासों की पुष्टि करता है। यह इसका भी प्रमाण पेश करता है कि चुरे दिनों की बकालत करने वाले सामूहिक रूप से गलत हैं। अब जबकि सरकार कई नए कदमों के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिशों में जुटी है, बेहद जरूरी है कि ये कदम व्यापक, संतुलित, सबके लिए और व्यावहारिक हों।



#AatmaNirbharBharatKaBudget



भारतीय सौर ऊर्जा नियम को 1,000 रुपये तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय मदद मुहैया कराना।

#

बजट
2021



#AatmaNirbharBharatKaBudget



स्वच्छ भारत अभियान की सोच को गति देने के लिए शहरी स्वच्छ भारत प्रणाली 2.0 के तहत वर्ष 2021 से पांच वर्षों में 141,678 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

#

बजट
2021



इसलिए, हमारे नीति-निर्माणों के लिए जरूरी हो जाता है कि हे पुनर्निर्माण के इस चरण का लाभ उठाते हुए स्थायी प्रगति को विकास की सभी रणनीतियों के केंद्र में रखें। दूसरे शब्दों में कहें, सो जहां तक संभव हो, जलवायु और आर्थिक विकास में सारतम्य बनाकर चलने की ज़रूरत है। अपने राष्ट्रीय अनियाय योगदान (एनडीसी) (1) में भारत ने विकास के लिए निम्न कार्बन उत्सर्जन का मार्ग चुनने का चाहा किया है। देश ने वर्ष 2030 तक सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2005 के स्तर से भी 33-35 प्रतिशत तक नीचे ले जाने, गैर-जीवाश्म उৎपन्नों से हासिल विजली की संयुक्त उत्पादन शमात् वर्ष 2030 तक कार्बन 40 प्रतिशत तक घटाने और उसी वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन मात्रा घटाकर ढाई से तीन अरब टन सालाना पर लाने के लिए पौधारोपण को गति देने का लक्ष्य रखा है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के

लिए भारत को जलवायु परिवर्तन के लिए डाइए गए कदमों पर वर्ष 2030 तक कार्बन 2.5 लाख करोड़ डॉलर (2014-15 में डॉलर के मूल्य के हिसाब में) की ज़रूरत होगी। अनुमान यह भी है कि कृषि, वानिकी, मत्स्यपालन आधारभूत दौंचा, जल संसाधन और पार्श्वस्थितिकी तंत्रों से संवर्भित वदलावों को अमल में लाने के लिए देश को वर्ष 2015 से 2030 के दौरान 206 अरब डॉलर (2014-15 में डॉलर के मूल्य के हिसाब में) की दरकार होगी। इसके साथ ही आपदा प्रवर्धन व इससे जुड़े अन्य कार्यों में मजबूती के लिए अतिरिक्त निवेश की ज़रूरत पड़ेगी।

स्पष्ट है कि देश के जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम शुरू करने के लिए वित्तीय संसाधन एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत को स्पर्धात्मक मांगों की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों को बेहद सोच-विचारकर उपयोग करना होगा। इसलिए सतत विकास की रह हासिल करने के लिए

स्वच्छ हवा



वायु प्रदूषण की सामग्री से निपटने को 10 लाख से अधिक आवादी वाले 12 शासी कंडों के लिए 2,217 करोड़ रुपये का प्रावधान।

नीति-नीति

प्राने व अनावृत वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए सीधी रुपौयग नीति लाई गई।

नियों वाहनों को 20 वर्ष बाद और वाणिज्यिक वाहनों को 15 वर्ष बाद अनिवार्य रूप से अटिमेटेड किलोग्राम सेटर में ले जाना होगा।



ऐट्रोल एवं प्राकृतिक गैस

प्रमुख पहले

- उत्क्षेप योजना से आठ करोड़ लाभार्थियों को फायदा पहुंच देकर है। अब इसे एक करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाना है।
- केंद्र शासित ब्रैम्प-कर्पोरे में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
- गैस परिवहन तंत्र के लिए एक स्वतंत्र परिचालक की स्थापना होगी।

तालिका- 1

कदम	प्रमुख प्रावधान
स्वच्छ वायु	वायु प्रदूषण के मकट से निजात पाने के लिए 10 लाख से अधिक आनंदी चाने 42 गढ़ी कंडो के लिए बजट में 2,217 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)	शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का क्रियान्वयन वर्ष 2021 में 2026 तक पांच वर्षों के लिए ₹11,678 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन से किया जाएगा। इसके तहत ये प्रमुख क्षेत्र शामिल किए जाएंगे— <ul style="list-style-type: none"> संपूर्ण गल प्रवर्धन व अपशिष्ट जल संशोधन स्रोत पर कचरे का पृथक्करण सिंगल यूज (एक ही बार प्रयोग में आने वाले) प्लास्टिक उपयोग में कमी निर्माण व ढहने संबंधी गतिविधियों में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से वायु प्रदूषण में कमी व सभी कचरा डंप साइट पर जैव-निस्तारण
स्कैपिंग नीति	सभी पुराने और अनफिट बाहनों को सड़कों से हटाने के लिए सरकार ने स्वैच्छिक बाहन स्कैपिंग नीति की घोषणा की है। सभी निजी बाहन 20 वर्षों तक और व्यावसायिक बाहन 15 वर्षों तक परिचालन में रहने के बाद स्वचालित फिटनेस सेंटर पर चली जाएगी। इससे ये फायदे होंगे— <ul style="list-style-type: none"> कम ऊर्जा खपत करने और पर्यावरण-हितेषी बाहनों को बढ़ावा मिलेगा बाहनों से होने वाला प्रदूषण घटेगा, और देश का तेल आयात खर्च घटाने में मदद मिलेगी
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत से लेकर अगले पांच वर्षों तक के लिए करीब ₹1.97 लाख करोड़ रुपये लगाने की प्रतिवद्धता जारी की है। इससे देश में वैश्विक स्तर की उत्पादन कंपनियां खड़ी की जा सकेंगी। ये वैसी कंपनियां होंगी— <ul style="list-style-type: none"> जो वैश्विक आपूर्ति शृंखला का अधिन्दित हिस्सा बनेंगी जिनमें स्पर्धात्मक और दुनिया की अग्रणी तकनीकों का उपयोग होगा, और जो प्रमुख क्षेत्रों में बड़े आकार और मात्रा में युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगी
सिटी बस सेवा को बढ़ावा देना	सरकार ने सार्वजनिक बस परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की मदद में एक नई योजना लांच करने का प्रस्ताव रखा है। यह योजना ऐसी नवीन सरकारी-निजी-भागीदारी (पीपीपो) मॉडल को समर्थन देगी, जिससे निजी कंपनियां भी 20,000 से अधिक बसों के वित्तपोषण, अधिग्रहण और परिचालन में रुचि ले सकें। इससे— <ul style="list-style-type: none"> आर्थिक विकास को मदद मिलेगी, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, और शहरी नागरिकों का आवागमन सुलभ होगा
मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार	सरकार मौजूदा मेट्रो रेल जैसा अनुभव, सुविधा और सुरक्षा बेहद कम लागत में मेट्रो शहरों के उप-नगरीय इलाकों और टीयर 2 शहरों तक पहुंचाने के लिए 'मेट्रोलाइट' व 'मेट्रोनियो' नामक दो नई तकनीक लाने पर विचार कर रही है। इससे शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

नीतिगत हस्तक्षेप के नए व नवोन्मेषी स्वरूप गढ़ने तथा कार्यक्रमों को विशिष्ट रूप से आपस में जोड़कर कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने की ज़रूरत है, जो आर्थिक व पर्यावरणीय उद्देश्यों की पूर्ति की ओर भी देश को अग्रसर करते हैं।

अगले वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट के कई प्रावधानों में इस उद्देश्य की पूर्ति की छाप मिलती है। बजट ने सतत विकास के तीन महत्वार्थी रूपों आर्थिक, यामाजिक और पर्यावरण-केंद्रित पर

देश के जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम शुरू करने के लिए वित्तीय संसाधन एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत को स्पर्धात्मक मांगों की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों को बेहद सोच-विचारकर उपयोग करना होगा। इसलिए सतत विकास की राह हासिल करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप के नए व नवोन्मेषी स्वरूप गढ़ने तथा कार्यक्रमों को विशिष्ट रूप से आपस में जोड़कर कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने की ज़रूरत है।

पर्याप्त जोर दिया है। बजट के इन प्रावधानों में देश का भविष्य मुश्किल करने तथा जलवायु परिवर्तन के विषम प्रभावों से बचाने के लिए सरकार की संवेदनशीलता को छाप दिखा जाती है। इनका वर्णन तालिका- 1 में है।

तालिका- 1 नजर आए

हरी-भरी भरती एवं स्वच्छ वायु की ओर बढ़ने को भरपूर वित्तीय मदद देने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। स्थायी और आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाले प्रभावों पर

गैर-परंपरागत/हरित ऊर्जा	सरकार ने इसके तहत ये प्रस्ताव किए हैं— <ul style="list-style-type: none"> • हरित ऊर्जा योग्यों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए वित वर्ष 2021-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा विश्वास लाभ करना • अगले तीन वर्षों में ग्रीन गैस वितरण नेटवर्क से 100 और जिलों को जोड़ना व केंद्र-शामिल प्रदेश जम्मू व कश्मीर के लिए एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू करना, • प्रधानमंत्री उच्चला योजना से एक करोड़ और लाभार्थियों को आच्छादित करना, तथा • भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 1,000 रुपये तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय मदद मुहैया करना
चरणबद्ध विनिर्माण योजना	घरेलू बाजार की क्षमता बढ़ाने और घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार : <ul style="list-style-type: none"> • सोलर संलग्न व सोलर पैनल के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना अधिसूचित करेगी, • सोलर इन्वर्टर पर आयात शुल्क पांच से बढ़ाकर 20 प्रतिशत और सोलर लालटेन पर पांच से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करेगी
विजली वितरण सुधार	बजट में सुधार-आधारित परिणाम-बद्द विजली वितरण योजना के लिए पांच वर्षों के दौरान 3,05,984 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना से विजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्प्स) को निम्न श्वेत्रों में मदद मुहैया कराई जाएगी— <ul style="list-style-type: none"> • प्रो-पेड स्मार्ट मीटरिंग समंत फोडर को अलग करने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने में, तथा • सिस्टम को अपग्रेड करने में। सरकार एक ऐसा ढांचा तैयार करेगी, जिसमें विजली ग्राहकों को एक से अधिक डिस्कॉम्प्स में से अपनी पसंद की विजली कंपनी चुनने का विकल्प मिल सके।
राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन	सरकार ने सक्षम ब्राउनफील्ड बुनियादी ढांचागत संपत्तियों की विक्री के लिए 'राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन' का प्रस्ताव रखा है। इसमें ये भी शामिल हैं— <ul style="list-style-type: none"> • पीजीसीआईएल इन्विट के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये की संचरण संपत्तियों का मौद्रीकरण, तथा • गेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की ऑयल व गैस पाइपलाइन का मौद्रीकरण
सूक्ष्म सिंचाई	नावार्ड के अंतर्गत गठित सूक्ष्म सिंचाई फंड की राशि दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।
गहरे समुद्र की जैव विविधता का संरक्षण	डोप सो मिशन के तहत सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा है। इसके तहत— <ul style="list-style-type: none"> • गहरे समुद्र के सर्वे के माध्यम से सजीव व निर्जीव संसाधनों की खोज की जाएगी, तथा • गहरे समुद्र की जैव विविधता संरक्षित करने के लिए परियोजनाएं तैयार की जाएंगी
कागज का कम उपयोग	अपनी तरह के पहले डिजिटल बजट में सरकार ने— आगामी जनगणना को इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना बनाने के लिए वित वर्ष 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, और 1,500 करोड़ रुपये की एक योजना बनाएगी जिसके तहत भुगतान के डिजिटल माध्यम को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराया जाएगा।

निजों क्षेत्र के निवेश बढ़ाने को भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि इसके लिए और कई कदम उठाने की आवश्यकता है।


1. संवर्धन, कमियों की पहचान के लिए व्यवस्था बनाने और जलवायु की दिशा में देश के कदमों का प्रभाव मापने के लिए प्रामाणिक मानिटरिंग व रिपोर्टिंग तंत्र विकसित करने की ज़रूरत है। इससे फ़इस के सर्वोत्तम उपयोग और बड़े पैमाने पर निवेश के द्वारा खोलने में मदद

अगले वित वर्ष के केंद्रीय बजट के कई प्रावधानों में इस उद्देश्य की पूर्ति की छाप मिलती है। बजट ने सतत विकास के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण-केंद्रित पर पर्याप्त जोर दिया है। बजट के इन प्रावधानों में देश का भविष्य सुरक्षित करने तथा जलवायु परिवर्तन के विषम प्रभावों से बचाने के लिए सरकार की संवेदनशीलता की छाप दिख जाती है।

मिलेगी।

2. जलवायु बजट टैगिंग (सीबीटी) उपकरण की ज़रूरत है। इससे राजकोषीय बजट में जलवायु-केंद्रित खर्च की पहचान, वर्गीकरण, मात्रा और आवंटन में मदद मिलेगी।

3. हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री एम वंकेया नायडु ने संचना आधारित विधायी-पूर्व व विधायी-पश्चात प्रभाव आकलन का प्रस्ताव रखा था। हर विधायी प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण व प्रशासनिक प्रभावों का विस्तृत लेखाजोखा



शामिल करने से चुनिंदा नीतियों में छुपे नकारात्मक प्रभावों का असर शून्य किए जाने में मदद मिलेगी। इससे देश में न सिर्फ पारदर्शी व प्रजातात्रिक कानून-निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उस कानून के लागू होने से काफी पहले आम जनता को उसके कुप्रभाव समझने और उन पर विस्तृत चर्चा करने में मदद मिलेगी।

4. संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के राष्ट्रपति जो. बाइडन ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पूरी तरह एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने 'स्वच्छ ऊर्जा क्रांति' के तहत एक विस्तृत कार्ययोजना का खाका पेश किया, जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रहे जोखिमों का निदान करना और जलवायु की मौजूदा आपात समस्याओं के समाधान में दुनिया का नेतृत्व करना है। तेल, गैस व कोयला कंपनियों से चुनावी चंदा स्वीकार नहीं करना इस दिशा में स्वागत योग्य कहा जाएगा।

हरित भविष्य की ओर

संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र कार्य सम्मेलन, 2019 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "आज एक ऐसे व्यापक नजरिये की ज़रूरत है जिसमें शिक्षा, जीवनशैली के मूल्य और विकास के दर्शन का समावेश हो। हमें व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दुनियाभर के लोगों द्वाया एक क्रांति की ज़रूरत है। हमारे दिशानिर्देशक मूल्य हमारी ज़रूरत-आधारित होने चाहिए, लालच आधारित नहीं।" सरकार ने कांट्रीय बजट 2021-22 में कई कदमों का प्रस्ताव कर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के संकेत दिए हैं। इनमें स्वच्छ ऊर्जा पर नए सिरे से ध्यान, आपदा को गमय त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला

आधारभूत ढांचा, जल संचयन व संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन आधारित यातायात सुविधा व चरणबद्ध पौधारोपण जैसे कदम शामिल हैं। बत आ गया है जब सभी साझीदारों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में निपटने के लिए मिलकर सामूहिक, व्यापक और समग्र रूप से लड़ना होगा। इन पर महज बातें करते रहने का बक्त चला गया है। अब इन पर काम करना होगा। ■

संदर्भ

- इंडियाज इंटेर्डे नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन : बर्किंग ट्रिब्यून क्लाइमेट जस्टिस (https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC_Published_per_cen20Documents/India/1/INDIA_per_cen20INDC_per_cen20TO_per_cen20UNFCCC.pdf) पेरिस समझौता (आर्टिकल 4, पैरा 2) में कहा गया है कि सभी पक्ष एनडीसी के तहत घोषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका निर्णय और आपसी संवाद करेंगे। अपने-अपने योगदान का लक्ष्य ठासिल करने के लिए सभी पक्ष घरेलू स्तर पर उत्तर करेंगे। एनडीसी का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन इस पहली जनवरी, 2021 से हो गया है।
- बजट 2019-20 : निर्भला सीतारमण, वित्त मंत्री, भारत सरकार का भाषण <https://www.indiabudget.gov.in/doc/bsspeech/bs201920.pdf>
- सीबीटी राष्ट्रीय बजट तंत्र में जलवायु से संबोधित व्यय को मानिएरिंग व ट्रैकिंग उपकरण है। यह पर्यावरण के लिए प्रासंगिक खर्च के आक औंकड़े मुर्द्द्या करता है, जिससे सरकारी को पर्यावरण के पक्ष में प्राथमिकता के आधार पर निवेश की दिशा निर्धारित करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, भारत में लैगिंग बजट के माध्यम से सरका राजनीतिक तरती है कि निर्भला लैगिंग समुदायों के लिए उसकी प्रतिबद्धता बजटीय प्रतिष्ठानों में झलकें।
- स्वच्छ ऊर्जा व पर्यावरणीय न्याय के लिए बाइडन की पोर्टफोलियो <https://joebiden.com/climate-plan/>

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में नोटिस

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को उनकी सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरों जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित हैं-

सदस्यता प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	₹. 434	₹. 364
2 वर्ष	₹. 838	₹. 708
3 वर्ष	₹. 1222	₹. 1032

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

दीपक बागला



दुनिया भर के निवेशकों ने भारत में प्रचुर अवसरों, पैमानों और संभावनाओं की मौजूदगी को स्वीकार किया है। यहां हाल के वर्षों में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसी का प्रमाण है। सरकार ने मौजूदा भूमि, श्रम और दिवालिया संबंधी कानूनों में व्यापक संशोधन किए हैं। राज्यों ने भी इस परिवर्तन में बढ़चढ़ कर काम किया है। सभी सरकारी विभागों में सिंगल-विंडो सिस्टम और डिजिटीकरण को अपनाने के लिए ऐसे विविध परिवर्तन किए गए हैं जो भारत में निवेश करने वालों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। रक्षा, डिलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, औषधि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी सरकार द्वारा उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था स्थापित कर इन सुधारों में मदद की गई है।

प्र

धानमंत्री के निर्णयिक नेतृत्व ने भारत के निवेश परिदृश्य को बदल दिया है और विश्व भर के निवेशकों में भरोसा पैदा किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय निवेश संबंधन और सुविधा एजेंसी, इनवेस्ट इंडिया ने प्रैदौगिकों के तंजी से परिनियोजन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रिकॉर्ड स्तर को बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की सुगम आपूर्ति की है। यह कारोबार में लचीलापन बनाए रखते हुए सुरक्षा और संरक्षण के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने में भी अग्रणी बना रहा है।

महामारी के दौरान भी निवेश सुगमता में इसके प्रयासों और भारत के विकास के पथ पर अग्रसर करने में निर्विकाद और महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान करते हुए इनवेस्ट इंडिया को यूएनसोटोएडी निवेश सुविधा पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है।

दुनिया भर के निवेशकों ने भारत में निवेश के प्रचुर अवसरों, पैमानों और संभावनाओं की मौजूदगी को स्वीकार किया है। इस वर्ष चड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में व्यापक रूप से बदल होने के बावजूद, भारत में अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच 35 विलियन अमरीकी डॉलर का अभूतपूर्व विदेशी निवेश किया गया। यह किसी भी वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में सर्वाधिक है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हुए विदेशी निवेश में 13 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2019-2020 में, भारत में 73 विलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया, जो एक वर्ष में सबसे अधिक है। इनवेस्ट इंडिया ने 166 विलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के निवेश की सुविधा प्रदान की है और इससे 2.7 मिलियन से अधिक नए रोजगार सृजित करने में मदद मिली है। वैश्विक जन स्वास्थ्य संकट के बीच भारत की



लेखक इन्वेस्ट इंडिया में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ईमेल: @investindia.org.in

भारत कोविड-19 से निपटने के लिए कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करा रहा है?



Souce: MyGov

प्रतिभा, रचनात्मकता और उत्साह बढ़ाने में मदद के लिए, इनवेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार दुनिया पर में 180 आईपीए में से जीता।

बदलते वैश्विक रुझानों के दौरान प्रधानमंत्री के नये भारत के नजरिए के प्रति समर्पित इनवेस्ट इंडिया ने अपना विजेनेस इम्प्रिन्टी प्लेटफॉर्म (बोआईपी) शुरू किया। अचानक तकनीकी कठिनाइयों और आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद कुशल भारत के उद्देश्य को पूरा करने में बाधा नहीं हुई। बोआईपी को नवीनतम सरकारी नियमों, उपायों और आदेशों के बारे में व्यवसायियों को जानकारी देने, सलाह देने और सहायता करने के लिए बनाया गया था। 21 मार्च, 2020 को शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म ने स्थानीय और विदेशी दोनों व्यवसायों को प्रोटोकॉल, सुरक्षा निर्देशों और लॉकडाउन के प्रतिवधों के बीच, बहुत आवश्यक दिशा प्रदान की।

भारत के प्रति वैश्विक ड्रूकाव

महामारी में वैश्विक व्यवसायों और नियमित कामकाज को बाधित किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री की सहज और अग्रणी सोच की नीतियों ने भारत में स्थिरता बनाए रखने में मदद की। महामारी ने अपि विशिष्ट आपूर्ति श्रृंखलाओं को कमजोरियों को ढंगार किया और कंपनियों ने अपनी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रयत्न किए। यहां तक कि चिकित्सा उपकरणों और दवाओं जैसी जावश्यक वस्तुओं के लिए, आमतौर पर कोई कमी नहीं होने दी। इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम थे। पहला, व्यवसायियों ने कच्चे माल में लंकर विनिर्माण, दुलाई और अंतिम मुफ्तीनी तक अपने कारोबार के तरीके का सही मूल्यांकन किया। कई कंपनियों ने तटवर्ती आपूर्ति श्रृंखलाओं या कम से कम अपने बाजारों के करीब पहुंचने जैसे उपाय किए। इस प्रक्रिया में, जो भौगोलिक और व्यावसायिक रूप में महत्वपूर्ण नोडल विंडुओं पर भारत, एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरा। अपने घंडे घरेलू बाजार, विशाल कुशल श्रम शक्ति और लचीली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था के साथ, वह एक ऐसे अवसर के रूप में प्रकट हुआ जिसकी प्रतीक्षा को जा रही थी। दूसरा, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों ने अपने त्वरित-अनुकूल




हवाई निगरानी



लॉकडाउन शर्त



विधानसभा करने का काम



धर्म जांच

घर पर संगतीयता व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के लिए निर्देश



14 दिन तक या प्रयोगशाला में जाने विटेंट के नियम अनुसार उनके लिए उपलब्ध करें।

गोरी की बैलभाल के लिए एक ही व्यक्ति ही और विदेशी भव्यता को बढ़ा जाने की अनुमति नहीं है।

गोरी के लकड़ी इत्याहि और उसके लकड़ी को छुने से बचें।

गोरी की इस्तेमाल की लकड़ी को निपटने और बालू काले समय, इत्याहि लकड़ी की इस्तेमाल करें। लकड़ी उत्तराने के बाब इस बाये।

विदेशी भव्यता-बलू रखे व्यक्ति में राग के लकड़ी दिखे तो उसके संपर्क में आए सभी व्यक्तियों को अलग रखा जाए।

व्यवसायों और मित्रव्यव्यव्यापी नवाचार के साथ, भारत को कोविड-19 संकट के सबसे कठिन शुरूआती महीनों में मदद की। ऐसा करने में, उन्होंने भारतीय रचनात्मकता और प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए देश की अंतर्निहित व्यावसायिक क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत के मजबूत औषधि उद्योग ने जेनेरिक दवाओं-पेरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोविक्सीन की त्वरित आपूर्ति में अपने वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया। इन कारकों के संयोजन ने भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक अग्रणी गंतव्य और दुनिया का अग्रणी विनिर्माण केंद्र बनाने में योगदान दिया। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न नीतिगत उपाय भारत के पक्ष में इसी वैश्विक झुकाव को बढ़ाते हैं।

भारत को निवेशक-हितेषी बनाना

सरकार व्यापार और भारत में रहने की सुगमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिसके परिणाम पिछले कुछ वर्षों में सामने आए हैं। वर्ष 2014 और 2019 के बीच, भारत ने कारोबार सुगमता के अपने उपायों में दो गुना से अधिक बढ़ि की है। यह भारत पर निवेशकों के बढ़ते विश्वास और बढ़ी पारदर्शिता के प्रति निवेशक समुदाय की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ (सोआईआई) और अन्स्ट एंड यंग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत भविष्य में निवेश के लिए दो तिहाई से अधिक बहु-राष्ट्रीय उत्तरदाता कंपनियों का अग्रणी विकल्प है। भारत में लाखों प्रतिभाशाली कर्मचारियों के अलावा, बहुत जल्द सबसे बड़ा घरेलू बाजार होगा (आवादी 2025 तक 1.4 बिलियन हो जाएगो)।

सरकार ने मौजूदा भूमि, श्रम,

और दिवालिया संबंधी कानूनों में

व्यापक संशोधन किए हैं। राज्यों

ने भी इस परिवर्तन में बढ़-चढ़ कर काम किया है।

सभी सरकारी विभागों ने एकल खिड़की प्रणाली

और डिजिटीकरण को अपनाने के

लिए त्वरित रूप से ऐसे परिवर्तन

किए हैं जो भारत में निवेशकों पर

गहरा प्रभाव डाल रहे हैं।

सरकार ने मौजूदा भूमि, श्रम,

दिवालिया संबंधी कानूनों में

व्यापक संशोधन किए हैं। राज्यों ने भी

इस परिवर्तन में बढ़-चढ़ कर काम किया है।

सभी सरकारी विभागों ने एकल खिड़की प्रणाली

और डिजिटीकरण को अपनाने के

लिए त्वरित रूप से ऐसे परिवर्तन

किए हैं जो भारत में निवेशकों पर

गहरा प्रभाव डाल रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव-पीएलआई) योजना नवे भारत में रोज़गार को बढ़ावा

अनुमानित परिणाम:



अगले 5 साल में 2 लाख से
अधिक प्रत्यक्ष रोज़गार




प्रत्यक्ष रोज़गार का 3 गुणा
अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोज़गार

उद्यमशील नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए, भारत को तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास और उन्नयन करना जरूरी है। अगस्त 2020 में शुरू की गई राष्ट्रीय अवसरणना पाइपलाइन (एनआईपी), तत्काल इस राष्ट्रीय आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह वैश्विक सर्वोत्तम कार्यकलापों और मानकों के अनुरूप बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कीर्तिमान प्रदर्शन के लिए एक द्रुतगामी संस्थागत, नियामक और कार्यान्वयन ढांचा तैयार करेगी। इस परियोजना से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं दक्ष और समावेशी हों ताकि नागरिकों के जीवन को सुगम और बुनियादी ढांचे तथा आर्थिक विकास को अधिक समावेशी बनाया जा सके।

भारत के लिए आगे का रास्ता

महत्वाकांक्षी और समयबद्ध आत्मनिर्भर

भारत अभियान के तहत, भारत को एक विशाल, कुशल तथा बढ़ते कार्यबल और एक बड़े घरेलू बाजार के साथ वैश्विक आपूर्ति धूखला में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में परिकल्पित किया गया है। स्थानीय निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ वैश्विक आपूर्ति धूखलाओं का अतीत का एकीकरण सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा देगा। इस प्रकार दिए गए प्रोत्साहन और स्थापित आधारभूत ढांचा, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक स्थितियों वाला देश बनाने की दिशा में अर्थक परिश्रम करने के लिए सभी हितधारकों को आगे बढ़ाते हुए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे।



यह वैश्विक सर्वोत्तम कार्यकलापों और मानकों के अनुरूप बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कीर्तिमान

प्रदर्शन के लिए एक द्रुतगामी संस्थागत, नियामक और कार्यान्वयन ढांचा तैयार करेगी। इस परियोजना

से यह सुनिश्चित हो सकेगा

कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं दक्ष और समावेशी हों ताकि नागरिकों के जीवन को सुगम और बुनियादी ढांचे तथा आर्थिक विकास को अधिक समावेशी बनाया जा सके।

बनाया जा सके।

अपनी विशाल जनसंख्या के साथ, भारत मांग और उपभोक्ता आधार की दृष्टि से बड़े ऐमाने पर अवसर प्रदान करता है। अपने स्थिर वृहत् आर्थिक सुधारों के साथ, यह नीतिगत वातावरण का निर्माण भी कर रहा है जो उद्योगों को सहायता करेंगा और मांग में बृद्धि करेगा। इस प्रकार, उभरती नीतियों, बुनियादी ढांचे के उन्नयन, आसानी से मंजूरी और प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली के साथ, भारत लगातार कारोबार सुगमता को परिभाषा को फिर से परिभाषित कर रहा है।

महामारी ने भारत को आधुनिक युग में एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को फिर से सफलतापूर्वक परिकल्पित करने का अवसर दिया है। अपने युवा दृष्टिकोण, गतिशील ऊजां, अपार आर्थिक अवसरों और सक्रिय तथा दूरदर्शी

सरकार के साथ, भारत तेजी से सभी व्यवसायों के लिए एक कुशल, डिजिटल-प्रेमी और स्वागत योग्य गंतव्य के रूप में अपना स्थान बना रहा है।

संदर्भ

- व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन
- <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=k1666101>
- <https://www.investindia.gov.in/bip>
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
- <https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=kq73UVW2gfol-sA+MrPNNDqbB3DuElp1bCIZcvOX57NCyLntBM71kJAuJYijK-D2hliQNp9jgWkkTgoop6XbGLLUOUg=k=k>
- <https://www.thehindu.com/news/national/Indias-population-to-surpass-Chinas-by-2025/article14685642.ece>
- Geographic information system.

(... आवरण पृष्ठ 2 का शेष)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

बजट में महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचाने वाली एक अन्य योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक करोड़ और महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने । मई, 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को धुएं से मुक्त करने के लिए गरीबों रखा में नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को महिलाओं को पांच करोड़ रुपये गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना था। बाद में इस लक्ष्य में संशोधन किया गया और मार्च 2020 तक आठ करोड़ महिलाओं को मुफ्त रुपये गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य कर दिया गया। अब वित्त मंत्री ने एक करोड़ और महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार की अगले तीन वर्षों में 100 और जिलों को शहरी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत लाने की योजना है जिसमें शहरी महिलाओं को लाभ मिलेगा।

जल जीवन मिशन (शहरी)

इतना ही नहीं, सभी परिवारों को पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत लाने से महिलाओं को घरेलू काम-काज में लगने वाले अतिरिक्त समय और परिश्रम से कुछ राहत मिलेगी। जल जीवन मिशन (शहरी) का उद्देश्य सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले 2.86 करोड़ परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और अमृत योजना के अंतर्गत आने वाले 500 शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा उपलब्ध कराना है। इसे पांच साल में लाया किया जाएगा और इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया गया है।

तीनों योजनाओं से सबसे अधिक फायदा महिलाओं को होगा क्योंकि इन सुविधाओं के अभाव में महिलाएं ही सबसे अधिक कष्ट उठाती हैं।

गिर अर्थव्यवस्था में अवसर

बीते कई सालों से ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक संख्या में महिलाएं रोज़गार और नौकरी के लिए शहरी इलाकों में आ रही हैं। 2001 में 47 प्रतिशत महिलाएं रोज़गार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में आई थीं और 2011 में यह आंकड़ा बढ़ कर 58 प्रतिशत हो गया। इससे यह संकेत मिलता है कि उच्चतर महत्वाकांक्षाओं वाली और रोज़गार बाजार के अनुकूल नये कौशलों से संपन्न युवा महिलाएं पारम्परिक लैंगिक वर्जनाओं से ऊपर उठकर काम की तलाश में बढ़े शहरों में आ रही हैं। वे शहरी इलाकों में और अधिक संख्या में रोज़गार के अवसर खोज रही हैं और पा रही हैं। ऐसा गिर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में खास तौर पर हो रहा है जिसमें मांग पर सेवाएं उपलब्ध कराने वाले डिजिटल स्लेटफार्म्स के साथ-साथ अनौपचारिक क्षेत्र में आने वाले फ्री लांस काम करना, डायरेक्ट सैलिंग, ब्लूटूथ पार्लर और इसी तरह के कार्य भी शामिल हैं।

महिलाओं को मम्मो क्षेत्रों में और गर्भ पाली में काम करने की पर्याप्त

इतना ही नहीं, महिला श्रमिकों को सभी क्षेत्रों और गर्भ पाली में काम करने को इजाजत देने के बजट प्रस्ताव में कार्यस्थलों में लौगिक विविधता वह सकती है और विनिर्माण और इंजीनियरी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। इस समय विनिर्माण, औषधि और एफएमसोजी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है। विनिर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या 10 प्रतिशत, औषधि क्षेत्र में 19 प्रतिशत और एफएमसोजी क्षेत्र में 15 प्रतिशत ही है क्योंकि वे कारखानों में काम करने में कठताती हैं। बजट में को गयी घोषणा में कंपनियों को कार्यस्थल को लेकर ऐसी नीतियां बनाने को प्रोत्त्वाहन मिलेगा जिनमें महिलाओं श्रमिकों की ज़्यूरतों का भी ध्यान रखा गया होगा ताकि वे भी कारखानों में काम करने वाले दो गयी छूट का फायदा उठा सकें।

कपड़ा और चाय उद्योग : महिलाओं के बड़े नियोजन

कपड़ा और चाय, ये दो ऐसे उद्योग जिनमें महिला श्रमिक बड़ी तादाद में कार्य करती हैं। ये दोनों क्षेत्रों के लिए इस साल बजट में बड़ी घोषणाएं की गयी हैं। सरकार ने बड़े नियंत्रण वाले सात ट्रेक्स्टाइल पार्क (सेगा इन्डस्ट्रीज ट्रेक्स्टाइल पार्कों-मित्रज) और उत्पादन में ज़्यूरी प्रोत्त्वाहन योजना को बजट में घोषणा की है ताकि हमारे चाय उद्योग वैश्विक मार पर प्रतिस्पर्धी बन सकें और बड़े ऐसाने पर नियंत्रण आकृष्ट कर सकें। इससे महिलाओं के लिए रोज़गार ने नये अवसर खुले हैं। इसके अलावा सरकार कई अन्य योजनाओं का वर्करों को अमल कर रही है ताकि कपड़ा क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो। इससे रोज़गार के अवसरों में बढ़ि उत्पन्न होने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी आवश्यकता

आज सबसे बड़ी आवश्यकता
महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने की को है। केन्द्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं में प्रस्तावित पहलों और निवेश से करोड़ों महिलाओं के जीवन को नयी दिशा दी जा सकती है, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को महिलाओं की आसान पहुंच के द्वारा में लाया जा सकता है और उन्हें कौशल संबंधी समुचित प्रशिक्षण देकर उनके रोज़गार की नयी संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं, आसान ऋण उपलब्ध कराये जा सकते हैं और अंततः उन्हें आत्मनिर्भर तथा आर्थिक दृष्टि से अपने पांचों पर खड़ा करने योग्य बनाया जा सकता है।

बनाया जा सकता है।

महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने की है। केन्द्रीय बजट में विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं में प्रस्तावित पहलों और निवेश से करोड़ों महिलाओं के जीवन को नयी दिशा दी जा सकती है, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को महिलाओं की आसान पहुंच के द्वारा में लाया जा सकता है और उन्हें कौशल संबंधी समुचित प्रशिक्षण देकर उनके रोज़गार की नयी संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं, आसान ऋण उपलब्ध कराये जा सकते हैं और अंततः उन्हें आत्मनिर्भर तथा आर्थिक दृष्टि से अपने पांचों पर खड़ा करने योग्य बनाया जा सकता है। न्यू इंडिया के अंतर्गत भी ऐसी अधिकार संपन्न महिलाओं की परिकल्पना की गयी है जो नये अवसरों का बहतरीन फायदा उठाने के लिए उत्सुक हों।